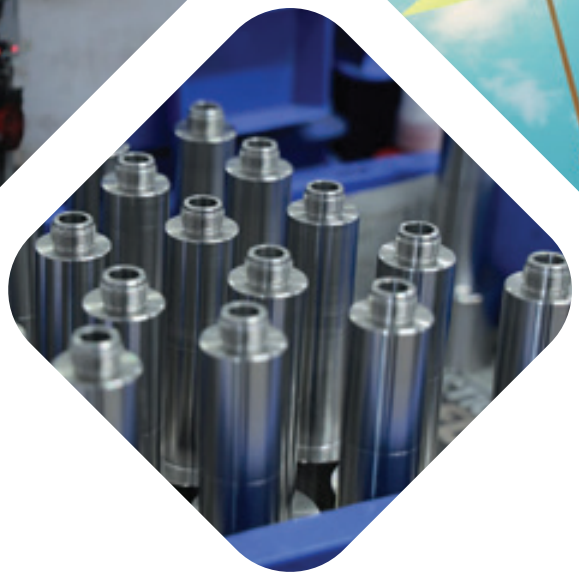

उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को अलग ढंग से हरा-भरा बनाना

वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 **(भाग-II)**

सिडबी

आंतरिक

परिशिष्ट I पेज 01-44
परिशिष्ट II पेज 45-92

परिशिष्ट-I

सिडबी के लाभ हानि लेखा और
नकदी प्रवाह विवरणी के साथ
एकल वित्तीय पत्र

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

1. हमने **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक** (बैंक") के एकल वित्तीय विवरणों, जो साथ में रखे गए हैं, की लेखापरीक्षा की है, जिनमें यथा 31 मार्च, 2024 का तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखा, नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

   हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 (1) के अनुसार अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप यथा 31 मार्च 2024 को बैंक के कार्यकलापों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु इसके लाभ और इसके नकदी प्रवाह को सही और उचित रूप में दर्शाते हैं।

राय के लिए आधार

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारी का और अधिक ब्योरा हमारी रिपोर्ट के 'एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के दायित्व' खंड में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी "आचार संहिता" के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

विशेष रूप से ध्यातव्य मामले

3. हम एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XVI के नोट संख्या 26 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के तहत न्यूनतम निर्धारित दरों से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान से संबंधित है।

4. हम एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XVI के नोट संख्या 30 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो सीजीटीएमएसई को 500 करोड़ रुपये के अंशदान से संबंधित है।

इस मामले के संबंध में हमारी कोई अलग राय नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारी पेशेवर दृष्टि से 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा और उन पर हमारी राय निर्धारित करने के संदर्भ में विचार किया गया था और इन मामलों के संबंध में हम अलग से राय नहीं देते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर किस तरह विचार किया गया
I. अग्रिमों का वर्गीकरण **गैर-निष्पादक अग्रिमों का निर्धारण, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची VIII, अनुसूची XV के नोट 6 के साथ पठित, देखें)** अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, अल्प वित्त संस्थाओं तथा एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; और प्रत्यक्ष ऋण, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकौतीयोग्य ऋण और सावधि ऋण सहित, शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड (आईआरएसीपी मानदंड) निर्धारित किए हैं। निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत पुनःसंरचित अग्रिमों सहित) की पहचान में उचित तंत्र की स्थापना शामिल है और बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अग्रिम के लिए अपेक्षित प्रावधान की मात्रा की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वविवेक का प्रयोग करे।	अग्रिमों के वर्गीकरण, गैर-निष्पादक अग्रिमों के निर्धारण, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: - गैर-निष्पादक आस्तियों के निर्धारण और प्रावधान के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों को समझना और उन पर विचार करना और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों (आईआरएसीपी मानदंडों) के अनुपालन, जिसमें पुनःसंरचित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान और प्रदत्त आस्ति वर्गीकरण लाभ शामिल हैं, का आकलन करना, - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर ह्रासित खातों के निर्धारण और प्रावधान के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना। - बैंक द्वारा एनपीए के निर्धारण को कवर करने वाली सारभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाओं को निष्पादित करना। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: 1) जहां अग्रिम दर्ज किए गए हैं, उन एप्लीकेशन सिस्टमों से उत्पन्न अपवाद रिपोर्टों के परीक्षण पर विचार करना

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	**हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर किस तरह विचार किया गया**
एनपीए के निर्धारण और प्रावधान के लिए काफी स्वविवेक और अनुमान की विद्यमानता निम्नलिखित के विषय में सारभूत गलतबयानी को जन्म दे सकते हैं: - आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादक आस्तियों के निर्धारण की पूर्णता और समय; - ऋण एक्सपोजर, आयु और ऋणों के वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूलीयोग्य मूल्य के आधार पर गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान की माप - गैर-निष्पादक आस्तियों की अप्राप्त आय का उपयुक्त प्रतिवर्तन चूंकि अग्रिमों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक आस्तियों का निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान करना (लागू आईआरएसीपी के तहत पुनःसंरचित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान सहित) और अग्रिमों पर आय निर्धारण - में उपयुक्त नियंत्रण कार्यप्रणाली और बैंक द्वारा महत्वपूर्ण स्तर के अनुमानों की आवश्यकता होती है; - बैंक के समग्र वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं; अतः हमने इस क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के तौर पर निर्धारित किया है।	2) दबाव निर्धारण हेतु, सिडबी और अन्य बैंकों द्वारा विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के बड़े ऋणों से संबंधित केंद्रीय भंडार(क्रिलिक) में रिपोर्ट किए गए खातों पर विचार करना 3) मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चुने गए उधारकर्ताओं की खाता विवरणियों, आहरण शक्ति परिकलन, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना 4) ऋण और जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़ना और बैंक से पूछताछ करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ऋण खाते या किसी उत्पाद में दबाव या चूक की घटना के संकेतक थे। 5) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए आंतरिक लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रमुख टिप्पणियों पर विचार करना 6) वर्ष के दौरान बैंक पर आरबीआई की वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट, टिप्पणियों पर बैंक के प्रत्युत्तर तथा आरबीआई के साथ हुए अन्य पत्राचार पर विचार करना 7) बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आईआरएसीपी प्रक्रियाओं के स्वचालन पर आरबीआई परिपत्र के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना। 8) भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर अग्रिमों, दबावग्रस्त / पुनःसंरचित अग्रिमों सहित, का परीक्षण। 9) प्रतिदर्श उधारकर्ताओं के लिए खाता शेष की स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त करना। 10) शाखाओं/कार्यालयों का दौरा तथा अग्रिमों से संबंधित प्रलेखन और अन्य अभिलेखों की जांच करना। निर्धारित गैर-निष्पादक अग्रिमों के लिए हमने, दबावग्रस्त क्षेत्रों और खाता सारभूतता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, नमूना आधार पर आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण तिथियों, वसूल न हुए ब्याज के प्रतिवर्तन, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और प्रावधानों की जांच की। हमने प्रमुख निविष्टि कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर एनपीए हेतु प्रावधान की पुनःगणना की और उसके परिणाम की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए आंकड़ो से की।
II. निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों का निर्धारण और उनके लिए प्रावधान (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची VII, अनुसूची XV के नोट 3 के साथ पठित) निवेशों को राजकोष परिचालन और व्यवसाय परिचालन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। निवेशों में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, म्युचुअल फंड, वीसीएफ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों का निर्धारण, आय का अनिर्धारण तथा गैर-निष्पादक निवेशों के संबंध में प्रावधान शामिल हैं।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निदेशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के निर्धारण और निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को समझना शामिल है। विशेष रूप से - - हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों के निर्धारण, गैर-निष्पादक निवेशों पर आय के प्रतिवर्तन और निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा;

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर किस तरह विचार किया गया
उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफबीआईएल / एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई पर कोट की गई दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण जैसे विभिन्न स्रोतों से आंकडे/सूचना एकत्र करना शामिल है। हमने निवेश के मूल्यांकन और गैर-निष्पादक निवेशों के निर्धारण को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया क्योंकि लागू नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों के आधार पर कतिपय निवेशों (बॉण्ड और डिबेंचर, वीसीएफ) के मूल्य का निर्धारण करने में प्रबंधन का स्वविवेक शामिल रहता है और एचटीएम बही का ह्रासमान मूल्यांकन प्रबंधन स्वविवेक, नियामकीय अपेक्षाओं पर ध्यान देने की मात्रा और बैंक के वित्तीय परिणामों के लिए उसके समग्र महत्व पर आधारित होता है।	- हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; - विद्यमान निवेश के चुनिंदा नमूनों के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी हेतु पुनः मूल्यांकन करके सटीकता और आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया; - हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार रखे जाने वाले प्रावधान का स्वतंत्र रूप से पुनः परिकलन करने के लिए सारभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादक निवेशों के लिए उनका परीक्षण किया और रखे जाने वाले प्रावधान का पुनः परिकलन किया और यह देखा कि क्या गैर-निष्पादक निवेशों के उन चयनित नमूनों के लिए आय का उपार्जन आरबीआई परिपत्र के अनुसार है।
III. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और नियंत्रण, जो वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करते हैं बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की इनफॉर्मेशन सिस्टम्स, सिस्टम में विद्यमान स्वचालित नियंत्रणों सहित, पर इतनी अधिक निर्भरता है कि यह जोखिम मौजूद है कि आईटी नियंत्रण वातावरण में गैप के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग अभिलेख सारभूत रूप से अशुद्ध हो सकते हैं। आईटी पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।	वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की आईटी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में: - हमने बैंक के आईटी सिस्टम और नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। - उचित समय-अंतराल पर चिह्नित एप्लीकेशन सिस्टमों के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ऑडिट कराने के लिए बैंक में एक कार्य प्रणाली विद्यमान है। बैंक द्वारा समुचित समय-अंतरालों पर सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा की जाती है। - वर्ष के दौरान बैंक के आईटी सिस्टम्स पर किए गए ऑडिट से प्राप्त प्रमुख टिप्पणियों की हमने समीक्षा की।
IV. प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 10 और नोट 12): कतपिय मुकदमों, प्रत्यक्ष कर सहित, ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI) और विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची V) के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के आकलन को एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया । कर मामलों और अन्य कानूनी दावों के संबंध में आवश्यक प्रावधान के स्तर का आकलन करने में और प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं, दोनों का प्रकटन करने में उच्च स्तर का स्वविवेक शामिल रहता है। बैंक का आकलन मामले के तथ्यों, उसके अपने विवेक, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर परामर्शदाताओं की सलाह, जहाँ आवश्यक समझी जाए, पर आधारित होता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: - मुकदमों/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना; - विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या पत्रादि और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना; - महत्वपूर्ण मानी गई विषयवस्तु के गुणदोष का मूल्यांकन उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह, बैंक के कर परामर्शदाताओं की राय सहित, के संदर्भ में करना ; - चर्चाओं, विचाराधीन विषय वस्तु के ब्योरो के संग्रह, उन मुद्दों के संभावित परिणाम और उसके फलस्वरूप संभावित धन निर्गम के माध्यम से बैंक के तर्कों की समीक्षा और मूल्यांकन,; और - डेटा की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करना, योजनाओं की आस्तियों के उचित मूल्य का मापन, विशिष्ट योजनाओं और बाजार परिपाटियों के संदर्भ में कर्मचारी देयताओं के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली धारणाओं को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों को समझना।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर किस तरह विचार किया गया
कर्मचारी लाभ देयताओं के मूल्यांकन को विविध बीमांकिक धारणाओं और निवष्टियों, बट्टा दर, मुद्रास्फीति की दर और मृत्यु दर सहित, के संदर्भ में परिकलित किया जाता है। इसके संबंध में वित्तपोषित आस्तियों का मूल्यांकन भी धारणाओं में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। जिन मामलों में कानून की व्याख्या, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और शामिल अनुमानों में स्वविवेक लागू करने की आवश्यकता होती है, उन मामलों के परिणामों से जुड़ी हुई अनिश्चितता के मद्देनजर हमने उपर्युक्त क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है।	- हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ धारणाओं का मूल्यांकन शामिल है, जो प्रासंगिक मृत्यु दर तालिकाओं के साथ जीवन प्रत्याशा धारणाओं की तुलना, बाहरी बाजार डेटा के प्रति मुद्रास्फीति और बट्टा दर की बेंचमार्किंग करके किया गया है। हमने योजना आस्तियों का प्रबंधन करने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा प्रदत्त विवरणियों से योजना आस्तियों के मूल्य का सत्यापन किया। - एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मुकदमों, कराधान मामलों और कर्मचारी लाभ देयताओं से संबंधित प्रकटनों का सत्यापन।

6. एकल वित्तीय विवरणों से इतर अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य जानकारी के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी शामिल है, लेकिन उसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। आशा की जाती है कि बैंक की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के अंतर्गत अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते हुए यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से सारभूत रूप से असंगत है अथवा ऑडिट के जरिए या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी सारभूत रूप से अयथार्थ प्रतीत होती है। जब हम बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि इस अन्य जानकारी की सारभूत रूप से गलतबयानी की गई है, तो आवश्यक है कि हम उक्त मामले में उन लोगों को सूचित करें जिनके पास अभिशासन का प्रभार है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

7. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सामान्य विनियम, 2000 और आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बैंक का प्रबंधन इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने के संबंध में उत्तरदायी है जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह को सही और उचित रूप में दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और लागू किया जाना; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निर्मिति, कार्यान्वयन एवं रखरखाव करना शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें, और सही और उचित स्थिति दर्शाने वाले ऐसे एकल वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हों, जो धोखाधड़ी या त्रुटि जन्य गलतबयानियों से मुक्त हों।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन सतत संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, सतत संस्था से जुड़े मामलों को प्रकट करने, जैसा लागू हो, और लेखांकन के सतत संस्था आधार का इस्तेमाल करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई यथार्थपरक विकल्प न हो। बैंक प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य यह है कि इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त किया जाए कि एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से सारभूत गलतबयानियों, चाहे वे धोखाधड़ीजन्य हों या त्रुटिजन्य, से मुक्त हैं, और एक ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की जाए जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा, किसी सारभूत गलतबयानी के विद्यमान होने पर हमेशा उसका पता लगा लेगी। गलतबयानियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि के फलस्वरूप हो सकती हैं और उन्हें तब सारभूत माना जाता है, जब यह संभावना हो कि इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए आर्थिक निर्णयों को ये गलतबयानियाँ अलग अलग या सामूहिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर विवेक का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त हम :

- एकल वित्तीय विवरणों में सारवान गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं,

चाहे वे धोखाधड़ीजन्य हों या त्रुटिजन्य, उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करते हैं और ऐसे ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हो। त्रुटिजन्य गलतबयानी की तुलना में धोखाधड़ीजन्य गलतबयानी का पता न लगने पर जोखिम अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, त्रुटिपूर्ण कथन या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकते हैं।

- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ हासिल करते हैं, ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, किंतु वे प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के लिए नहीं होतीं।

- प्रबंधन द्वारा एकल वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के सतत संस्था आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सारभूत अनिश्चितता मौजूद है जो सतत संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हमारा निष्कर्ष होता है कि सारभूत अनिश्चितता विद्यमान है, तो यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपनी राय संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक का एक सतत संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह देखते हैं कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति का लक्ष्य हासिल होता हो।

सारभूतता एकल वित्तीय विवरणों में विद्यमान गलतबयानी की वह मात्रा है, जो अलग-अलग या सामूहिक रूप से यह संभाव्यता पैदा करती है कि वित्तीय विवरणों के पर्याप्त जानकार प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में चिह्नित किसी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सारभूतता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जिन पर, अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा चिह्नित की जाने वाली किसी महत्वपूर्ण कमी सहित, से संबंधित अभिशासन का प्रभार है।

हम अभिशासन के प्रभारियों को इस आशय का कथन भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और ऐसे सभी रिश्तों तथा अन्य मामलों, और जहां लागू हों वहां संबंधित सुरक्षा उपायों, की जानकारी देते हैं जिनके विषय में तर्कसंगत रूप से यह सोचा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालेंगे।

अभिशासन के प्रभारियों को सूचित किए गए मामलों में से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उक्त मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता न हो अथवा जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हमने यह न निर्धारित किया हो कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी पर्याप्त संभावना है कि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम इस तरह की सूचना देने से होने वाले सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होंगे।

9. अन्य मामले

i. इन एकल वित्तीय परिणामों में प्रधान कार्यालय सहित उन 23 शाखाओं की संबंधित विवरणियां का समावेश हैं, जिनका दौरा/ लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत यथा 31 मार्च 2024 को अग्रिमों का 96.45%, जमाराशियों का 98.51%, उधारियों का 100% और 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु अग्रिमों पर ब्याज आय का 96.60%, जमा पर ब्याज व्यय का 97.35% और उधारियों पर ब्याज-व्यय का 99.74% कवर करता है। इन शाखाओं का चयन बैंक प्रबंधन के परामर्श से किया गया है। अपनी लेखापरीक्षा संपन्न करने के दौरान, हम बैंक की उन शेष शाखाओं से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों निर्भर रहे हैं, जिनके दौरे हमने नहीं किए। ये सूचनाएं और विवरणियाँ प्रधान कार्यालय के केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से उत्पन्न की गईं थी।

ii. 1 अप्रैल 2023 के अथशेष 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा पूर्ववर्ती स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई थी, जिन्होंने 12 मई 2023 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अपनी कोई अलग राय व्यक्त नही की है।

उपर्युक्त मामलों में हमारी कोई अलग राय नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. एकल तुलनपत्र और एकल लाभ-हानि लेखा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 (i) के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है ;

2) बैंक के जो लेन-देन हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं और

3) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

1) हमारी राय में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा-बहियों समुचित रूप से रखरखाव किया है, जहाँ तक कि इन लेखा-बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है। जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे समुचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त थीं।

2) इस रिपोर्ट द्वारा जिस तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरणी पर विचार किया गया है, वह लेखा-बही के अनुरूप है;

3) हमारी राय में, उक्त एकल वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769W

(जयेश काला)
साझेदार
एफआरएन : 101686
यूडीआईएन:24101686BKAJVW8401

दिनांक: 29 मई, 2024
स्थान : मुंबई

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2024

(राशि ₹ में)

		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पूँजी एवं देयताएँ	**अनुसूचियां**		
पूंजी	I	5,68,54,11,690	5,68,54,11,690
आरक्षितियां, अधिशेष एवं निधियाँ	II	3,11,47,97,41,280	2,72,40,69,75,549
जमा	III	20,63,84,20,90,591	16,50,36,14,64,621
उधार	IV	27,05,45,48,39,639	20,06,57,92,03,549
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	V	1,38,74,75,34,843	88,79,41,95,410
आस्थगित कर देयता		-	-
योग		**52,25,20,96,18,043**	**40,23,82,72,50,819**
आस्तियां			
नकदी एवं बैंक शेष	VI	2,33,08,59,93,676	1,21,08,82,02,380
निवेश	VII	3,64,09,90,81,370	2,90,88,65,76,872
ऋण एवं अग्रिम	VIII	45,60,15,07,04,381	35,64,39,06,80,346
स्थिर आस्तियां	IX	2,86,18,84,189	2,96,39,45,951
अन्य आस्तियां	X	65,01,19,54,427	44,49,78,45,270
योग		**52,25,20,96,18,043**	**40,23,82,72,50,819**
आकस्मिक देयताएँ	XI	37,97,40,02,169	45,13,44,11,010
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	XV		
लेखा टिप्पणियाँ	XVI		

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन - पत्र का एक अविभाज्य अंग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे. काला एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
साझेदार
एम नं. 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

अजित नाथ झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

के एस नगन्याल
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक: 29 मई, 2024

लाभ एवं हानि लेखा

यथा मार्च 31, 2024 को

(राशि ₹ में)

		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
आय	**अनुसूचियां**		
ब्याज और बट्टा	XII	3,13,09,96,10,081	1,79,53,53,96,172
अन्य आय	XIII	6,32,13,04,418	5,31,27,81,800
योग		**3,19,42,09,14,499**	**1,84,84,81,77,972**
व्यय			
ब्याज और वित्तीय प्रभार		2,28,81,47,69,951	1,24,05,66,16,459
परिचालन व्यय	XIV	18,65,06,99,392	8,23,53,29,635
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		19,05,50,87,556	8,58,14,07,506
योग		**2,66,52,05,56,899**	**1,40,87,33,53,600**
कर पूर्व लाभ		**52,90,03,57,600**	**43,97,48,24,372**
आयकर के लिए प्रावधान		17,72,36,61,000	12,39,91,57,313
आस्थगित कर समायोजन [(आस्ति) / देयता]		(5,08,63,10,000)	(1,86,00,74,573)
कर पश्चात लाभ		**40,26,30,06,600**	**33,43,57,41,632**
अग्रानीत लाभ		66,87,00,000	40,00,00,000
कुल लाभ / (हानि)		**40,93,17,06,600**	**33,83,57,41,632**
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		37,14,57,71,449	31,11,88,59,294
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण		1,65,00,00,000	80,00,00,000
अन्य			
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		2,50,52,813	-
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		16,85,00,000	11,11,00,000
शेयरों पर लाभांश		1,13,70,82,338	1,13,70,82,338
लाभांश पर कर		-	-
अग्रेनीत लाभ - हानि लेखा अधिशेष		80,53,00,000	66,87,00,000
अन्य		**40,93,17,06,600**	**33,83,57,41,632**
प्रति शेयर मूल / तनुकृत अर्जन		70.82	58.81
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XV		
लेखा टिप्पणियाँ	XVI		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ हानिलेखे का अभिन्न अंग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे. काला एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
साझेदार
एम नं. 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

अजित नाथ झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

के एस नगन्याल
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक: 29 मई, 2024

तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

पूंजी और देयताएँ

अनुसूची I: पूंजी

(राशि ₹ में)

		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(क)	**प्राधिकृत पूंजी**	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
	- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
	- अधिमानी शेयर पूंजी (₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 मोचनीय अधिमानी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
(ख)	**जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी :**	5,68,54,11,690	5,68,54,11,690
	- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 56,85,41,169 ईक्विटी शेयर)	5,68,54,11,690	5,68,54,11,690
	- अधिमान शेयर पूंजी	-	-
योग		**5,68,54,11,690**	**5,68,54,11,690**

अनुसूची II: आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियाँ

(राशि ₹ में)

		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क)	**आरक्षितियाँ**		
i)	**सामान्य आरक्षितियाँ**		
	- अथशेष	2,18,35,81,39,917	1,87,23,92,80,623
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	37,14,57,71,449	31,11,88,59,294
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- इतिशेष	**2,55,50,39,11,366**	**2,18,35,81,39,917**
ii)	**शेयर प्रीमियम**		
	- अथशेष	30,54,25,88,310	30,54,25,88,310
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- इतिशेष	**30,54,25,88,310**	**30,54,25,88,310**
iii)	**विशिष्ट आरक्षितियाँ**		
क)	**निवेश आरक्षिति**		
	- अथशेष	-	-
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- इतिशेष	**-**	**-**
ख)	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियाँ**		
	- अथशेष	18,52,00,00,000	17,72,00,00,000
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,65,00,00,000	80,00,00,000
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- इतिशेष	**20,17,00,00,000**	**18,52,00,00,000**
ग)	**अन्य आरक्षितियाँ**		
i)	निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति		
	- अथशेष	1,25,89,52,956	1,25,89,52,956
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,50,52,813	-
	- वर्ष के दौरान उपयोग		
	- इतिशेष	**1,28,40,05,769**	**1,25,89,52,956**

तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची II: आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियाँ (Contd.)

(राशि ₹ में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ख) लाभ और हानि लेखा में अधिशेष	**80,53,00,000**	**66,87,00,000**
ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
- अथशेष	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
- वर्ष के दौरान परिवर्धन/ प्रतिलेखन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- इतिशेष	**2,65,61,42,832**	**2,65,61,42,832**
ख) स्टाफ कल्याण निधि		
- अथशेष	40,24,51,534	32,83,53,383
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	16,85,00,000	11,11,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	5,31,58,531	3,70,01,849
- इतिशेष	**51,77,93,003**	**40,24,51,534**
ग) अन्य	-	-
योग	**3,11,47,97,41,280**	**2,72,40,69,75,549**

अनुसूची III जमा

(राशि ₹ में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क) सावधि जमा	1,25,99,96,09,590	86,76,48,78,620
ख) बैंकों से		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के तहत	18,91,19,34,36,000	15,28,76,15,16,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के तहत	-	-
ग) अन्य - विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	31,65,49,75,000	19,84,10,00,000
घ) एमएसएमई भारत आकांक्षा निधि के तहत	14,99,40,70,001	14,99,40,70,001
ङ) एमएसएमई क्षेत्र में उद्यम पूंजी हेतु निधि 2014-15 के तहत	-	-
उप-योग (ख)	**19,37,84,24,81,001**	**15,63,59,65,86,001**
योग	**20,63,84,20,90,591**	**16,50,36,14,64,621**

अनुसूची IV उधारियां

(राशि ₹ में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
I) भारत में उधारियां		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से	-	1,59,00,00,00,000
2. भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बाण्ड सहित)	4,36,28,02,083	5,17,27,06,344
3. बॉण्ड और डिबेंचर	8,11,80,29,00,000	4,67,55,00,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	2,25,24,00,00,000	3,94,25,00,00,000
- जमा प्रमाणपत्र	3,54,90,00,00,000	2,46,35,00,00,000
- बैंकों से सावधि ऋण	10,88,19,00,00,000	5,86,43,95,28,678
- सावधि मुद्रा उधारियां	-	-
- अन्य	1,89,37,08,41,814	1,05,40,96,07,622
उप-योग (I)	**26,73,86,65,43,897**	**19,64,17,18,42,644**

तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची IV उधारियां (Contd.)

(राशि ₹ में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
II) भारत के बाहर उधारियां		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	1,38,94,71,253	3,70,76,76,702
(ख) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)	6,07,59,66,719	10,79,57,17,856
(ग) आईएफएडी, रोम	99,22,22,858	1,05,46,39,489
(घ) विश्व बैंक	22,85,75,57,273	26,31,12,58,470
(ङ) अन्य	27,30,77,639	53,80,68,387
उप-योग (II)	**31,58,82,95,742**	**42,40,73,60,905**
योग (I & II)	**27,05,45,48,39,639**	**20,06,57,92,03,549**

अनुसूची V अन्य देयताएं व प्रावधान:

(राशि ₹ में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
उपचित ब्याज	46,36,54,05,347	27,67,89,02,900
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	4,17,08,65,424	3,93,85,26,360
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	1,12,40,51,149	44,04,31,465
कर्मचारियों के अन्य लाभ के लिए प्रावधान	3,35,42,75,456	1,90,38,47,208
विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव केलिए प्रावधान	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	34,43,01,42,221	17,57,93,51,338
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	1,13,70,82,338	1,13,70,82,338
निधियां - आकांक्षा निधि, स्टार्टअप के लिए निधियों की निधि, पीआरएफ, पीआरएसएफ आदि	33,27,13,78,808	23,12,59,58,271
अस्थायी प्रावधान	4,95,67,37,932	4,95,67,37,932
अन्य (प्रावधानों सहित)	8,40,02,33,402	6,49,59,94,832
योग	**1,38,74,75,34,843**	**88,79,41,95,410**

आस्तियां

अनुसूची VI नकदी एवं बैंक शेष

(राशि ₹ में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	6,08,479	6,14,370
2. अन्य बैंकों में शेष		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	1,93,97,47,338	6,25,86,02,252
ii) अन्य जमा खातों में	3,33,47,76,70,702	2,77,02,47,81,932
(ख) भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	1,75,58,878	4,89,40,573
ii) अन्य जमा खातों में	-	2,70,61,56,932
योग	**3,35,43,55,85,397**	**2,86,03,90,96,059**

तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची VII निवेश [प्रावधानों को घटाकर]

(राशि ₹ में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	2,69,04,48,00,772	1,48,12,97,19,214
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड और डिबेंचर	19,53,22,74,081	21,81,08,38,302
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड और डिबेंचर	51,56,74,010	84,44,58,856
4. म्युचुअल फंड	-	-
5. वाणिज्यिक पत्र	17,96,12,57,158	26,05,26,90,303
6. जमा प्रमाणपत्र	15,55,01,34,525	62,98,61,30,050
7. अन्य	11,00,00,00,000	-
उप-योग (क)	**3,33,60,41,40,546**	**2,59,82,38,36,725**
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर	1,61,51,09,902	1,61,51,09,702
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बांड और डिबेंचर	-	-
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड और डिबेंचर	3,47,28,88,561	5,34,48,59,563
4. सहायक संस्थाओं में निवेश	17,51,04,98,740	17,51,04,98,740
5. उद्यम पूंजी निधि में निवेश - आरसीएफ	4,67,17,29,717	5,24,72,57,872
6. अन्य	3,22,47,13,904	1,34,50,14,270
उप-योग (ख)	**30,49,49,40,824**	**31,06,27,40,147**
योग (क+ख)	**3,64,09,90,81,370**	**2,90,88,65,76,872**

अनुसूची VIII ऋण और अग्रिम [प्रावधान के बाद]

(राशि ` में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
- बैंक और वित्तीय संस्थाएं	36,31,01,26,04,304	29,81,73,24,72,128
- अल्प वित्त संस्थाएँ	87,71,32,31,093	48,99,64,96,339
- एनबीएफसी	5,52,05,42,45,997	3,34,14,66,70,997
- बिलों की पुनर्भुनाई	-	-
उप-योग (क)	**42,70,78,00,81,394**	**33,64,87,56,39,464**
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
- ऋण और अग्रिम	2,75,09,88,63,090	1,93,97,14,30,050
- प्राप्य वित्त योजना	-	9,23,64,439
- भुनाए गए बिल	14,27,17,59,897	5,45,12,46,393
उप-योग (ख)	**2,89,37,06,22,987**	**1,99,51,50,40,882**
योग (क+ख)	**45,60,15,07,04,381**	**35,64,39,06,80,346**

अनुसूची IX स्थिर आस्तियां [मूल्यह्रास घटाकर]

(राशि ₹ में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1. परिसर	2,81,35,50,735	2,92,87,49,254
2. अन्य	4,83,33,454	3,51,96,697
योग	**2,86,18,84,189**	**2,96,39,45,951**

तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची X अन्य आस्तियां:

(राशि ₹ में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
उपचित ब्याज	30,65,77,13,429	15,51,50,83,888
अग्रिम कर (प्रावधान घटाकर)	2,89,32,29,192	1,91,87,79,755
कर्मचारी ऋण	2,23,69,85,494	1,95,26,21,807
व्युत्पन्नी आस्तियां	4,56,03,84,977	5,41,20,83,018
व्यय, जिस सीमा तकबट्टे खाते में नहीं डाला गया है	16,76,79,45,998	17,27,27,73,419
अन्य	7,89,56,95,337	2,42,65,03,383
योग	**65,01,19,54,427**	**44,49,78,45,270**

अनुसूची XI आकस्मिक देयताएं

(राशि ₹ में)

		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
i)	बैंक पर वे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	9,89,43,47,386	9,64,85,12,907
ii)	गारंटी/साख पत्रों के फलस्वरूप	67,38,62,553	42,97,75,967
iii)	वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	72,24,92,243	16,78,26,751
iv)	हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v)	आंशिक रूप से चुकता किए गए शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों एवं उद्यम पूंजी निधि आदि से अनाहरित प्रतिबद्धता के फलस्वरूप	97,00,54,081	1,27,42,87,728
vi)	व्युत्पन्नी संविदाओं के फलस्वरूप	25,71,32,45,906	33,61,40,07,657
vii)	अन्य मदें जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है	-	-
योग		**37,97,40,02,169**	**45,13,44,11,010**

लाभहानि लेखे की अनुसूचियां

अनुसूची XII ब्याज और बट्टा

(राशि ₹ में)

		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1.	ऋण, अग्रिम और बिलों पर ब्याज और बट्टा	2,71,81,93,58,227	1,51,72,88,51,545
2.	निवेश/बैंक शेष पर आय	41,28,02,51,854	27,80,65,44,627
योग		**3,13,09,96,10,081**	**1,79,53,53,96,172**

अनुसूची XIII अन्य आय:

(राशि ₹ में)

		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1.	अपफ्रंट और प्रसंस्करण शुल्क	1,16,43,48,452	78,08,41,042
2.	कमीशन और दलाली	2,02,56,743	1,09,30,972
3.	निवेश की बिक्री से लाभ	86,65,00,642	44,63,03,402
4.	सहायक/सहयोगी संस्थाओं से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	34,13,05,185	27,14,88,889
5.	पिछले वर्षों के प्रावधानों का पुनरांकन	-	-
6.	अशोध्य ऋणों से वसूली	2,27,76,44,029	2,86,91,76,097
7.	प्रावधानों का प्रत्यावर्तन / एएफसीएल के अंतर्गत ईआरएफएफ	-	-
8.	अन्य	1,65,12,49,367	93,40,41,398
योग		**6,32,13,04,418**	**5,31,27,81,800**

अनुसूची XIV परिचालनगत व्यय:

(राशि ₹ में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	8,27,60,25,569	5,06,67,84,567
किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	22,08,27,134	18,17,03,219
मुद्रण और स्टेशनरी, डाक/कूरियर और टेली और बीमा	2,20,75,109	2,10,30,252
विज्ञापन और प्रचार	27,63,00,600	11,47,42,304
बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / परिशोधन	61,19,85,624	26,23,28,294
निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	53,14,229	81,12,867
लेखा परीक्षक की फीस	33,21,257	32,92,016
विधि प्रभार	1,97,89,911	2,97,91,239
मरम्मत और रखरखाव	39,81,24,019	27,60,81,381
निर्गम व्यय	7,77,36,100	5,60,22,041
पूंजी प्रतिबद्धता, प्रबंधन शुल्क आदि।	13,37,33,616	19,79,10,602
निविष्ट कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं	31,67,48,282	19,19,22,592
सीजीटीएमएसई को अंशदान	5,00,00,00,000	-
अन्य व्यय	3,28,87,17,942	1,82,56,08,261
योग	**18,65,06,99,392**	**8,23,53,29,635**

अनुसूची XV- महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 एवं उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का प्रयोग

सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करे, जो समेकित वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट की गई आय और व्यय को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। तथापि वास्तविक परिणाम उक्त आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा आकलनों में किसी पुनरीक्षण को संबंधित लेखा-मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप भविष्यलक्षी प्रभाव से वर्तमान और भावी अवधियों में दर्शाया जाता है।

2. राजस्व निर्धारण

राजस्व निर्धारण उस सीमा तक किया जाता है, जहां तक आर्थिक लाभ बैंक को प्राप्त होने की संभाव्यता हो और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।

क) आय:

i. दांडिक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है, सिवाय गैर निष्पादक आस्तियों के मामलों के, जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है।

ii. लाभ-हानि लेखे में आय को सकल रूप में अर्थात् आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों और बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार अन्य प्रावधानों के पूर्व दर्शाया जाता है।

iii. बिलों की भुनाई/ पुनर्भुनाई से प्राप्त भुनाई को तथा भुनाए गए लिखतों की भुनाई को लिखतों की पूरी मीयाद में सतत प्रतिफल आधार पर दर्शाया जाता है।

iv. मानक (निष्पादक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/ सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को आय के रूप में तब निर्धारित किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

vi. उद्यम पूंजी निधियों से होने वाली आय को वसूली के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। उद्यम पूंजी निधि के यूनिटों/ शेयरों, जो 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में हों, के मोचन को बिक्री नहीं माना जाता है।

vii. गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया जाएगा:

1) गैर-निष्पादक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज,

2) मूलधन,

3) लागत एवं प्रभार,

4) ब्याज एवं

5) दंडात्मक ब्याज

viii. प्रत्यक्ष समनुदेशन के जरिए ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ix. पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के प्रति प्राप्त राशियों को लाभ-हानि लेखे में आय के रूप में लिया जाता है।

x. किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि से लागू करों को घटाकर उसे पूँजी आरक्षितियों में विनियोजित कर दिया जाता है।

xi. सात वर्ष से अधिक की अवधि हेतु दावा न की गई देयताओं (सांविधिक देयताओं को छोड़कर) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में दर्शाया जाता है।

xii बैंक ने आयकर रिफंड पर ब्याज को, आयकर विभाग द्वारा जारी ऐसे रिफंड आदेशों/उन्हें प्रभावी करने वाले आदेशों की प्राप्ति के बाद, हिसाब में लिया है।

xiii उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन प्रभार, अधिवक्ता शुल्क, बीमा, अपफ्रंट शुल्क / प्रसंस्करण शुल्क आदि की वसूली नकद आधार पर हिसाब में ली जाती है।

xiv एलसी /बैंक गारंटी पर कमीशन को उपचय आधार पर, अवधि के अनुपात में, निर्धारित किया जाता है।

ख) व्यय:

i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया जाता है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया जाता है।

3. निवेश:

(i) निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को निम्नवत पुनः वर्गीकृत किया जाता हैः

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड,

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, जमा प्रमाणपत्र आदि)

(क) परिपक्वता तक धारित:

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर रखा जाता है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। अर्जन लागत अंकित मूल्य से अधिक होने पर, प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया जाता है। सहायक संस्थाओं में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) के लिए प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया जाता है।

(ख) व्यापार हेतु धारित:

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के निवेशों का स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखे में हिसाब में लिया जाता है।

ट्रेड / कोट किए गए निवेशों के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेड / कोट से लिया जाता है।

(ग) बिक्री हेतु उपलब्ध:

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया जाता है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाता है।

(ii) निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', या 'बिक्री के लिए उपलब्ध' या 'व्यापार के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

(iii) बट्टेवाले लिखत होने के नाते कोषागार बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यनिर्धारण रखाव मूल्य पर किया जाता है।

(iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं होती हैं / जिनका व्यापार नहीं होता है, उनका मूल्य निर्धारण फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

(v) जो निवेश भारत सरकार द्वारा प्रदत्त समूहनिधि या निधि में से किए जाते हैं और जिन्हें संबंधित निधि शेषराशियों से घटा दिया जाता है, उन्हें लागत पर रखा जाता है और वे भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन नहीं होते।

(vi) निवेशों में खरीद और बिक्री के संव्यवहारों को 'निपटान-तारीख' लेखांकन पद्धति के अनुसार दर्ज किया जाता है।

(vii) जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम के स्वरूप के माने जाते हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होते हैं।

(viii) निवेशों की लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति से किया जाता है।

(ix) खरीद/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

(x) ऋण-निवेश पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना जाता है और उसे लागत/बिक्री-राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

(xi) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में गैर-उद्धृत निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, म्यूचुअल फंड की यूनिटों का मूल्य निर्धारण उनके पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाता है।

(xiii) गैर-उद्धृत निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्यनिर्धारण परिपक्वता पर प्रतिफल आधार पर किया जाता है, जो समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों हेतु परिपक्वता पर प्रतिफल की दर के ऊपर उपयुक्त मार्क-अप के आधार पर होता है। ये मार्क अप और परिपक्वता पर प्रतिफल की दरें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार होती हैं।

(xiv) गैर-उद्धृत शेयरों का मूल्यनिर्धारण ब्रेकअप मूल्य पर किया जाता है, यदि निवेशिती कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध हों, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति कंपनी मूल्य ₹1/- है।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज़ किया जाता है। विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार निम्नलिखित रूप में किया जाता है।

i. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, संस्वीकृतियों, बेचानों एवं अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख को अधिसूचित बंद विनियम दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

iii. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया जाता है।

iv. विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था संबंधी पुनर्मूल्यांकन अन्तर को, विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंध हेतु भारत सरकार के परामर्श से, खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और दर्ज किया जाता है।

v. विदेशी मुद्रा संविदाओं और व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव व्यवस्था (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

vi. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

vii. जो बकाया वायदा विनिमय संविदाएं व्यापार के लिए नहीं होतीं, उनका पुनर्मूल्यांकन फेडाई द्वारा अधिसूचित विनियम दरों पर किया जाता है।

5. व्युत्पन्नियाँ

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं की बचाव व्यवस्था के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नियों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमयों का व्यापार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव- व्यवस्था के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है। संविदायी रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संविदाओं से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को रिपोर्ट किया जाता है।

6. ऋण एवं अग्रिम

i. ऋण और अन्य सहायता संविभाग को निरूपित करने वाली आस्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निष्पादक और गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

ii. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, गैर निष्पादक आस्तियों एवं पुनर्संरचित आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दर्शाए जाते है।

iii. मानक आस्तियों के प्रति सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

iv. चल प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप, किए और उपयोग में लाए जाते हैं।

7. कराधान

(i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली संभावित राशि और आय परिकलन और प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

(ii) आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियमित अथवा सारभूत रूप से अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की जाती है।

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित कर आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

(iv) विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों हेतु प्रावधान नहीं किए जाते हैं, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

8. प्रतिभूतीकरण

(i) बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

(ii) बैंक द्विपक्षीय प्रत्यक्ष समनुदेशन के अंतर्गत क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को खरीदता है। ऐसे प्रत्यक्ष समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(iii) बैंक प्रत्यक्ष समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हकदार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर प्रत्यक्ष समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

(iv) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों की जीवन अवधि तक हिसाब में लिया जा रहा है।

(v) आस्ति पुनर्गठन कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यनिर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जो इन लिखतों पर लागू होते हैं।

9. आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

(i) गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश आधार पर होती है। यदि बिक्री प्रतिभूति रसीद आधार पर होती है, तो उसके बिक्री प्रतिफल या उसके भाग को प्रतिभूति रसीदों के रूप में निवेश माना जाता है।

(ii) यदि आस्तियों की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान घटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर की जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रत्यावर्तन उतना ही होता है, जितनी कि प्राप्त राशि आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक होती हो।

10. स्टाफ लाभों हेतु प्रावधान:

क] सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ:

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर भारित होते हैं।

(ii) ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ आदि का प्रावधान तुलन-पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

(iii) बीमांकिक लाभों या हानियों को संबंधित अवधि के बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

(iv) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदायी योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक ही सीमित होता है। यह अंशदान लाभ-हानि लेखा पर भारित होता है।

(v) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए भुगतान उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा पर भारित होते हैं, जिस वर्ष व्यय होता है।

ख) सेवा-कालिक लाभ (अल्पावधि)

अल्पावधि लाभों के फलस्वरूप होने वाली देयता गैर-बट्टाकृत आधार पर निश्चित की जाती है और उसका निर्धारण उस सेवा अवधि में विस्तीर्ण होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार होता है।

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

i) स्थिर आस्तियाँ अर्जन की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति-हानियाँ, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाई जाती हैं।

ii) आस्ति की लागत में खरीद लागत और आस्ति को उपयोग की स्थिति में लाने से पूर्व उस पर किए गए सभी व्यय शामिल होते हैं। उपयोग की स्थिति में आ चुकी आस्तियों पर उसके बाद किए गए व्यय केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब इन आस्तियों से भावी लाभों या उनकी कामकाजी क्षमता में वृद्धि हो।

iii) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

a) फर्नीचर और फिक्स्चरः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियों के लिए - 100 प्रतिशत की दर से

b) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - 100 प्रतिशत की दर से

c) भवन - अवलिखित मूल्य पद्धति पर - 5 प्रतिशत की दर से

d) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियों के लिए - अवलिखित मूल्य-पद्धति - 50 प्रतिशत की दर से

e) मोटर कार- सरल रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से

iv) परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, और बिक्री/निस्तारण वर्ष में मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया जाता।

v) पट्टे वाली भूमि का परिशोधन पट्टे की पूरी अवधि में किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु प्रावधान:

एएस 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ) के अनुसार, जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए बैंक द्वारा प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है और तुलनपत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलनपत्र की अनुसूची के जरिए दिए जाते हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है।

13. अनुदान एवं सब्सिडी:

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालन लीज

एएस -19 के अनुसार, लीज किराए को लाभ-हानि लेखा में व्यय /आय के रूप में लीज अवधि में सरल रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

15. आस्तियों की क्षति

यदि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत होता है, तो प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सकेः

1) क्षति-हानि हेतु प्रावधान, यदि अपेक्षित हो; अथवा

2) पूर्ववर्ती अवधियों में निर्धारित क्षति-हानि हेतु प्रत्यावर्तन, यदि अपेक्षित हो,

क्षति-हानि का निर्धारण तब किया जाता है, जब किसी आस्ति की रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणी के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष, माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि तथा म्यूचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या उससे कम हो।

अनुसूची XVI - लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1 इंड ए एस का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 15 मई, 2019 को बैंकों को जारी पत्र के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक के वित्तीय विवरणों का आईजीएएपी के तहत तैयार किया जाना जारी है।

2.1 लेखांकन मानक 22, आय पर कर के लिए लेखांकन, के अनुसार, बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखे में आस्थगित कर आस्ति के रूप में ₹5,08,63,10,000/- की राशि निर्धारित की है (पिछले वर्ष - आस्थगित कर आस्ति ₹1,86,00,74,573 थी)।

2.2 यथा 31 मार्च, 2024 को आस्थगित कर आस्ति /(देयता) के अलग-अलग आँकड़ें निम्नवत हैं:

₹

	समय-अंतर	आस्थगित कर आस्ति /(देयता)	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	9,90,90,331	2,96,73,234
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशषे आरक्षिति	(4,47,95,70,414)	(4,07,64,80,346)
ग)	गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	25,11,88,222	6,23,93,197
घ)	खातों की पुन:संरचना के लिए प्रावधान	0	60,105
च)	गैर-निष्पादक निवेशों के लिए प्रावधान	75,81,90,678	83,40,09,746
छ)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	8,66,53,78,194	4,42,43,69,221
ज)	अन्य	1,64,46,52,052	57,85,93,831
	निवल आस्थगित कर आस्ति /(देयता)	**6,93,89,29,063**	**1,85,26,18,988**

3 आयकर के प्रावधान में निम्नलिखित शामिल है:

₹

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(i)	वर्तमान आयकर प्रावधान	17,72,36,61,000	12,39,91,57,313
(ii)	पिछले वर्षों का कम /(अधिक) आयकर प्रावधान	-	-

कर देयता की जाँच कर-परामर्शदाता द्वारा की गई है ।

4 अनुसूची XI में निर्दिष्ट आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं में ₹ 9,89,43,47,386 के "बैंक के खिलाफ दावे, जो ऋण नहीं माने गए हैं" शामिल है (पिछले वर्ष ₹9,64,85,12,907)। ये वर्तमान में चल रहे विभिन्न कानूनी मामलों के संबंध में सामान्य व्यवसाय के क्रम में बैंक के विरुद्ध दायर दावों और आयकर तथा अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा की गई मांगों को दर्शाते हैं। ये बैंकद्वारा प्रतिवादित हैं और विशेषज्ञ की राय के आधार पर प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है।

5 अनुसूची IV में उधारियों के अंतर्गत 'बॉण्ड व डिबेंचर' में निम्नलिखित शामिल हैं':

₹

		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क)	अप्रतिभूत बांड	8,11,80,29,00,000	4,67,55,00,00,000

6 अनुसूची x में अन्य आस्तियों के अंतर्गत व्यय, जहाँ तक कि वे बट्टे खाते में नहीं डाले गए हैं, में निम्नलिखित शामिल है :

₹

		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क)	उधारियों पर अग्रिम अग्रिम रूप से अदा किया गया ब्याज	-	-
ख)	अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - जमा पत्र	14,47,55,57,816	11,22,78,31,482
ग)	अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - वाणिज्यक पत्र	2,25,45,45,806	6,02,69,13,232
घ)	अप्रतिभूत बॉण्ड जारी करने पर व्यय	3,78,42,376	1,80,28,705
	योग	**16,76,79,45,998**	**17,27,27,73,419**

7 ब्याज व वित्तीय प्रभार

₹

		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क)	उधारियों पर ब्याज	1,41,98,14,76,356	68,47,97,90,498
ख)	जमा पर ब्याज	85,68,71,97,079	53,28,58,38,256
ग)	वित्तीय प्रभार	1,14,60,96,516	2,29,09,87,705
	योग	**2,28,81,47,69,951**	**1,24,05,66,16,459**

8	**पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिनके संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है (अदा किए गए अग्रिम को घटाकर)**	-	73,41,057

9 अनुसूची IX में परिसर केअंतर्गत परिसर खरीद के लिए अग्रिम, जो शून्य है (पिछले वर्ष ₹11,06,68,896) जो अब प्राप्त हो गया है और पिछले वर्ष में किए गए प्रावधान का प्रतिलेखन कर दिया गया है तथा प्रगति पर पूंजीगत कार्य ₹60,85,989.66 (पिछले वर्ष ₹1,63,402,411.58) शामिल हैं।

10 जाइका iv ऋण के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹43,60,88,890) के उधार को तुलन पत्र की 'अनुसूची IV - उधारियों' में अपने ऐतिहासिक रुपए मूल्य में अग्रेनीत किया गया है क्योंकि करार के अंतर्गत मूलधन चुकौती के प्रति सिडबी की देयता रुपया उधारियों और इस ऋण के लिए रख गए ईआरएफएफ में शेष के कुल योग से अधिक होने की संभावना नहीं है । इसी ईआरएफएफ खाते में 8% पर लागू ब्याज जमा किया जाता है और जापानी येन में देय ब्याज (समतुल्य रुपए में परिवर्तित) इस खाते के नामे किया जाता है। इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ में 31 मार्च, 2024 को शेष राशि ₹27,76,93,498.71) (पिछले वर्ष ₹12,80,09,250) है।

11 टिकाऊ और उत्तरदायित्व पूर्ण अल्प वित्त परियोजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए बैंक ने विश्व बैंक से 300 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था की संविदा की, जिसमे 65.9 मिलियन एसडीआर (100 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य) का आईडीए का हिस्सा भी शामिल है । आईडीए ऋण व्यवस्था के तहत, भारत सरकार उधारकर्ता है और भारत सरकार सिडबी को रुपए में ऋण देती है, यद्यपि करार की शर्तों के अनुरूप विनिमय जोखिम का वहन सिडबी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, हालांकि भारत सरकार ने सिडबी को रुपये में निधि जारी की ,सही स्थिति दर्शाने के लिए इसे सिडबी के लेखों में एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया ताकि वर्ष के अंत में आंकड़ों में पुनर्मूल्यांकन अंतर उपयुक्त रूप से परिलक्षित हो। तदनुसार,उक्त ऋण व्यवस्था के अंतर्गत यथा31 मार्च 2024 को भारत सरकार से आहरित 42.83 मिलियन एसडीआर (₹436.28 करोड़ के बराबर) [गत वर्ष एसडीआर 42.83 मिलियन (₹473.66 करोड़ के बराबर)] को एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया है तथा अंतर्निहित देयता की बचाव व्यवस्था अंतर मुद्रा ब्याज दर स्वैप के माध्यम से की गई है। इसका समूहन अनुसूची IV - 'भारत में उधारियों ' के अंतर्गत किया गया है।

12 (क) आकांक्षा निधि (ऐस्पायर फंड) ₹310 करोड़ की निधियों की निधि है, जिसका आवंटन एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है और जिसका प्रबंधन सिडबी को करना है। उक्त निधि का उपयोग ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को उत्प्रेरित करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों और क्षेत्रों में में नवाचार, उद्यमिता, विनिर्माण और सेवा प्रदायगी के विविध मूल्य श्रंखलाओं से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, त्वरक सहायता आदि को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट अप /आरंभिक चरण वाले उद्यमों को लक्ष्य करने वाली उद्यम पूँजी निधियों में निवेश के लिए किया जाता है।। ये निवेश (आकांक्षा निधि में से) न्यासी रूप में सिडबी द्वारा धारित हैं। निवेश की धनराशि को घटाकर, आकांक्षा निधि की शेष राशि का समूहन तुलनपत्र की "अन्य देयताओं" के अंतर्गत किया जाता है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय उक्त निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2024 तक निधि में शेष राशि ₹269,35,96,760 है (गत वर्ष ₹ 2,85,32,30,682)।

ख) भारत सरकार ने स्टार्ट अप्स में ईक्विटी सहायता बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से स्टार्ट-अप हेतु निधियों की निधि योजना (एफएफएस) बनाई है। योजना के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ का प्रस्ताव एफएफएस के तौर परकिया गया है, जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। सरकार ने एफएफएस के अतंर्गत ₹5686,29,44,000की निधि जारी कर दी है तथा अतिरिक प्रतिबद्धता की भी अनुमति प्रदान की है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने सिडबी को सूचित किया है कि वह वैकल्पिक निवेश निधि को प्रतिबद्धता देना जारी रखे। ये निवेश (एफएफएस में से) न्यासी रूप में सिडबी द्वारा धारित हैं। निवेश की धनराशि को घटाकर, एफएफएस की शेष राशि को तुलनपत्र में "अन्य देयताओं" के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2024 को निधि में शेष राशि ₹20,05,10,85,853 है (पिछले वर्ष ₹11,50,51,12,191)।

ग) उत्तर प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप नीति 2017 के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में स्टार्ट-अप्स की स्थापना और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रारंभिक कोष स्थापित करेगी। कोष, निधियों की निधि के रूप में होगा। इस मॉडल में, कोष सीधे स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश नहीं करेगा, बल्कि इसे सेबी द्वारा अनुमोदित निधियों में प्रतिभागिता करनी होगी। निधियों का प्रबंध सिडबी, निधि प्रबंधक द्वारा व्यावसायिक रूप से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹225 करोड़ की राशि जारी की है। ये निवेश (उ.प्र. स्टार्टअप निधि में से) सिडबी द्वारा न्यासी के रूप में धारित है/ होंगे। उ.प्र. स्टार्टअप कोष का निधि शेष , निवेश को घटाकर तुलनपत्र में "अन्य देयताओं" के तहत समूहीकृत किया गया है और सभी लाभ/हानि/ आय/व्यय निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निधि में शेष राशि ₹214,75,58,298 है (पिछले वर्ष ₹1,19,10,28,364)।

घ) ओडिशा सरकार का एमएसएमई विभाग स्टार्टअप हेतु दीर्घकालिक सहायता के लिए ₹100 करोड़ की आरंभिक समूह निधि स्थापित करेगा। यह निधि निधियों की निधि के रूप में होगी। इस मॉडल में, निधि सीधे स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश नहीं करेगी, बल्कि यह सेबी अनुमोदित निधियों में प्रतिभागिता करेगी। निधियों का प्रबंध सिडबी, निधि प्रबंधक द्वारा व्यावसायिक रूप से किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने अभी तक ₹25 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। ये निवेश (ओडिशा स्टार्टअप ग्रोथ फंड से) सिडबी द्वारा न्यासी के रूप में धारित होंगे। ओडिशा स्टार्टअप ग्रोथ फंड का निधि शेष, निवेश को घटाकर तुलनपत्र में "अन्य देयताओं" के तहत समूहीकृत है और सभी लाभ / हानि / आय / व्यय निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च, 2024 को निधि में शेष राशि ₹24,73,36,066 (पिछले वर्ष शून्य) है।

13 बैंक ने कुल मिलाकर ₹ 272,400,000,000 के अंकित मूल्य (बही मूल्य ₹ 2,69,04,48,00,772.83) [पिछले साल ₹1,45,95,00,00,000 (बही मूल्य ₹ 1,43,69,82,11,825)] की सरकारी प्रतिभूतियां त्रिपक्षीय रेपो संव्यवहार एवं निपटान (टीआरईपीएस) के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास गिरवी रखी है।

14 आईएफएडी ने 18 फरवरी, 2002 के ऋण करार के माध्यम से, सिडबी को 16.35 मिलियन एसडीआर का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, आईएफएडी ने यूएस डालर में ऋण संवितरण किया है और इसकी चुकौती एसडीआर के समतुल्य यूएस डालर में की जानी है। बैंक ने अपनी लेखा बहियों में तदनुसार लेखांकन किया है। 31 मार्च, 2024 को इस ऋण के संबंध में शेष राशि ₹99,22,22,858 है(गत वर्ष ₹1,05,46,39,489) ।

15 कर्मचारी लाभ

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी"कर्मचारी लाभ" संबंधी लेखांकन मानक(एएस 15) (2005 में पुनरीक्षित) के अनुसार बैंक ने अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है:

(क) निश्चित अंशदायी योजना

बैंक ने निम्नलिखित राशियाँ लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाई हैं:

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	12,15,49,983	9,18,53,963
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	12,81,87,062	8,95,82,393

(ख) बैंक की निश्चित लाभ पेंशन योजनाएं एवं ग्रेच्युटी योजना हैं, जिनका प्रबंध ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है।

₹ Crore

		पेंशन		ग्रेच्युटी	
		वित्त 2024	वित्त 2023	वित्त 2024	वित्त 2023
1.	**अवधारणाएँ**				
	भुनाई दर	7.20%	7.50%	7.20%	7.40%
	योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल की दर	7.20%	7.50%	7.20%	7.40%
	वेतन बढोतरी	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2.	**हित दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका**				
	वर्ष के आरंभ में देयता	679.80	576.93	107.40	108.95
	ब्याज लागत	25.92	24.65	7.57	7.09
	वर्तमान सेवा लागत	14.45	13.48	5.98	5.92
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	देयता अंतरण आगत	0.00	0.00	0.00	0.00
	(देयता अंतरण निर्गत)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ)	0.00	0.00	(13.97)	(12.44)
	देयताओं पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	47.53	64.74	4.90	(2.12)
	वर्ष के अंत में देयता	**767.70**	**679.80**	**111.88**	**107.40**
3.	**योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएं**				
	वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	635.76	589.61	102.30	105.92
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	47.68	42.75	7.41	7.08
	अंशदान	0.00	0.00	0.01	0.04
	अन्य कंपनी से अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
	(अन्य कंपनी को अंतरित)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ)	0.00	0.00	(13.97)	(12.44)

₹ Crore

		पेंशन		ग्रेच्युटी	
		वित्त 2024	वित्त 2023	वित्त 2024	वित्त 2023
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(1.27)	3.40	(0.36)	1.70
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**682.17**	**635.76**	**95.39**	**102.30**
4.	**बीमांकिक लाभ / हानि निर्धारण की तालिका**				
	उक्त अवधि के दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	47.53	64.74	4.90	(2.12)
	उक्त अवधि की आस्ति पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	1.27	(3.40)	0.36	(1.70)
	आय और व्यय विवरण में दर्शाया गया बीमांकिक (लाभ) / हानि	**48.80**	**61.34**	**5.26**	**(3.82)**
5.	**योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**				
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	47.68	42.75	7.41	7.08
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(1.27)	3.40	(0.36)	1.70
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**46.41**	**46.15**	**7.05**	**8.78**
6.	**तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि**				
	वर्ष के अंत में देयता	(767.70)	(679.80)	(111.88)	(107.40)
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	682.17	635.76	95.39	102.30
	अंतर	(85.53)	(44.04)	(16.49)	(5.10)
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित संक्रमणीय देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि	**(85.53)**	**(44.04)**	**(16.49)**	**(5.10)**
7.	**आय विवरणी में निर्धारित व्यय**				
	चालू सेवा लागत	14.46	13.48	5.98	5.92
	ब्याज लागत	25.92	24.65	7.57	7.09
	योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	(47.68)	(42.75)	(7.41)	(7.08)
	वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान संक्रमण देयता का निर्धारण	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) /हानि	48.80	61.34	5.26	(3.82)
	लाभ और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय	**41.50**	**56.72**	**11.40**	**2.11**
8.	**तुलनपत्र समाधान**				
	आरंभिक निवल देयता	44.04	(12.68)	5.10	3.03
	यथोक्त व्यय	41.50	56.72	11.40	2.11
	नियोक्ता का अंशदान	0.00	0.00	(0.01)	(0.04)
	तुलनपत्र में निर्धारित राशि	**85.54**	**44.04**	**16.49**	**5.10**

9. अन्य विवरण

कर्मचारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप वेतन बढोत्तरी पर विचार किया जाता है।

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्त 2024	वित्त 2023	वित्त 2024	वित्त 2023
10. आस्तियों की श्रेणी	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
कारपोरेट बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	682.17	635.76	95.39	102.30
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां				
अन्य	682.17	635.76	95.39	102.30
योग				

11. अनुभव समायोजन :

विवरण	पेंशन					ग्रेच्युटी				
	विव 2024	विव 2023	विव 2022	विव 2021	विव 2020	विव 2024	विव 2023	विव 2022	विव 2021	विव 2020
योजनागत देयता पर (लाभ) / हानि	17.32	85.05	15.71	(1.14)	46.87	3.44	1.60	0.65	(0.43)	3.28
योजनागत आस्ति पर (हानि) / लाभ	1.27	3.40	53.76	(1.15)	25.17	(0.36)	1.70	(0.22)	(0.13)	0.09

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन के अधार पर अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित निम्नलिखित राशियों को लाभ -हानि लेखा पर भारित किया गया है

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1	साधारण छुट्टी का नकदीकरण	31.61	40.97
2	बीमारी छुट्टी	-0.08	1.86
3	पुनर्वास व्यय	0.75	0.46
4	सेवानिवत्तृ पश्चात् चिकित्सा योजना सुविधाएँ	9.21	0.79

16 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (एएस-20) :

बैंक लेखांकन मानक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और तुनूकृत (डायल्यूटेड) अर्जन रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर, मूल अर्जन का परिकलन वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर-पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित कर किया जाता है। तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन उस संभावित कमी को दर्शाता है, जो उस स्थिति में हो सकती है, जब संबंधित अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदाओं का निष्पादन या रूपांतरण किया जाए। तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, कर-पश्चात निवल लाभ को वर्षांत पर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा तनुकरण योग्य संभावित ईक्विटी शेयरों के योग से विभाजित कर किया जाता है।

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
प्रति शेयर अर्जन के परिकलन के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (₹)	40,26,30,06,600	33,43,57,41,632
प्रति शेयर ₹10/ के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	56,85,41,169.00	56,85,41,169
प्रति शेयर अर्जन (₹)	70.82	58.81

* मूल प्रति शेयर अर्जन तथा तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन समान है, क्योंकि कोई तनुकरण हेतु संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं।

17 प्रस्तावित लाभांश, यदि कोई हो, को लेखाबही की अनुसूची V में देयता के रूप में लेखांकित किया जाता है।

18 प्रबंधन की राय में, लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि के अनुसार, बैंक कीं स्थिर आस्तियों में कोई महत्वपूर्ण हानि नहीं हुई है।

19 आकस्मिकताओं के संबंध में प्रावधान हेतु लेखांकन मानक 29 के अंतर्गत प्रकटन। बैंक के कर्मचारियों के वेतन भत्तों की प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर समीक्षा की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा 01 नवंबर, 2022 से अपेक्षित है।

विवरण	बकाया वेतन /प्रोत्साहन	
	विव 2024	विव 2024
अथशेष	**23,64,78,635**	**1,39,13,00,000**
जोड़ें :		
बकाया वेतन	1,17,22,22,552	65,69,31,704
प्रोत्साहन		
उपयोग	1,71,67,511	1,81,17,53,069
पुनरांकन		
इतिशेष	**1,39,15,33,676**	**23,64,78,635**

20 बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर(यूएफसीई) से उत्पन्न ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक पद्धति बना रखी है। बैंक द्वाराआवधिक आधार पर पूरे यूएफसीई संविभाग की समीक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक कें दिनांक 15/01/2014 के परिपत्र संख्या डीबीओबीडी सं. बीपी बीसी 85/21.06.200/2013-14 एवं दिनांक 03/06/2014 के परिपत्र संख्या डीबीओबीडी सं. बीपी बीसी 116/21.06.200/2013-14 के अनुवर्ती स्पष्टीकरणके अनुसार, यथा 31 मार्च 2024 को, यूएफसीई हेतु प्रावधान ₹15.72 करोड़ बनता है (गत वर्ष ₹9.48 करोड़), जिसे अनुसूची V के अंतर्गत मानक आस्तियों हेतु प्रावधान के तहत शामिल किया गया है।

21 सतत रूप से अपनाई गई पद्धति के अनुसार, उद्यम पूंजी निधि में मोचन का लेखांकन उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त वितरण पत्र के अनुसार किया जाता है, भले ही अंशदान करार में निर्दिष्ट विनियोग नीति कुछ भी हो।

22 निवेशकों की शिकायतें :

यथा 1 अप्रैल 2023 को बैंक के पास निवेशकों की कोई भी शिकायत निपटान के लिए लंबित नहीं थी। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान निवेशकों से "18" शिकायतें प्राप्त हुई थीं और वर्ष में "18" शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। तदनुसार 31 मार्च, 2024 तक "0" शिकायत निपटान के लिए लंबित थी।

23 आस्ति वर्गीकरण में विचलन और अनर्जक आस्तियो हेतु प्रावधान

01 अप्रैल, 2019 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32/21.04.018/2018-19 के अनुसार, यदि आरबीआई द्वारा निर्धारित अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान, प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक है और/या आरबीआई द्वारा चिह्नित अतिरिक्त सकल अनर्जक आस्तियां संबंधित अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल अनर्जक आस्तियों के 15% से अधिक हैं, तो बैंकों को आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का खुलासा करना होता है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों में किसी प्रकार का विचलन नहीं है।

24 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋणों की पुन:संरचना:

11 फरवरी, 2020 को आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों की पुन:संरचना की गई थी।कोविड-19 के परिणामों के कारण आरबीआई ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना' पर 06 अगस्त, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से व्यवहार्य एमएसएमई इकाइयों की सहायता करने के लिए उपरोक्त योजना का विस्तार किया। इसके अलावा आरबीआई ने परिपत्र आरबीआई/2021-22/32 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के माध्यम से समाधान ढाँचा 2.0 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कोविड -19 के दुष्प्रभावों का समाधान के संबंध में सूचित किया है। इन दिशानिर्देशों के तहत पुनर्संरचित एमएसएमई खाते इस प्रकार हैं:

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़)
915	554.34

25 दिनांक 07 जून, 2019 के आरबीआई के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित प्रकटन :

i) यथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक कार्यान्वित समाधान योजनाएं

मामलों की सं.	शेष बकाया राशि (करोड़ में)
शून्य	शून्य

ii) Details of Securities acquired due to conversion of debt to equity during a restructuring process:

विवरण	शेयरों/इकाइयों की संख्या	Face Value per share (in ₹)	Book Value(in ₹)
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii) आरबीआई के परिपत्र दिनांक 6 अगस्त, 2020 (समाधान ढांचा 1.0) और 5 मई 2021 (समाधान ढांचा 2.0) के अनुसार, यथा 31 मार्च, 2024 को कोविड-19 के दुष्प्रभावों के संबंध में आरबीआई समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजनाओंका विवरण निम्नानुसार है:

उधारकर्ता का स्वरूप	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछली छमाही के अंत की स्थिति (क)	उक्त (क) में से कुल कितना ऋण उक्त छमाही के दौरान एनपीए श्रेणी में चला गया	उक्त (क) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	उक्त (क) में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा अदा की गई राशि $	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	---	---	---	---	---
नैगम व्यक्ति	24.66	---	---	15.54	9.12
इन में से एमएसएमई	24.66	---	---	15.54	9.12
अन्य	---	---	---	---	---
योग	**24.66**	**---**	**---**	**15.54**	**9.12**

$ बकाया शेष में निवल परिवर्तन को दर्शाता है

iv) उधारकर्ता खातों की संख्या जहां समाधान ढाँचा - 2.0 पर आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर एसटीआर आरईसी 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के अनुसार समाधान योजना कार्यान्वित की गई: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधी दुष्प्रभावों का समाधान शून्य है। इसके अलावा, उन खातों के संबंध में कोई संशोधन स्वीकृत और कार्यान्वित नहीं किया गया जो समाधान ढाँचा 1.0 के तहत कार्यान्वित किए गए थे।

26 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार, मानक अग्रिमों के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के तहत न्यूनतम निर्धारित दरों से अधिक दरों पर अतिरिक्त प्रावधान किए हैं। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2024 को मानक अग्रिमों (पुनर्गठित खातों सहित) पर ₹1,538.90 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान किए है।

27 24 सितंबर, 2021 के ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर आरबीआई के मास्टर निर्देश के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिगृहीत ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. समनुदेशन के माध्यम से अधिगृहीत चूक रहित ऋणों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

विवरण	2023-24	2022-23
अधिगृहीत ऋणों की सकल राशि (₹ करोड़ में)	48.94	---
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता अवधि (महीनों में)	106.84	---
आरंभकर्ता द्वारा भारित औसत धारिता अवधि (महीनों में)	13.31	---
आरंभकर्ता द्वारा प्रतिधारित लाभकारी आर्थिक हित	20%	---
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	266.45%	---
रेटिंगयुक्त ऋणों का रेटिंग-वार वितरण	---	---

ii. हस्तांतरित अनर्जक आस्तियों के विवरण के ब्यौरे

₹ in crore

विवरण	एआरसी को	अनुमन्य हस्तांतरितियों को	अन्य हस्तांतरितियों को
खातों की संख्या	2	---	---
अंतरित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	939	---	---
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	एन.ए.	---	---
हस्तांतरित ऋणों का निवल अंकित मूल्य (हस्तांतरण के समय)	---	---	---
कुल प्रतिफल	455	---	---
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	---	---	---

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान,प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में किया गया निवेश ₹56.77 करोड़ था। प्रतिभूति रसीदों के लिए प्रावधान किया जाता है और इसलिए निवल बही मूल्य शून्य है। दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि लेखा में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान शून्य थे।

iii. बैंक ने ऐसा कोई भी ऋण हस्तांतरित नहीं किया है, जो चूकग्रस्त / विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) श्रेणी में नहीं है।

iv. बैंक ने किसीदबावग्रस्त ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है ।

28 आरबीआई के दिनांक 24 सितंबर, 2021 के मास्टर निदेश आरबीआई/डीओआर/2021-22/85 डीओआर . एसटीआर. आरईसी.53/21.04.177/2021-22 - (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021, एसपीई बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि और एमआरआर का अनुपालन करने के लिए तुलनपत्र की तारीख को प्रवर्तक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य है।

29 भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/2023-24/90 डीओआर. एसटीआर.आरईसी. 58/21.04.048/2023-24 - वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में निवेश और दिनांक 27 मार्च, 2024 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2023-24/140 डीओआर. एसटीआर. आरईसी .85/21.04.048/2023-24 के जरिए जारी परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए 110.64 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

30 अनुसूची ""XIV-परिचालन व्यय"" में बैंक द्वारा सीजीटीएमएसई को किया गया ₹500 करोड़ का अंशदान शामिल है।

31 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में लघु उद्योग विकास सहायता निधि (एसआईडीएएफ़) और सामान्य निधि के अंतर्गतलेखों की प्रस्तुति के लिए अलग प्ररूप निर्धारित किया गया है। चूंकि केंद्र सरकार द्वारा कोई अलग एसआईडीएएफ अधिसूचित नहीं किया गया है, सिडबी द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

32 पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए आवश्यकतानुरूप, उनका पुनःसमूहन और पुनःवर्गीकरण किया गया है।

अतिरिक्त प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार

1. पूंजी पर्याप्तता (बासेल I के अनुसार)

(राशि ₹ में)

क्र. स.	विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी *	लागू नहीं	लागू नहीं
iii)	कुल टियर 1 पूंजी	28,024.52	24,589.43
iv)	टियर 2 पूंजी	1027.03	623.95
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	29,051.55	25,213.38
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (जोभाआ)	1,82,277.73	1,30,691.61
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (जोभाआ का सामान्य ईक्विटी में प्रतिशत)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (जोभाआ का टियर 1 पूंजी में प्रतिशत)	15.37%	18.81%
ix)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति कुल पूंजी अनुपात प्रतिशत में)	15.94%	19.29%
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	20.85	20.85
xi)	जुटाई गई ईक्विटी पूंजी की राशि	-	-
xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो	-	-
	क) स्थायी गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)	-	-
	ख) स्थायी ऋण पत्र (पीडीआई)	-	-
xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूंजी राशि, जिसमें	-	-
	क) ऋण पूंजी लिखतें	-	-
	ख) स्थायी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)	-	-
	ग) शोध्य गैर संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-	-

* चूंकि बासेल III नहीं लागू है अत: आंकड़ों का वर्तमान में परिकलन नहीं किया गया है

2. निर्बंध आरक्षित निधियां और प्रावधान

(a) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (संचयी)	3,443.01	1757.94

(b) अस्थायी प्रावधान

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	495.67	495.67
लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
लेखा वर्ष में की गयी गिरावट की राशि*	0.00	0.00
अस्थायी प्रावधान खाते में इतिशेष	495.67	495.67

* 05 मई, 2021 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार और अस्थायी प्रावधान पर बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए प्रावधान करने के लिए राशि का उपयोग किया गया था।

3. आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

(a) अनर्जक अग्रिम राशियाँ

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
(i) निवल ऋण की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.00%	0.00%
(ii) अनर्जक आस्ति की प्रगति (सकल)		
(क) अथशेष	33.35	217.62
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	129.38	93.39
(ग) वर्ष के दौरान कमी	62.91	277.66
(घ) इति शेष	99.82	33.35

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
(iii) निवल अनर्जक आस्ति की प्रगति*		
(क) अथशेष	8.56	132.10
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(1.29)	(82.66)
(ग) वर्ष के दौरान कमी	7.27	40.88
(घ) इति शेष	(0.00)	8.56
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में प्रगति (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	24.79	85.52
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	130.66	176.05
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना	55.63	236.78
(घ) इति शेष	99.82	24.79

*यदि चल प्रावधान की राशि उसके साथ समायोजित है तो पिछले वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति शून्य होगी *

(ख) अनर्जक निवेश

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
निवल निवेश की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.00%	0.00%
(ii) अनर्जक निवेश (सकल) की प्रगति		
(क) अथशेष	331.38	350.16
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	350.31	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.80	18.78
(घ) इति शेष	**680.89**	**331.38**
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
(क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
(घ) इति शेष	**0.00**	**0.00**
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में प्रगति (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	331.38	350.16
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान *	350.31	0.00
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना	0.80	18.78
(घ) इति शेष	**680.89**	**331.38**

*इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹297.76 करोड़ के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, ‘52.44 करोड़ की प्रतिभूति प्राप्ति, ‘56.77 करोड़ का प्रारंभिक निवेश) और ऋण के रूपांतरण के माध्यम से ‘0.01 करोड़ का इक्विटी शेयर शामिल हैं।

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
(i) निवल आस्तियों का निवल अनर्जक आस्तियां (ऋण + निवेश) (%)	0.00%	0.00%
(ii) अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल ऋण + सकल निवेश)		
(क) अथशेष	364.74	567.79
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	479.69	93.39
(ग) वर्ष के दौरान कमी	63.71	296.44
(घ) इति शेष	**780.72**	**364.74**
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
(क) अथशेष	8.56	132.10
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(1.29)	(82.66)
(ग) वर्ष के दौरान कमी	7.27	40.88
(घ) इति शेष	**0.00**	**8.56**
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	356.18	435.69
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	480.98	176.05
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना	56.44	255.56
(घ) इति शेष	**780.72**	**356.18**

(d) पुनर्संरचित खाते का प्रकटीकरण

(₹ Crore)

क्र सं.	पुनर्संरचना का स्वरूप → / आस्ति वर्गीकरण → / ब्यौरे		एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के तहत				अन्य					योग				
			अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (आरंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	8	0	0	-	**8**	8	0	0	-	**8**
		बकाया राशि	-	-	-	-	27.09	-	0.00	-	**27.09**	27.09	-	0.00	-	**27.09**
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	0.02	0.00	(0.00)	-	**0.02**	0.02	0.00	(0.00)	-	**0.02**
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	9	-	-	**9**	-	9	-	-	**9**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	24.35	-	-	**24.35**	-	24.35	-	-	**24.35**
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0	-	-	-	**-**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
4	पुनर्रचित मानक अग्रिम जिनमें वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भारित किया जाना अपेक्षित नहीं होता और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है /	उधारकर्ताओं की संख्या				-	(5)				**(5)**	(5)				**(5.00)**
		बकाया राशि				-	(7.13)				**(7.13)**	(7.13)				**(7.13)**
		उन पर प्रावधान				-	(0.01)				**(0.01)**	(0.01)				**(0.01)**
5	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	0	-	**-**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों का बट्टे खाते में डालना #	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	(1)	(7)	-	-	**(8)**	(1)	(7)	-	-	**(8)**
		बकाया राशि	-	-	-	-	(3.37)	(9.37)	-		**(12.74)**	(3.37)	(9.37)	-	-	**(12.74)**
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	(0.01)	-	-		**(0.01)**	(0.01)	-	-	-	**(0.01)**
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	2	2	-	-	**4**	2	2	0	-	**4**
		बकाया राशि	-	-	-	-	16.60	14.99	0.00	-	**31.59**	16.60	14.99	0.00	-	**31.59**
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	(0.00)	0.00	(0.00)	-	**(0.00)**	(0.00)	0.00	(0.00)	-	**(0.00)**

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर, जिन पर उच्चतर प्रावधानीकरण अथवा जोखिम भार (यदि प्रयोज्य हो तो) लागू नहीं होते हैं।

"नोट : क्रमांक 6 के आंकड़ों में मौजूदा पुनर्संरचित खातों के संबंध में ₹3.25 करोड़ की कटौती/वसूली के बकाया निवल में वृद्धि शामिल है।

(घ) अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
यथा 01 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (अथ शेष)	33.35	217.62
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	129.38	93.39
उप-योग	**162.73**	**311.01**
घटाएँ:- (ख)		
(i) उन्नयन	6.72	35.01
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	1.84	23.84
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टा खाता	54.35	211.42
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाले गए*	-	7.39
उप-योग (ख)	**62.91**	**277.66**
यथा 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (क- ख)	**99.82**	**33.35**

(च) बट्टे खाते में डालना एवं वसूलियां

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
01 अप्रैल तक तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों का अथशेष	2,768.23	3,389.19
जोड़िए: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	54.35	211.42
उप-योग (क)	**2,822.58**	**3,600.61**
घटाएं: वास्तविक बट्टे खाते *	966.48	543.57
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में से की गई वसूलियाँ	228.13	288.81
उप-योग (ख)	**1,194.61**	**832.38**
31 मार्च को इति शेष (क-ख)	**1,627.97**	**2,768.23**

*इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹297.76 करोड़ के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, ‘52.44 करोड़ की प्रतिभूति प्राप्ति, ‘56.77 करोड़ का प्रारंभिक निवेश) और ऋण के रूपांतरण के माध्यम से ‘0.01 करोड़ का इक्विटी शेयर शामिल हैं।

(छ) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
कुल आस्तियां	निल	निल
कुल अनर्जक आस्तियां	निल	निल
कुल राजस्व	निल	निल

(ज) मूल्यह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	**37,118.30**	**29,450.89**
(क) भारत में	37,118.30	29,450.89
(ख) भारत से बाहर	-	-
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**708.39**	**362.23**
(क) भारत में	708.39	362.23
(ख) भारत से बाहर	-	-
(iii) निवल निवेश	**36,409.91**	**29,088.66**
(क) भारत में	36,409.91	29,088.66
(ख) भारत से बाहर	-	-

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति		
(i) अथशेष	30.85	4.80
(ii) जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	26.05
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में किए गए विनियोजन, यदि कोई हो तो,	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित / बट्टे खाते में डाले गए *	3.35	-
(v) घटाएं: अंतरण, निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में, यदि कोई हो तो	-	-
(vi) इति शेष	**27.50**	**30.85**

*बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते में ₹ 2.51 करोड़ (लागू करों का निवल) का विनियोजन किया है।

(i) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(राशि ₹ में)

लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं के अलग -अलग विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
निवेश पर मूल्यह्रास /अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	(8.38)	7.27
अनर्जक आस्ति हेतु प्रावधान	129.23 @	157.78 @
आयकर के संबंध में किया गया प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति / देयता सहित)	1263.74	1053.91
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (विवरण सहित) $	1784.65 $	693.09 $

@ पुनर्संरचना प्रावधान का निवल

$ इसमें मानक आस्तियों के लिए प्रावधान शामिल है

(j) प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)

(राशि ₹ में)

	वि व 2023-24	वि व 2022-23
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)*	100.00%	99.69%

* पीसीआर के परिकलन के समय अस्थिर प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है *

(k) धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान

(राशि ₹ में)

	वि व 2023-24	वि व 2022-23
वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले की सं.	2	8
धोखाधड़ी में शामिल धनराशि	17.33	32.54
वर्ष के अंत में धोखाधड़ी में शामिल वसूली /बट्टे खाते में डालने /अप्राप्त ब्याज की निवल राशि	16.79	26.73
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	1.13
उक्त खातों के लिए वर्ष के अंत में धारित प्रावधान	16.79	26.73
वर्ष के अंत में "अन्य आरक्षितियों" से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि	-	-

4. निवेश संविभाग : संघटन और परिचालन

(क) रेपो संव्यवहार

(राशि ₹ में)

	वित्त वर्ष 2024 के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वित्त वर्ष 2024 के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वित्त वर्ष 2024 के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	23,510.00	7,494.65	18,985.00
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	22,746.00	961.13	500.00
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	-	-	-	-

(राशि ₹ में)

	वित्त वर्ष 2023 के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वित्त वर्ष 2023 के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वित्त वर्ष 2023 के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2023 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	13,673.20	2720.28	10543.96
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	14,994.39	1,632.35	1,998.89
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियां	-	-	-	-

(ख) ऋण-प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ताओं की संघटना का प्रकटीकरण

(राशि ₹ में)

जारीकर्ता	राशि	Amount as on March 31, 2024			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी से निम्न स्तर की अवधारित प्रतिभूतियां	बगैर रेटेड अवधारित प्रतिभूतियां	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	49.56	-	-	-	-
(ii) वित्तीय संस्थाए	2,861.89	2,861.89	-	189.84	189.84
(iii) बैंक	3,833.19	3,833.19	-	103.50	103.50
(iv) निजी कार्पोरेट	754.61	754.61	-	754.61	746.57
(v) अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम	1,751.05	1,751.05	-	1,751.05	1,751.05
(vi) अन्य	963.52	963.52	-	963.52	963.52
(vii) मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	-708.39	-	-	-	-
योग	**9,505.43**	**10,164.26**	**-**	**3,762.52**	**3,754.48**

(ग) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, बैंक ने मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार वेंचर कैपिटल फंड में निवेश का एचटीएम से एएफएस श्रेणी में अंतरण कर दिया। उपरोक्त को छोड़कर, एचटीएम श्रेणी में/से निवेश पर कोई अंतरण नहीं हुआ था।

5. खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरे

(क) आस्ति पुनर्निमाण के उद्देश्य से प्रतिभूतीकरण / पुनर्निमाण कंपनियों को बेची गईं वित्तीय आस्तियों के विवरण

(i) बिक्री के ब्यौरे

(राशि ₹ में)

विवरण		वि व 2023-24	वि व 2022-23
(i)	खातों की संख्या	2	Nil
(ii)	एस सी /आर सी को बेचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	0.00	Nil
(iii)	सकल प्रतिफल	455.30	Nil
(iv)	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	Nil	Nil
(v)	निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	Nil	Nil

(ii) प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

(राशि ₹ में)

विवरण		प्रतिभूति प्राप्तियों में किए गए निवेशों के बही मूल्य	
		वि व 2023-24	वि व 2022-23
(i)	एआईएफआई द्वारा आधार-आस्ति के रूप में बेची गई गैर निष्पादित आस्ति द्वारा समर्थित	52.71	0.27
(ii)	बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आधार-आस्ति के रूप में बेची गई गैर निष्पादित आस्ति द्वारा समर्थित	-	-
योग		**52.71**	**0.27**

ख) खरीदी गयी /बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण:

(राशि ₹ में)

विवरण		वि व 2023-24	वि व 2022-23
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	Nil	Nil
	(ख) सकल बकाया	Nil	Nil
2.	(क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	Nil	Nil
	(ख) सकल बकाया	Nil	Nil

(ii) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
1. बेचे गए खातों की संख्या	z	Nil
2. सकल बकाया	939.14	Nil
3. सकल प्राप्त प्रतिफल	455.30	Nil

6. परिचालन परिणाम

(राशि ₹ में)

विवरण		वि व 2023-24	वि व 2022-23
(i)	औसत कार्यशील निधि (%) का ब्याज आय प्रतिशत	6.74	5.37
(ii)	औसत कार्यशील निधि (%) के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय	0.14	0.16
(iii)	(प्रावधान पूर्व) औसत कार्यशील निधि (%) के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.55	1.57
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व) (%)	1.14	1.32
(v)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	3.72	3.22

7. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी बाजार संबंधी जोखमि

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो;	585.32	320.03
(ii) शेयरों / बांडों /ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, (आईपीओएस /ईएसओपीएस) परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों में निर्बंध आधार पर व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश।	-	-
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के जरिये प्रतिभूत हो यानी जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम कवर न हुआ हो।	-	-
(v) स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की ओर से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम/ गारंटियाँ जारी करना	-	-
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कं पनियों की ईक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए निर्बंध आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कं पनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा लिया गया हामीदारी अंकन की प्रतिबद्धता	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्तीय सहायता	-	-
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्स्पोज़र	1,060.53	1,173.59
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**1,645.85**	**1,493.62**

(ख) देश जोखमि का एक्सपोजर

(राशि ₹ में)

जोखिम श्रेणी	वि व 2023-24		वि व 2022-23	
	निवल वित्त पोषित एक्सपोजर	किया गया प्रावधान	निवल वित्त पोषित एक्सपोजर	किया गया प्रावधान
नगण्य	17,782.87	43.80	10,902.69	26.40
निम्न	1,049.64	-	1,018.09	-
मामूली	30.90	-	15.90	-
उच्च	5.96	-	5.64	-
अत्यधिक उच्च	-	-	-	-
निर्बंधित	-	-	-	-
ऑफ-क्रेडिट	-	-	-	-
योग	**18,869.37**	**43.80**	**11,942.32**	**26.40**

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएँ - एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता / सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि

क्र.सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट सं	उद्योग का नाम	क्षेत्र	प्रदत्त निधि राशि	गैर-निधि राशि	जोखिम, पूंजी निधियों के % में
1	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल

ii) पूंजी निधियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्स्पोजर और कुल आस्तियों के सन्दर्भ में उनका प्रतिशत :

क्रम सं.	विवरण	वि व 2023-24		वि व 2022-23	
		कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में	कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में
1	एकल बड़े उधारकर्ता	13.93%	250.51%	14.88%	237.41%
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नही			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	69.75%	1254.53%	70.68%	1127.93%
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नही			

iii) कुल ऋण आस्तियों का पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत :

(राशि ₹ में)

उद्योग का नाम	वि व 2023-24	
	ऋण एक्सपोजर	कुल ऋण आस्तियों को %
वस्त्र	4179.00	0.92
धातु उत्पाद	3490.00	0.77
प्लास्टिक उत्पाद	2446.00	0.54
परिवहन उपकरण	2155.00	0.47
केमिकल एवं केमिकल उत्पाद	1649.00	0.36

(राशि ₹ में)

उद्योग का नाम	वि व 2022-23	
	ऋण एक्सपोजर	कुल ऋण आस्तियों को %
वस्त्र	1373.15	0.39
धातु उत्पाद	1303.56	0.37
प्लास्टिक उत्पाद	1298.56	0.36
परिवहन उपकरण	707.12	0.20
केमिकल एवं केमिकल उत्पाद	648.03	0.18

(iv) कुल अग्रिम राशि, जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि लिया गया है, वह शून्य है

(v) बैंक ने ट्रेड्स के तहत वित्त वर्ष 2024 में '1424.89 करोड़ और वित्त वर्ष 2023 में '545.12 करोड़ की फैक्टरिंग एक्सपोजर राशि ली थी।

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

(घ) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं, ऋण जोखिम-राशि एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारिया	3,75,323.76	2,86,928.23
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां का उधार प्रतिशत	78.70%	78.46%

(ii) ऋण जोखिम का संकेद्रण

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	3,52,318.00	2,83,925.02
कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	77.26%	79.65%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़ार	3,69,107.68	3,09,645.04
कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	71.33%	74.35%

(iii) ऋण-जोखिम-राशि और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्र-वार संकेन्द्रण

(राशि ₹ में)

क्रम सं.		वि व 2023-24			वि व 2022-23		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	**औद्योगिक क्षेत्र**	3,92,119.53	81.21	0.02%	3,18,130.93	14.74	0.00%
1	केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
2	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
3	राज्य सरकार	2,111.20	-	-	1,541.63	-	-
4	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,62,506.42	-	-	2,97,468.25	-	-
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	530.12	-	-	605.00	-	-
7	सहकारी बैंक	64.72	-	-	100.00	-	-
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	26,907.07	81.21	0.30%	18,416.05	14.74	0.08%
II.	**अल्प वित्त क्षेत्र**	8,789.94	18.61	0.21%	4,918.26	18.61	0.38%
III.	**अन्य ***	55,205.42	-	-	33,414.67	-	-
	योग (I+II+III)	**4,56,114.89**	**99.82**	**0.02%**	**3,56,463.86**	**33.35**	**0.01%**

* गैरबैंकिंग वित्त कं पनियों को दिए गए अग्रिम भी शामिल हैं।

8. व्युत्पन्नियाँ

(क) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	निल	123.72
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियां	निल	(1.91)
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक-प्रतिभूति	निल	Nil
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	निल	0.00
v)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	निल	(1.91)

31 मार्च, 2024 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नवत हैं:

क्रम सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	न्यूनतम मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	निल	निल	निल	निल

31 मार्च, 2023 तक आईआरएस की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं

क्रम सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	न्यूनतम मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	1	भा. रु. में 123,72,29,020.00	6 एम यूएसडी लिबोर	नियत प्राप्य राशि बनाम / चल देयताएं

(ख) विनिमय बाजार में खरीदे-बेचे जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नियों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	निल	निल
ii)	यथा 31 मार्च को बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नियों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	निल	निल
iii)	बकाया और अत्यन्त प्रभावी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नियों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं	निल	निल
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नियों का मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	निल	निल

(ग) व्युत्पन्नियों में सम्बद्ध जोखिम राशि का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है. बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में है जो एमटीएम न होकर के वल रूपांतरित हैं. बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता है।

(2) आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा- निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती है. व्युत्पन्नी संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही अपनाया गया है. व्युत्पन्नियों के सौदों से संबंधित विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को भी दी जाती है।

(3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्नी सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन करने के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

(घ) ऋण चूक स्वैप पर प्रकटीकरण - बैंक ने वर्ष के दौरान कोई ऋण चूक स्वैप नहीं किया है।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2023-24		वि व 2022-23	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	2,571.32	-	3,361.40	123.72
	बचाव के लिए	2,571.32	-	3,361.40	123.72
	व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित	431.60	-	535.51	(1.91)
	आस्ति (+)	431.60	-	535.51	
	देयता (-)	-	-	-	1.91
3	ऋण एक्सपोजर [2]	544.66	-	730.12	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला संभावित प्रभाव (100* पी वी 01)	24.44	-	1,681.43	(0.72)
	बचाव व्युत्पन्नियों पर	24.44	-	1,681.43	(0.72)
	व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यून तम 100* पी वी				
	बचाव पर	479.62/24.44	-	1912.87/0.56	(0.72)/(2.47)
	व्यापार पर	-	-	-	-

9. जारी किए गए आश्वस्ति पत्रों का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी आश्वस्ति पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए आश्वस्ति पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं तथा अग्रिमों के विवरण निम्नवत हैं:

(राशि ₹ में)

यथा 31 मार्च, 2023 को एलओसी संबंधी बकाया		वर्ष के दौरान जारी एलओसी		वर्ष के दौरान उन्मोचित की गयी एलओसी		यथा 31 मार्च, 2024 को एलओसी संबंधी बकाया	
एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि
-	-	-	-	-	-	-	-

10. आस्ति-देयता प्रबंध

(राशि ₹ में)

	1 to 14 दिन	15 to 28 दिन	29 दिन 3 माह	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा राशियां	76.99	40.44	495.63	11,872.74	40,440.86	1,46,694.30	3,935.01	2,828.24	2,06,384.21
अग्रिम	6,871.41	1,596.48	34,500.10	70,603.42	77,188.75	2,43,482.65	19,390.78	2,381.51	4,56,015.10
निवेश	6,216.61	5,971.86	17,640.19	20,619.02	3,072.63	893.60	1,500.00	3,110.49	59,024.40
उधारियां	21,336.08	12,250.00	77,852.82	26,885.08	56,073.23	50,431.07	25,348.64	368.57	2,70,545.49
विदेशी मुद्रा आस्तियां	5.03	8.45	1,453.75	73.32	1,482.21	490.20	303.82	0.92	3,817.70
विदेशी मुद्रा देयताएं	1.06	7.47	1,099.64	66.81	408.60	880.64	602.93	259.50	3,326.65

11. आरक्षितियों से आहरित

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है

12. व्यवसायगत अनुपात

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	17.96	16.98
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	1.14	1.32
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	3.72	3.22

13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

आरबीआई द्वारा बैंक पर पिछले वर्ष और इस वर्ष किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है

14. ग्राहकों की शिकायतें

1. बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें

विवरण		वि व 2023-24	वि व 2022-23
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1	1
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	163	230
3	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	161	230
3(i)	जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	48	83
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	3	1

2. ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के पांच बड़े आधार

शिकायतों के आधार, (अर्थात मद विशेष संबंधी शिकायत)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	वि व 2024				
ऋण और अग्रिम	-	30	(14.29)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना /अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	-	22	(37.14)	-	-
अन्य	1	46	(13.21)	-	-
	वि व 2023				
ऋण और अग्रिम	-	35	(18.60)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना /अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	-	35	34.62	-	-
अन्य	1	53	(67.88)	1	-

आरबीआई ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने करने के संबंध में दिनांक 27.01.2021 के अपने परिपत्र सं. सीईपीडी. सीओ.पीआरडी. 01/13.01.013/2020-21 के माध्यम से शिकायतों को 16 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था और बैंकों को तदनुसार प्रकटीकरण करने का परामर्श दिया था।

15. प्रायोजित किये गए तुलन-पत्रेतर एसपीवी

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एस पी वी प्रायोजित कोई तुलन-पत्रेतर आंकड़ा नहीं है।

16. विशिष्ट लेखांकन- मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5- अवधि का निवल लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में आय - 'अन्य आय' में वित्त वर्ष 2023-24 [पिछला वर्ष '10,08,72,058] के लिए '49,48,292 की पूर्व अवधि की आय और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूची XIV - 'परिचालन व्यय' में अन्य व्यय शामिल हैं, जिसमें '3,55,13,145 [पिछले वर्ष '1,22,71,798] का पूर्व अवधि व्यय शामिल है।

(ख) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

जैसाकि आरबीआई के मास्टर निदेशों और लेखा मानक-17 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' के तहत अपेक्षित है, बैंक ने प्राथमिक खंड के रूप में "व्यवसाय खंड" का प्रकटन किया है। चूंकि बैंक भारत में परिचालन संपन्न करता है, इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं हैं। व्यवसाय सेगमेंट के तहत, बैंक ने अपने तीन रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में थोक परिचालन (प्रत्यक्ष वित्तपोषण), थोक परिचालन (पुनर्वित्त) और ट्रेजरी की पहचान की है। उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम प्रोफाइल, संगठन संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन खंडों को चिह्नित किया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है और चालू वर्ष की पद्धति के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

भाग क : व्यवसाय खण्ड

(राशि ₹ में)

व्यवसाय खंड		थोक परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		थोक परिचालन (पुनर्वित्त)		ट्रेजरी		कुल	
विवरण		वि व 2024	वि व 2023	वि व 2024	वि व 2023	वि व 2024	वि व 2023	वि व 2024	वि व 2023
1	**खंड राजस्व**	2,314.39	1,554.09	25,392.62	14,088.67	4,235.10	2,842.05	31,942.11	18,484.81
	असाधारण मदें							-	-
	योग							**31,942.11**	**18,484.81**
2	**खंड परिणाम S**	82.83	379.02	4,410.32	3,109.40	1,837.06	1,238.47	6,330.21	4,725.89
	असाधारण मदें							(500.00)	-
	योग							**5,830.21**	**4,725.89**
	अविनिधानीय खर्चे							540.17	328.41
	परिचालन लाभ							**5,290.04**	**4,397.48**
	आयकर (पुनरांकन के बाद)							1,263.74	1,053.91
	कर पश्चात् निवल लाभ							**4,026.30**	**3,343.57**

(राशि ₹ में)

व्यवसाय खंड		थोक परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		थोक परिचालन (पुनर्वित्त)		ट्रेजरी		कुल	
विवरण		वि व 2024	वि व 2023	वि व 2024	वि व 2023	वि व 2024	वि व 2023	वि व 2024	वि व 2023
3	**अन्य सूचना**								
	खंड आस्तियां	29,089.78	20,055.91	4,29,333.11	3,37,995.11	60,374.84	41,111.89	5,18,797.73	3,99,162.91
	अविनिधानीय आस्तियां							3,724.24	3,219.82
	कुल आस्तियां							**5,22,521.97**	**4,02,382.73**
	खण्ड देयताएं	24,107.47	15,883.66	4,04,860.85	3,16,857.75	58,030.68	39,112.64	4,86,999.00	3,71,854.05
	अविनिधानीय देयताएं							4,122.85	3,025.62
	योग							**4,91,121.85**	**3,74,879.67**
	पूंजी /आरक्षितियां	4,815.95	4,155.25	23,885.78	21,028.09	2,697.39	2,319.03	31,399.12	27,502.37
	योग							**31,399.12**	**27,502.37**
	कुल देयताएं							**5,22,521.97**	**4,02,382.73**

भाग ख: भौगोलिक खंड - बैंक का संचालन केवल भारत तक ही सीमित है, इसलिए रिपोर्ट योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

(ग) लेखांकन मानक 18 - सबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

(i) संबंधित पक्षकारों के ब्यौरे

इकाई का नाम	संबंध का स्वरूप
सिडबी उद्यम पूंजी लिमिटेड	सहायक
सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	सहायक
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड	सहायक
इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	सहायक
एक्यूट रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	सहायक
रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	सहायक
इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	सहायक
किटको लिमिटेड	सहायक

(ii) प्रमुख प्रबंध कार्मिक

श्री सिवसुब्रमणियन रमण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबंध निदेशक
श्री प्रकाश कुमार	उप प्रबंध निदेशक

(iii) संबंधित पक्षकारों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(राशि ₹ में)

मदें /संबंधित पक्ष	सहायक	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक @	प्रमुख प्रबंध कर्मियों के रिश्तेदार	योग
उधारियां#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
जमा#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	28.36	-	-	28.36
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	28.36	-	-	28.36
जमा स्थानन#		-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
अग्रिम#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
निवेश#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	1,751.05	36.10	-	-	1,787.15
वर्ष के दौरान अधिकतम	1,751.05	36.10	-	-	1,787.15

(राशि ₹ में)

मदें /संबंधित पक्ष	सहायक	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक @	प्रमुख प्रबंध कर्मियों के रिश्तेदार	योग
गैर-वित्तपोषित प्रतिबद्धताएं #	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
लीजिंग व्यवस्था का उठाया गया लाभ #	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
प्रदान की गई लीजिंग व्यवस्था #	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	1.32	-	-	1.32
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-
प्राप्त लाभांश	33.52	0.61	-	-	34.13
भुगतान किया गया लाभांश	-	-	-	-	-
सेवा प्रदायगी*	10.46	1.71	-	-	12.17
सेवाओं की प्राप्ति*	-	2.04	-	-	2.04
प्रबंध संविदाएं**			1.32	-	1.32

@निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकट किया जाना है ।

* करारगत सेवाएं आदि किन्तु विप्रेषण सुविधाएँ, लाकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवाएं नहीं हैं।

** मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक

17. अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएं

पेंशन एवं उपदान देयतओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर किया जाता है. बीमांकिक लाभ /हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिया गया है, उनका परिशोधन नहीं किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे. काला एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
साझेदार
एम नं. 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

अजित नाथ झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

के एस नगन्याल
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक: 29 मई, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह

(राशि ₹ में)

31 मार्च, 2023	विवरण	March 31, 2024	March 31, 2024
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
43,97,48,24,372	लाभ और हानि लेखे के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		52,90,03,57,600
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
26,23,28,294	मूल्यह्रास	61,19,85,624	
26,05,29,926	निवेश में निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(5,02,33,594)	
9,19,41,00,782	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	21,94,83,07,591	
(44,63,03,402)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(86,65,00,642)	
(1,33,74,835)	स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(35,10,094)	
(32,37,39,322)	निवेशों से प्राप्त आय	(44,40,80,907)	21,19,59,67,978
52,90,83,65,815	**परिचालनों से उपार्जित नकदी**		**74,09,63,25,578**
	(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन:		
(12,79,59,67,735)	चालू आस्तियां	(14,45,33,49,720)	
16,38,89,72,497	चालू देयताएँ	32,21,40,51,206	
(5,17,69,19,134)	विनिमय बिल	(8,82,05,13,503)	
(15,36,08,86,06,820)	ऋण एवं अग्रिम	(9,87,68,98,47,680)	
12,49,45,48,36,350	बॉन्डों व डिबेंचरों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	6,98,87,56,36,090	
2,41,57,71,89,722	प्राप्त जमा	4,13,48,06,25,970	
(46,64,04,95,120)			**1,33,60,66,02,363**
6,26,78,70,695			2,07,70,29,27,941
(12,60,92,47,571)	कर अदायगी	(18,69,81,10,436)	(18,69,81,10,436)
(6,34,13,76,876)	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह**		**1,89,00,48,17,505**
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(28,16,59,013)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/ विक्रय	(50,64,13,769)	
8,41,52,41,728	निवेशों का निवल (क्रय)/ विक्रय/ मोचन	(1,78,05,14,54,078)	
32,37,39,323	निवेशों पर प्राप्त आय	44,40,80,908	
8,45,73,22,038	**निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(1,78,11,37,86,939)**
	3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
-	शेयर पूंजी के निर्गम एवं शेयर प्रीमियम से आय	-	
(79,81,84,026)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(1,13,70,82,338)	
(79,81,84,026)	**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(1,13,70,82,338)**

Standalone Cash Flow Statement

for the year ended March 31, 2024

(राशि ₹ में)

31 मार्च, 2023	विवरण	March 31, 2024	March 31, 2024
1,31,77,61,136	**4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)**		**9,75,39,48,228**
25,06,42,84,308	**5. अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**26,38,20,45,444**
26,38,20,45,444	**6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**36,13,59,93,672**
	7 अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,02,342	हाथ में नकदी		5,93,895
6,30,72,99,170	बैंक में चालू खाते में शेष		1,95,70,88,075
-	म्यूचुअल फ़ंड		0
20,07,41,43,932	जमाराशियाँ		34,17,83,11,702

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-3 (पुनरीक्षित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ XV

लेखा टिप्पणियाँ XVI

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे. काला एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
साझेदार
एम नं. 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

अजित नाथ झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

के एस नगन्याल
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक: 29 मई, 2024

परिशिष्ट-II

सिडबी के लाभ हानि लेखा और
नकदी प्रवाह विवरणी के साथ
समेकित तुलन पत्र

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

1. हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा)और इसकी सहायक संस्थाओं (मूल संस्था और सहायक संस्थाओं को मिलाकर "समूह" कहा जाएगा) तथा इसकी सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों, जो साथ में रखे गए हैं, की लेखापरीक्षा की है, जिनमें यथा 31 मार्च, 2024 का समेकित तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ-हानि लेखा, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं (जिसे आगे "समेकित वित्तीय विवरण" कहा जाएगा।)

   हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहायक संस्थाओं के अलग अलग लेखापरीक्षित तथा गैर-लेखापरीक्षित विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों ओर सहयोगी संस्थाओं के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय जानकारी, प्रबंधन द्वारा यथाप्रस्तुत, को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 (1) के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप यथा 31 मार्च 2024 को समूह और उसकी सहयोगी संस्थाओं के कार्यकलापों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु इनके समेकित लाभ और इनके समेकित नकदी प्रवाह को सही और उचित रूप में दर्शाते हैं।

2. **राय के लिए आधार**

   हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारी का और अधिक ब्योरा हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के दायित्व' खंड में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी "आचार संहिता" के अनुसार समूह और इसके सहयोगी संस्थाओं से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

विशेष रूप से ध्यातव्य मामले

3. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

   क) समेकित वित्तीय विवरणों के अनुबंध-I का नोट संख्या 14, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के तहत न्यूनतम निर्धारित दरों से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान से संबंधित है।

   ख) अनुबंध-I का नोट संख्या 20, जो सीजीटीएमएसई को प्रदत्त 500 करोड़ रुपये के एकबारगी अंशदान से संबंधित है।

   उक्त मामलों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी कोई अलग राय नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

4. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारी पेशेवर दृष्टि से 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा और उन पर हमारी राय निर्धारित करने के संदर्भ में विचार किया गया था और इन मामलों के संबंध में हम अलग से राय नहीं देते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर किस तरह विचार किया गया
I. **अग्रिमों का वर्गीकरण** **गैर-निष्पादक अग्रिमों का निर्धारण, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची VIII, अनुसूची XV के नोट 6 के साथ पठित, देखें)** अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, अल्प वित्त संस्थाओं तथा एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; और प्रत्यक्ष ऋण, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकौतीयोग्य ऋण और सावधि ऋण सहित, शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड (आईआरएसीपी मानदंड) निर्धारित किए हैं।	अग्रिमों के वर्गीकरण, गैर-निष्पादक अग्रिमों के निर्धारण, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: - गैर-निष्पादक आस्तियों के निर्धारण और प्रावधान के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों को समझना और उन पर विचार करना और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों (आईआरएसीपी मानदंडों) के अनुपालन, जिसमें पुन:संरचित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान और प्रदत्त आस्ति वर्गीकरण लाभ शामिल हैं, का आकलन करना, - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर ह्रासित खातों के निर्धारण और प्रावधान के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर किस तरह विचार किया गया
निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत पुनःसंरचित अग्रिमों सहित) की पहचान में उचित तंत्र की स्थापना शामिल है और बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अग्रिम के लिए अपेक्षित प्रावधान की मात्रा की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वविवेक का प्रयोग करे। एनपीए के निर्धारण और प्रावधान के लिए काफी स्वविवेक और अनुमान की विद्यमानता निम्नलिखित के विषय में सारभूत गलतबयानी को जन्म दे सकते हैं: - आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादक आस्तियों के निर्धारण की पूर्णता और समय; - ऋण एक्सपोजर, आयु और ऋणों के वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूलीयोग्य मूल्य के आधार पर गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान की माप - गैर-निष्पादक आस्तियों की अप्राप्त आय का उपयुक्त प्रतिवर्तन चूंकि अग्रिमों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक आस्तियों का निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान करना (लागू आईआरएसीपी के तहत पुनःसंरचित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान सहित) और अग्रिमों पर आय निर्धारण - में उपयुक्त नियंत्रण कार्यप्रणाली और बैंक द्वारा महत्वपूर्ण स्तर के अनुमानों की आवश्यकता होती है; - बैंक के समग्र वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं; अतः हमने इस क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के तौर पर निर्धारित किया है।	- बैंक द्वारा एनपीए के निर्धारण को कवर करने वाली सारभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाओं को निष्पादित करना। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: क) जहां अग्रिम दर्ज किए गए हैं, उन एप्लीकेशन सिस्टमों से उत्पन्न अपवाद रिपोर्टों के परीक्षण पर विचार करना ख) दबाव निर्धारण हेतु, सिडबी और अन्य बैंकों द्वारा विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के बड़े ऋणों से संबंधित केंद्रीय भंडार(क्रिलिक) में रिपोर्ट किए गए खातों पर विचार करना ग) मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चुने गए उधारकर्ताओं की खाता विवरणियों, आहरण शक्ति परिकलन, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना घ) ऋण और जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़ना और बैंक से पूछताछ करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ऋण खाते या किसी उत्पाद में दबाव या चूक की घटना के संकेतक थे। ङ) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए आंतरिक लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रमुख टिप्पणियों पर विचार करना च) वर्ष के दौरान बैंक पर आरबीआई की वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट, टिप्पणियों पर बैंक के प्रत्युत्तर तथा आरबीआई के साथ हुए अन्य पत्राचार पर विचार करना छ) बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आईआरएसीपी प्रक्रियाओं के स्वचालन पर आरबीआई परिपत्र के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना। ज) भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर अग्रिमों, दबावग्रस्त / पुनःसंरचित अग्रिमों सहित, का परीक्षण। झ) प्रतिदर्श उधारकर्ताओं के लिए खाता शेष की स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त करना। ञ) शाखाओं/कार्यालयों का दौरा तथा अग्रिमों से संबंधित प्रलेखन और अन्य अभिलेखों की जांच करना। निर्धारित गैर-निष्पादक अग्रिमों के लिए हमने, दबावग्रस्त क्षेत्रों और खाता सारभूतता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, नमूना आधार पर आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण तिथियों, वसूल न हुए ब्याज के प्रतिवर्तन, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और प्रावधानों की जांच की। हमने प्रमुख निविष्टि कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर एनपीए हेतु प्रावधान की पुनःगणना की और उसके परिणाम की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए आंकड़ो से की।
II. निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों का निर्धारण और उनके लिए प्रावधान (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची VII, अनुसूची XV के नोट 3 के साथ पठित) निवेशों को राजकोष परिचालन और व्यवसाय परिचालन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। निवेशों में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, म्युचुअल फंड, वीसीएफ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निदेशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के निर्धारण और निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को समझना शामिल है। विशेष रूप से -

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर किस तरह विचार किया गया
भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों का निर्धारण, आय का अनिर्धारण तथा गैर-निष्पादक निवेशों के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफबीआईएल / एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई पर कोट की गई दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण जैसे विभिन्न स्रोतों से आंकडे/सूचना एकत्र करना शामिल है। हमने निवेश के मूल्यांकन और गैर-निष्पादक निवेशों के निर्धारण को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया क्योंकि लागू नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों के आधार पर कतिपय निवेशों (बॉण्ड और डिबेंचर, वीसीएफ) के मूल्य का निर्धारण करने में प्रबंधन का स्वविवेक शामिल रहता है और एचटीएम बही का ह्रासमान मूल्यांकन प्रबंधन स्वविवेक, नियामकीय अपेक्षाओं पर ध्यान देने की मात्रा और बैंक के वित्तीय परिणामों के लिए उसके समग्र महत्व पर आधारित होता है।	- हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों के निर्धारण, गैर निष्पादक निवेशों पर आय के प्रतिवर्तन और निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा; - हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; - विद्यमान निवेश के चुनिंदा नमूनों के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी हेतु पुनः मूल्यांकन करके सटीकता और आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया; - हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार रखे जाने वाले प्रावधान का स्वतंत्र रूप से पुनः परिकलन करने के लिए सारभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादक निवेशों के लिए उनका परीक्षण किया और रखे जाने वाले प्रावधान का पुनः परिकलन किया और यह देखा कि क्या गैर-निष्पादक निवेशों के उन चयनित नमूनों के लिए आय का उपार्जन आरबीआई परिपत्र के अनुसार है।
III. **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और नियंत्रण, जो वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करते हैं** बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की इनफॉर्मेशन सिस्टम्स, सिस्टम में विद्यमान स्वचालित नियंत्रणों सहित, पर इतनी अधिक निर्भरता है कि यह जोखिम मौजूद है कि आईटी नियंत्रण वातावरण में गैप के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग अभिलेख सारभूत रूप से अशुद्ध हो सकते हैं। आईटी पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।	वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की आईटी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में: - हमने बैंक के आईटी सिस्टम और नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। - उचित समय-अंतराल पर चिह्नित एप्लीकेशन सिस्टमों के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ऑडिट कराने के लिए बैंक में एक कार्य प्रणाली विद्यमान है। बैंक द्वारा समुचित समय-अंतरालों पर सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा की जाती है। - वर्ष के दौरान बैंक के आईटी सिस्टम्स पर किए गए ऑडिट से प्राप्त प्रमुख टिप्पणियों की हमने समीक्षा की।
IV. कतिपय मुकदमों, प्रत्यक्ष कर सहित, ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI) और विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची V) के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के आकलन को एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया। कर मामलों और अन्य कानूनी दावों के संबंध में आवश्यक प्रावधान के स्तर का आकलन करने में और प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं, दोनों का प्रकटन करने में उच्च स्तर का स्वविवेक शामिल रहता है। बैंक का आकलन मामले के तथ्यों, उसके अपने विवेक, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर परामर्शदाताओं की सलाह, जहाँ आवश्यक समझी जाए, पर आधारित होता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।	- मुकदमों/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना; - विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या पत्रादि और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना; - महत्वपूर्ण मानी गई विषयवस्तु के गुणदोष का मूल्यांकन उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह, बैंक के कर परामर्शदाताओं की राय सहित, के संदर्भ में करना ; - चर्चाओं, विचाराधीन विषय वस्तु के ब्योरो के संग्रह, उन मुद्दों के संभावित परिणाम और उसके फलस्वरूप संभावित धन निर्गम के माध्यम से बैंक के तर्कों की समीक्षा और मूल्यांकन,; और - डेटा की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करना, योजनाओं की आस्तियों के उचित मूल्य का मापन, विशिष्ट योजनाओं और बाजार परिपाटियों के संदर्भ में कर्मचारी देयताओं के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली धारणाओं को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों को समझना।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर किस तरह विचार किया गया
IV. **प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 10 और नोट 12):** कर्मचारी लाभ देयताओं के मूल्यांकन को विविध बीमांकिक धारणाओं और निवष्टियों, बट्टा दर, मुद्रास्फीति की दर और मृत्यु दर सहित, के संदर्भ में परिकलित किया जाता है। इसके संबंध में वित्तपोषित आस्तियों का मूल्यांकन भी धारणाओं में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। जिन मामलों में कानून की व्याख्या, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और शामिल अनुमानों में स्वविवेक लागू करने की आवश्यकता होती है, उन मामलों के परिणामों से जुड़ी हुई अनिश्चितता के मद्देनजर हमने उपर्युक्त क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: - हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ धारणाओं का मूल्यांकन शामिल है, जो प्रासंगिक मृत्यु दर तालिकाओं के साथ जीवन प्रत्याशा धारणाओं की तुलना, बाहरी बाजार डेटा के प्रति मुद्रास्फीति और बट्टा दर की बेंचमार्किंग करके किया गया है। हमने योजना आस्तियों का प्रबंधन करने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा प्रदत्त विवरणियों से योजना आस्तियों के मूल्य का सत्यापन किया। - समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मुकदमों, कराधान मामलों और कर्मचारी लाभ देयताओं से संबंधित प्रकटनों का सत्यापन।

5. समेकित वित्तीय विवरणों से इतर अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य जानकारी के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी शामिल है, लेकिन उसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। आशा की जाती है कि बैंक की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के अंतर्गत अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते हुए यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से सारभूत रूप से असंगत है अथवा ऑडिट के जरिए या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी सारभूत रूप से अयथार्थ प्रतीत होती है। जब हम बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि इस अन्य जानकारी की सारभूत रूप से गलतबयानी की गई है, तो आवश्यक है कि हम उक्त मामले में उन लोगों को सूचित करें जिनके पास अभिशासन का प्रभार है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

6. बैंक का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सामान्य विनियम, 2000 और आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत किए जाने के संबंध में उत्तरदायी है जो सहयोगी संस्थाओं सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह को सही और उचित रूप में दर्शाते हैं। समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं में शामिल संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और कार्यान्वयन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने और अनुमान लगाने ; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निर्मिति, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें, और सही और उचित स्थिति दर्शाने वाले ऐसे समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हों, जो धोखाधड़ी या त्रुटि जन्य गलतबयानियों से मुक्त हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं में शामिल संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन सतत संस्था के रूप में जारी रहने की समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं की क्षमता का आकलन करने, सतत संस्था से जुड़े मामलों को प्रकट करने, जैसा लागू हो, और लेखांकन के सतत संस्था आधार का इस्तेमाल करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन का इरादा समूह का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई यथार्थपरक विकल्प न हो। समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं में शामिल संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य यह है कि इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त किया जाए कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से सारभूत गलतबयानियों, चाहे वे धोखाधड़ीजन्य हों या त्रुटिजन्य, से मुक्त हैं, और एक ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की जाए जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा, किसी सारभूत गलतबयानी के विद्यमान होने पर हमेशा उसका पता लगा लेगी। गलतबयानियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि के फलस्वरूप हो सकती हैं और उन्हें तब सारभूत माना जाता है, जब यह संभावना हो कि इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए आर्थिक निर्णयों को ये गलतबयानियाँ अलग-अलग या सामूहिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर विवेक का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त हम :

- समेकित वित्तीय विवरणों में सारभूत गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ीजन्य हों या त्रुटिजन्य, उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करते हैं और ऐसे ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हो। त्रुटिजन्य गलतबयानी की तुलना में धोखाधड़ीजन्य गलतबयानी का पता न लगने पर जोखिम अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, त्रुटिपूर्ण कथन या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकते हैं।

- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ हासिल करते हैं, ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, किंतु वे बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के लिए नहीं होतीं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के सतत संस्था आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सारभूत अनिश्चितता मौजूद है जो सतत संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हमारा निष्कर्ष होता है कि सारभूत अनिश्चितता विद्यमान है, तो यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपनी राय संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं का एक सतत संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह देखते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति का लक्ष्य हासिल होता हो।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं में शामिल संस्थाओं की वित्तीय जानकारी से संबंधित पर्याप्त उपयुक्त लेखा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरणों, में शामिल बैंक की वित्तीय जानकारी, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं, जिनकी लेखापरीक्षाएँ अन्य लेखापरीक्षकों ने की हैं, की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वे अन्य लेखापरीक्षक उत्तरदायी हैं। अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूर्णतः हम उत्तरदायी हैं। इस संबंध में हमारे उत्तरदायित्वों का अधिक विवरण इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामले' के अंतर्गत दिया गया है।

सारभूतता समेकित वित्तीय विवरणों में विद्यमान गलतबयानी की वह मात्रा है, जो अलग-अलग या सामूहिक रूप से यह संभाव्यता पैदा करती है कि वित्तीय विवरणों के पर्याप्त जानकार प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में चिह्नित किसी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सारभूतता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जिन पर, अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा चिह्नित की जाने वाली किसी महत्वपूर्ण कमी सहित, से संबंधित अभिशासन का प्रभार है।

हम अभिशासन के प्रभारियों को इस आशय का कथन भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और ऐसे सभी रिश्तों तथा अन्य मामलों, और जहां लागू हों वहां संबंधित सुरक्षा उपायों, की जानकारी देते हैं जिनके विषय में तर्कसंगत रूप से यह सोचा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालेंगे।

अभिशासन के प्रभारियों को सूचित किए गए मामलों में से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उक्त मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता न हो अथवा जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हमने यह न निर्धारित किया हो कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी पर्याप्त संभावना है कि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम इस तरह की सूचना देने से होने वाले सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होंगे।

8. अन्य मामले

i. इन समेकित वित्तीय परिणामों में प्रधान कार्यालय सहित उन 23 शाखाओं की संबंधित विवरणियां का समावेश हैं, जिनका दौरा/ लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत यथा 31 मार्च 2024 को अग्रिमों का 96.45%, जमाराशियों का 98.51%, उधारियों का 100% और 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु अग्रिमों पर ब्याज आय का 96.60%, जमा पर ब्याज व्यय का 97.35% और उधारियों पर ब्याज-व्यय का 99.74% कवर करता है। इन शाखाओं का चयन बैंक प्रबंधन के परामर्श से किया गया है। अपनी लेखापरीक्षा संपन्न करने के दौरान, हम बैंक की उन शेष शाखाओं से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों निर्भर रहे हैं, जिनके दौरे हमने नहीं किए। ये सूचनाएं और विवरणियाँ प्रधान कार्यालय के केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से जनरेट की गईं थी।

समेकित वित्तीय परिणामों में एक सहायक संस्था के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम शामिल हैं, जिसके वित्तीय विवरण / वित्तीय परिणाम / वित्तीय जानकारी यथा 31 मार्च 2024 को रु.39,681 करोड़ की कुल आस्तियाँ, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु रु. 2,318 करोड़ का कुल राजस्व और रु. 815 करोड़ का कुल कर-पश्चात निवल लाभ और उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु रु. 1,196 करोड़ की कुल निवल नकदी आवक, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है,

दर्शाते हैं, जिसकी लेखापरीक्षा अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें प्रस्तुत की है। समेकित वित्तीय विवरण, जहाँ तक वह इस सहायक संस्था के संबंध मे शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित हैं, पर हमारी राय और हमारी रिपोर्ट पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों में दो सहायक संस्थाओं के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को शामिल किया गया है, जिसके वित्तीय विवरण / वित्तीय परिणाम / वित्तीय जानकारी यथा 31 मार्च 2024 को रु.69 करोड़ की कुल आस्तियाँ, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु रु. 14 करोड़ का कुल राजस्व और रु. 5 करोड़ का कुल कर-पश्चात निवल लाभ और उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु रु. 0.17 करोड़ की कुल निवल नकदी निर्गम दर्शाते हैं और 5 सहयोगी संस्थाओं को शामिल किया गया है, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय परिणाम / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु निवल लाभ में समूह का हिस्सा रु. 9.61 करोड़, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है, दर्शाते हैं, जिसकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। ये गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण / वित्तीय परिणाम / वित्तीय जानकारी बैंक प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरण, जहाँ तक वह इन सहायक संस्थाओं और सहयोगी संस्थाओं के संबंध मे शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित हैं, पर हमारी राय पूर्णतः उक्त गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों / वित्तीय परिणामों / वित्तीय जानकारी आधारित है। हम प्रबंधन के इस आशय के आश्वासन पर निर्भर रहे हैं कि यदि लेखापरीक्षा के फलस्वरूप इन सहायक और सहयोगी संस्थाओं के रिपोर्ट किए गए आँकड़ों में किन्हीं परिवर्तनो / समायोजनों की आवश्यकता पड़ी, तो वे समूह के लिए सारभूत नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, जो सहयोगी संस्थाएँ गैर-निष्पादक हैं, उन्हें समेकन में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही, एक अन्य सहयोगी संस्था को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसे निर्निहित करने की योजना है।

1 अप्रैल 2023 के अथशेष 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा पूर्ववर्ती स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई थी, जिन्होंने 12 मई 2023 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अपनी कोई अलग राय व्यक्त नही की है।

उक्त मामलों के संबंध में और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा दी गई रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट में हमारी कोई अलग राय नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21, "समेकित वित्तीय विवरण", लेखांकन मानक (एएस) 23, "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओ में निवेशों का लेखांकन" के अनुसार बैंक प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) हमारी राय में, बैंक ने उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित विधि द्वारा अपेक्षित लेखा-बहियों का समुचित रूप से रख-रखाव किया है, जहाँ तक कि उन लेखा-बहियों की हमारी जाँच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से पता चलता है;

ग) इस रिपोर्ट द्वारा जिस समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ-हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण पर विचार किया गया है, वह उन संबंधित लेखा-बहियों के अनुरूप है, जिनका रखरखाव समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से किया गया था;

घ) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769W

(जयेश काला)
साझेदार
एफआरएन : 101686
यूडीआईएन: 24101686BKAJVX9031

दिनांक: 29 मई, 2024
स्थान : मुंबई

समेकित तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2024

[₹]

		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पूँजी और देयताएँ	**अनुसूची**		
पूँजी	I	5,685,411,689	5,685,411,689
आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियाँ	II	335,780,965,126	288,768,736,216
जमा	III	2,414,157,965,591	1,999,455,964,621
उधार	IV	2,705,454,839,639	2,006,579,203,549
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	V	144,781,173,660	92,032,503,830
आस्थगित कर देयता		-	-
कुल		**5,605,860,355,705**	**4,392,521,819,905**
आस्तियाँ			
नकद एवं बैंक शेष	VI	335,435,585,397	286,039,096,059
निवेश	VII	347,528,763,365	274,134,384,869
ऋण एवं अग्रिम	VIII	4,849,330,527,317	3,779,955,386,671
अचल आस्तियाँ	IX	2,869,071,156	2,975,182,162
अन्य आस्तियाँ	X	70,696,408,470	49,417,770,144
कुल		**5,605,860,355,705**	**4,392,521,819,905**
आकस्मिक देयताएँ	XI	37,974,002,169	45,134,411,010

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची XV) तथा लेखांकन विषयक टिप्पणियाँ (अनुलग्नक I) उक्त अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अविभाज्य भाग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
भागीदार
सदस्यता सं.- 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

अजीत नाथ झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

के. एस. नाग्नयाल
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 मई, 2024

समेकित लाभ-हानि लेखे

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष)

[₹]

		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
आय	**अनुसूची**		
ब्याज एवं बट्टा	XII	3,36,09,94,87,811	1,94,82,44,81,207
अन्य आय	XIII	6,21,82,95,820	5,18,98,24,336
योग		**3,42,31,77,83,631**	**2,00,01,43,05,543**
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		2,39,00,18,67,673	1,31,56,49,02,718
परिचालन व्यय	XIV	18,88,84,43,685	8,41,66,47,379
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		20,87,69,45,401	8,54,07,24,817
योग		**2,78,76,72,56,759**	**1,48,52,22,74,914**
कर-पूर्व लाभ		**63,55,05,26,872**	**51,49,20,30,629**
आयकर हेतु प्रावधान		20,96,84,14,972	14,24,27,84,676
आस्थगित कर समायोजन [(आस्ति) / देयता]		(5,54,52,09,931)	(1,72,73,59,844)
सहयोगी संस्थाओं के अर्जन/हानि में भाग		(9,60,75,879)	(33,81,07,081)
कर-पश्चात् लाभ		**48,22,33,97,710**	**39,31,47,12,878**
अग्रानीत लाभ		9,44,60,87,264	4,44,99,11,872
कुल लाभ / (हानि)		**57,66,94,84,974**	**43,76,46,24,750**
विनियोजन			
साधारण आरक्षिति में अंतरण		37,14,57,71,448	31,11,88,59,294
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		1,65,00,00,000	80,00,00,000
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षिति में अंतरण		1,62,93,94,375	1,15,14,95,854
अन्य			
क) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		2,50,52,813	-
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		16,85,00,000	11,11,00,000
विकास निधि		-	-
शेयरों पर लाभांश		1,13,70,82,338	1,13,70,82,338
लाभांश पर कर		-	-
लाभ एवं हानि खाते में अधिशेष को आगे लाया गया		15,91,36,84,000	9,44,60,87,264
योग		**57,66,94,84,974**	**43,76,46,24,750**
प्रति शेयर मूल/मिश्रित आय		84.82	69.15

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची XV) और लेखा टिप्पणियां (अनुलग्नक I) ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ लाभ और हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
भागीदार
सदस्यता सं.- 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

अजीत नाथ झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

के. एस. नाग्नयाल
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 मई, 2024

समेकित तुलन-पत्र की अनसूचियाँ

पूँजी और देयताएँ

अनुसूची I : पूँजी

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(क) प्राधिकृत पूँजी		
- ईक्विटी शेयर पूँजी (₹ 10 प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमानी शेयर पूँजी (₹ 10 रुपये प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 मोचनीय अधिमानी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
ख) निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूँजी :		
- ईक्विटी शेयर पूँजी (₹ 10 प्रति शेयर की दर से 56,85,41,169 ईक्विटी शेयर)	5,68,54,11,689	5,68,54,11,689
- अधिमानी शेयर पूँजी	-	-
योग	**5,68,54,11,689**	**5,68,54,11,689**

अनुसूची II: आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियाँ

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क) आरक्षितियाँ		
i) सामान्य आरक्षितियाँ		
- अथ शेष	2,22,62,88,82,397	1,91,50,74,63,293
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	37,12,48,43,518	31,12,14,19,104
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- इति शेष	**2,59,75,37,25,915**	**2,22,62,88,82,397**
ii) शेयर प्रीमियम		
- अथ शेष	30,54,25,88,310	30,54,25,88,310
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- इति शेष	**30,54,25,88,310**	**30,54,25,88,310**
iii) विशिष्ट आरक्षित निधियाँ		
क) निवेश हेतु आरक्षित निधि		
- अथ शेष	-	-
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- इति शेष	**-**	**-**
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
- अथ शेष	18,52,00,00,000	17,72,00,00,000
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	1,65,00,00,000	80,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- इति शेष	**20,17,00,00,000**	**18,52,00,00,000**
ग) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-आईसी के अंतर्गत निर्मित सांविधिक आरक्षितियाँ		
- अथ शेष	3,29,59,67,359	2,14,44,71,505
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	1,62,70,57,940	1,14,91,59,419
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि		
- इति शेष	**4,92,30,25,299**	**3,29,36,30,924**
घ) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियाँ		
- अथ शेष	1,25,89,52,955	1,25,89,52,955
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	2,50,52,813	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि		
- इति शेष	**1,28,40,05,768**	**1,25,89,52,955**

समेकित तुलन-पत्र की अनसूचियाँ

अनुसूची IV: उधारियाँ (क्रमशः)

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ख) लाभ-हानि लेखे में अधिशेष	**15,91,36,84,000**	**9,44,60,87,264**
ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
- अथ शेष	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- इति शेष	**2,65,61,42,832**	**2,65,61,42,832**
ख) स्टाफ कल्याण निधि		
- अथ शेष	40,24,51,534	32,83,53,383
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	16,85,00,000	11,11,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	5,31,58,531	3,70,01,849
- इति शेष	**51,77,93,003**	**40,24,51,534**
ग) अन्य	2,00,00,000	2,00,00,000
योग	**3,35,78,09,65,126**	**2,88,76,87,36,216**

अनुसूची III: जमा

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क) सावधि जमा	1,25,99,96,09,590	86,76,48,78,620
ख) बैंकों से		
क) एमएसएमई पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	18,91,19,34,36,000	15,28,76,15,16,000
ख) एमएसएमई उद्यम जोखिम पूँजी निधि के अंतर्गत	-	-
ग) अन्य - विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	31,65,49,75,000	19,84,10,00,000.00
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	14,99,40,70,001	14,99,40,70,001
च) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूँजी निधि 2014-15 के अंतर्गत	-	-
छ) प्राथमिकता क्षेत्र शॉर्टफॉल के अंतर्गत	3,50,31,58,75,000	3,49,09,45,00,000
(ख) उप-योग	**22,88,15,83,56,001**	**19,12,69,10,86,001**
कुल	**24,14,15,79,65,591**	**19,99,45,59,64,621**

अनुसूची IV: उधारियाँ

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
I) भारत में उधारियां		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से	-	1,59,00,00,00,000
2. भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)	4,36,28,02,083	5,17,27,06,344
3. बॉण्ड एवं डिबेंचर	8,11,80,29,00,000	4,67,55,00,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	2,25,24,00,00,000	3,94,25,00,00,000
- जमा राशियों के प्रमाणपत्र	3,54,90,00,00,000	2,46,35,00,00,000
- बैंकों से सावधि ऋण	10,88,19,00,00,000	5,86,43,95,28,678
- सावधि राशि उधारियाँ	-	-
- अन्य	1,89,37,08,41,814	1,05,40,96,07,622
उप-योग (I)	**26,73,86,65,43,897**	**19,64,17,18,42,644**
II) भारत से बाहर की उधारियाँ		
(क) के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी	1,38,94,71,253	3,70,76,76,702
(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	6,07,59,66,719	10,79,57,17,856
(ग) आईएफएड़ी, रोम	99,22,22,858	1,05,46,39,489

समेकित तुलन-पत्र की अनसूचियाँ

अनुसूची IV: उधारियाँ (क्रमशः)

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(घ) विश्व बैंक	22,85,75,57,273	26,31,12,58,470
(च) अन्य	27,30,77,639	53,80,68,388
उप-योग (II)	**31,58,82,95,742**	**42,40,73,60,905**
योग (I व II)	**27,05,45,48,39,639**	**20,06,57,92,03,549**

अनुसूची V: अन्य देयताएँ एवं प्रावधान

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
उपचित ब्याज	49,41,12,91,618	29,94,99,68,457
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि हेतु प्रावधान	4,17,08,65,424	3,93,85,26,360
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	1,12,40,51,149	44,04,31,465
सिडबी कर्मचारी के अन्य हितलाभ हेतु प्रावधान	3,36,22,20,869	1,93,80,18,213
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान	1,53,73,62,767	1,53,73,62,767
मानक आस्तियों के प्रति किए गए आकस्मिकता प्रावधान	37,32,89,29,259	18,44,16,10,163
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	1,13,70,82,338	1,13,70,82,338
निधियाँ यथा आंकाक्षा निधि, स्टार्ट अप के लिए निधियों की निधि, पीआरएफ, पीआरएसएफ आदि	33,27,13,78,808	23,12,59,58,271
अस्थिर प्रावधान	4,95,67,37,932	4,95,67,37,932
अन्य (प्रावधानों सहित)	8,48,12,53,496	6,56,68,07,864
योग	**1,44,78,11,73,660**	**92,03,25,03,830**

आस्तियाँ

अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक अधिशेष

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक मे शेष राशियाँ	6,08,479	6,14,370
2. अन्य बैंकों में शेष राशियाँ		
(क)भारत में		
i) चालू खातों में	1,93,97,47,338	6,25,86,02,252
ii) अन्य जमा खातों में	3,33,47,76,70,702	2,77,02,47,81,932
(ख)भारत से बाहर		
i) चालू खातों में	1,75,58,878	4,89,40,573
ii) अन्य जमा खातों में	-	2,70,61,56,932
योग	**3,35,43,55,85,397**	**2,86,03,90,96,059**

समेकित तुलन-पत्र की अनसूचियाँ

अनुसूची VII: निवेश [प्रावधानों को घटाकर]

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	2,69,04,48,00,772	1,48,12,97,19,214
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड और डिबेंचर	19,53,22,74,081	21,81,08,38,302
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड और डिबेंचर	51,56,74,010	84,44,58,856
4. म्युचुअल फंड	-	-
5. वाणिज्यिक पत्र	17,96,12,57,158	26,05,26,90,303
6. जमा प्रमाणपत्र	15,55,01,34,525	62,98,61,30,050
7. अन्य	11,00,00,00,000	-
उप-योग (क)	**3,33,60,41,40,546**	**2,59,82,38,36,725**
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर	1,61,51,09,902	1,61,51,09,702
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड और डिबेंचर	30,06,000	5,65,33,000
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड और डिबेंचर	3,48,01,67,561	5,45,48,59,563
4. सहायक संस्थाओं में निवेश	11,00,00,000	-
5. उद्यम पूँजी निधि में निवेश- आरसीएफ	4,67,17,29,716	5,24,72,57,872
6. अन्य	4,04,46,09,640	1,93,67,88,007
उप-योग (ख)	**13,92,46,22,819**	**14,31,05,48,144**
योग (क+ख)	**3,47,52,87,63,365**	**2,74,13,43,84,869**

अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम [प्रावधानों को घटा कर]

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ		
- अल्प वित्त संस्थाएँ	1,10,09,89,88,118	65,35,57,66,859
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	5,72,99,80,45,997	3,57,13,84,30,997
- पुनर्भुनाए गए बिल	-	-
- अन्य (प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र / पीटीसी अभिदान)	6,25,19,65,911	3,42,69,18,395
उप-योग (क)	**45,59,95,99,04,330**	**35,80,44,03,45,789**
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
- ऋण एवं अग्रिम	2,75,09,88,63,090	1,93,97,14,30,050
- प्राप्य वित्त योजना	-	9,23,64,439
- भुनाए गए बिल	14,27,17,59,897	5,45,12,46,393
उप-योग (ख)	**2,89,37,06,22,987**	**1,99,51,50,40,882**
योग (क+ख)	**48,49,33,05,27,317**	**37,79,95,53,86,671**

अनुसूची IX: अचल आस्तियाँ [मूल्यह्रास को घटा कर]

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1. परिसर	2,81,35,50,735	2,92,87,49,254
2. अन्य	5,55,20,421	4,64,32,908
योग	**2,86,90,71,156**	**2,97,51,82,162**

समेकित तुलन-पत्र की अनसूचियाँ

अनुसूची X: अन्य आस्तियाँ

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
उपचित ब्याज	35,23,30,06,025	20,06,49,05,484
अग्रिम कर (प्रवाधान को घटा कर)	2,91,21,99,953	1,94,01,91,139
स्टाफ ऋण	2,23,69,85,494	1,95,26,21,807
व्युत्पन्न आस्तियाँ	4,56,03,84,977	5,41,20,83,018
व्यय, जितना कि बट्टे खाते में नहीं डाला गया है	16,76,79,45,998	17,27,27,73,418
अन्य	8,98,58,86,023	2,77,51,95,278
योग	**70,69,64,08,470**	**49,41,77,70,144**

अनुसूची XI: आकस्मिक देयताएँ

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	9,89,43,47,386	9,64,85,12,907
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	67,38,62,553	42,97,75,967
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	72,24,92,243	16,78,26,751
iv) प्रतिबद्धताओं की हामीदारी के फलस्वरूप	-	-
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों, वीसीएफ के अंतर्गत आहरित नहीं की गई प्रतिबद्धता इत्यादि के फलस्वरूप"	97,00,54,081	1,27,42,87,728
vi) व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए	25,71,32,45,906	33,61,40,07,657
vii) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है (व्युत्पन्नी संविदाएँ इत्यादि)	-	-
योग	**37,97,40,02,169**	**45,13,44,11,010**

अनुसूची XII: ब्याज एवं बट्टा

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1. ऋणों, अग्रिमों एवं बिलों पर ब्याज एवं बट्टा	2,84,85,05,93,418	1,59,18,31,07,149
2. निवेश/बैंक शेष पर आय	51,24,88,94,393	35,64,13,74,058
योग	**3,36,09,94,87,811**	**1,94,82,44,81,207**

अनुसूची XIII: अन्य आय :

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1. अपफ्रंट एवं प्रक्रिया शुल्क	1,37,32,98,452	89,51,11,922
2. कमीशन और ब्रोकरेज	2,02,56,743	1,09,30,972
3. निवेशों के विक्रय पर लाभ	86,71,24,405	46,10,52,617
4. सहायक / सहयोगी कंपनियों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	61,19,996	51,00,000
5. पिछले वर्षों के प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
6. अशोध्य ऋणों से वसूली	2,27,76,44,029	2,86,91,76,097
7. प्रावधानों का प्रतिवर्तन / एफसीएल के अंतर्गत ईआरएफएफ	-	-
8. अन्य	1,67,38,52,195	94,84,52,728
योग	**6,21,82,95,820**	**5,18,98,24,336**

समेकित तुलन-पत्र की अनसूचियाँ

अनुसूची XIV: परिचालन व्यय:

[₹]

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	8,34,28,60,344	5,12,63,88,812
किराया, कर एवं प्रकाश व्यवस्था	21,93,44,266	18,07,59,949
मुद्रण और स्टेशनरी, डाक/कूरियर और टेलीफोन और बीमा	2,30,92,315	2,26,92,930
विज्ञापन एवं प्रचार	29,63,67,789	11,70,55,493
बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/परिशोधन	61,89,71,613	26,67,08,148
निदेशकों के शुल्क, भत्ते एवं व्यय	78,59,229	1,01,32,867
लेखापरीक्षकों के शुल्क	46,35,257	44,86,516
विधिक प्रभार	2,54,79,948	3,57,41,963
मरम्मत एवं अनुरक्षण	41,67,10,875	28,98,84,437
निर्गम व्यय	7,77,36,100	5,60,22,041
पूँजी प्रतिबद्धता, प्रबंधन शुल्क आदि।	13,37,33,616	19,79,10,602
अनुपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट	31,67,48,282	19,19,22,592
अन्य व्यय	8,40,49,04,051	1,91,69,41,029
योग	**18,88,84,43,685**	**8,41,66,47,379**

अनुसूची XV- समेकित महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. तैयार करने का आधार

समेकित वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (मूल) एवं उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदण्डों, कंपनी अधिनियम 2013 के लागू उपबंधों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक अथवा सिडबी) द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का प्रयोग

सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करे, जो समेकित वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट की गई आय और व्यय को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। तथापि वास्तविक परिणाम उक्त आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा आकलनों में किसी पुनरीक्षण का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप भविष्यलक्षी प्रभाव से वर्तमान और भावी अवधियों में किया जाता है।

समेकन प्रक्रियाएं:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहायक संस्थाएँ शामिल हैं

1) माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)
2) सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)
3) सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2023-24 के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहयोगी संस्थाएँ शामिल हैं:

1) एक्यूट रेटिंग्स प्रा. लिमिटेड (पूर्ववर्ती स्मेरा)
2) इण्डिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क)
3) दिल्ली वित्तीय निगम (डीएफसी)
4) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)
5) किटको लिमिटेड

समूह (जिसमें ऊपर दिए गए ब्योरे के अनुसार 3 सहायक संस्थाएँ और 5 सहयोगी संस्थाएं शामिल हैं) के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं :

क. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (मूल संस्था) के लेखे

ख. 3 सहायक संस्थाओं की आस्ति / देयता / आय / व्यय की प्रत्येक मद का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुसार वसूल न किये हुए लाभ / हानि और सभी महत्वपूर्ण अंतरा-समूह शेषराशियों / संव्यवहारों को हटा दिया गया है।

ग. सहयोगी संस्थाओं में निवेश को, आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 (सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन) के अनुसार, ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है, जो सहयोगी संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित होते है।

घ. लेखांकन नीतियों में अंतर होने पर, मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप, सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण, जहां कहीं आवश्यक और व्यावहारिक हो, समायोजित किए जाते हैं। लेखांकन नीतियों में अंतर होने पर, सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण समायोजित नहीं किए गए हैं, क्योंकि बैंक के प्रबंधन की राय में वे महत्वपूर्ण नहीं है।

2. राजस्व निर्धारण:

राजस्व निर्धारण उस सीमा तक किया जाता है, जहां तक आर्थिक लाभ बैंक को प्राप्त होने की संभाव्यता है और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।

क) आय:

i. ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है, सिवाय गैर निष्पादक आस्तियों के मामलों के, जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है।

ii. लाभ-हानि लेखे में आय को सकल रूप में अर्थात् आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों और बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार अन्य प्रावधानों के पूर्व दर्शाया जाता है।

iii. बिलों की भुनाई/ पुनर्भुनाई से प्राप्त भुनाई को तथा भुनाए गए लिखतों की भुनाई को लिखतों की पूरी मीयाद में सतत प्रतिफल आधार पर निर्धारित किया जाता है।

iv. मानक (निष्पादक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/ सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को आय के रूप में तब निर्धारित किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

vi. उद्यम पूंजी निधियों से होने वाली आय को वसूली के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। उद्यम पूंजी निधि के ऐसे यूनिटों/ शेयरों, जो 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में हों, के मोचन को बिक्री के रूप में नहीं माना जाता है।

vii. गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया जाएगा:

क) गैर-निष्पादक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज,
ख) मूलधन,
ग) लागत एवं प्रभार,
घ) ब्याज एवं
ङ) दंडात्मक ब्याज

viii. प्रत्यक्ष समनुदेशन के जरिए ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ix. पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के प्रति प्राप्त राशियों को लाभ-हानि लेखे में आय के रूप में लिया जाता है।

x. किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि से लागू करों को घटाकर उसे पूँजी आरक्षितियों में विनियोजित कर दिया जाता है।

xi. सात वर्ष से अधिक की अवधि हेतु दावा न की गई देयताओं (सांविधिक देयताओं को छोड़कर) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में दर्शाया जाता है।

xii बैंक ने आयकर रिफंड पर ब्याज को, आयकर विभाग द्वारा जारी ऐसे रिफंड आदेशों/उन्हें प्रभावी करने वाले आदेशों की प्राप्ति के बाद, हिसाब में लिया है।

xiii उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन प्रभार, अधिवक्ता शुल्क, बीमा, अपफ्रंट शुल्क /संसाधन शुल्क आदि की वसूली नकद आधार पर हिसाब में ली जाती है।

xiv एलसी /बैंक गारंटी पर कमीशन को उपचय आधार पर, अवधि के अनुपात में, निर्धारित किया जाता है।

xv म्युचुअल फंड की यूनिट से आय का निर्धारण नकद आधार पर किया जाएगा।

xvi एसवीसीएल - राजस्व निर्धारण उस सीमा तक किया जाता है जहां तक कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने की संभाव्यता हो और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। जहां संबंधित उद्यम पूंजी निधियों/ वैकल्पिक निवेश निधियों में ड्रॉडाउन प्राप्त नहीं होते, वहाँ राजस्व निर्धारण नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें यह निश्चित नहीं होता कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और ऐसे मामलों में प्राप्त होने के उपरांत ही उसे प्राप्ति-आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

कंपनी अपने द्वारा प्रबंधित उद्यम पूंजी निधियों/ वैकल्पिक निवेश निधियों से तिमाही आधार पर/वार्षिक आधार पर (संबंधित निधि-दस्तावेजों में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार) प्रबंध शुल्क के रूप में आय का उपचय करती है।

कंपनी आईआईबीआई द्वारा समनुदेशित निवेशों की बिक्री से प्राप्त निवल लाभ के 5% की दर पर आय निर्धारित करती है।

xvii एसटीसीएल - राजस्व को उस सीमा तक निर्धारित किया जाता है, जहां तक कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभाव्यता होती है और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता हो।

कंपनी अपने द्वारा प्रबंधति उद्यम पूंजी निधियों/ वैकल्पिक निवेश निधियों से तिमाही आधार पर/वार्षिक आधार पर (संबंधित निधियों के साथ करार में यथानिर्दिष्ट) ट्रस्टीशिप शुल्क के रूप में आय का उपचय करती है।

ख) व्यय:

i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया जाता है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया जाता है।

3. निवेश:

(i) निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को निम्नवत पुनः वर्गीकृत किया जाता है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतयां,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड,

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, जमा प्रमाणपत्र आदि)

(क) परिपक्वता तक धारित :

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर रखा जाता है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। अर्जन लागत अंकित मूल्य से अधिक होने पर, प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया जाता है। सहायक संस्थाओं में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) के लिए प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया जाता है।

(ख) व्यापार हेतु धारित:

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखे में हिसाब में लिया जाता है। ट्रेड / कोट किए गए निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेड / कोट से लिया जाता है।

(ग) बिक्री हेतु उपलब्ध:

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को

लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया जाता है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाता है।

(ii) निवेश को उसकी खरीद के समय ₹ परिपक्वता तक धारित', या ₹बिक्री के लिए उपलब्ध' या ₹ व्यापार के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

(iii) बट्टेवाले लिखत होने के नाते कोषागार बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव मूल्य पर किया जाता है।

(iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्दृत नहीं है / जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि, द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

(v) जो निवेश भारत सरकार द्वारा प्रदत्त समूहनिधि या निधि में से किए जाते हैं और जिन्हें संबंधित निधि शेषराशियों से घटा दिया जाता है, उन्हें लागत पर रखा जाता है और वे भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन नहीं होते।

(vi) निवेशों में खरीद और बिक्री के संव्यवहारों को 'निपटान-तारीख' लेखांकन पद्धति के अनुसार दर्ज किया जाता है।

(vii) जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम के स्वरूप के माने जाते हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होते हैं।

(viii) निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की जाती है।

(ix) खरीद/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।

(x) ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि में शामिल नहीं किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, लागत के एक भाग के रूप में विक्रेता को प्रदत्त खंडित अवधि ब्याज का पूँजीकरण नहीं किया जाता है और उसे लाभ-हानि लेखे के अंतर्गत व्यय की एक मद के रूप में रखा जाता है।

(xi) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में गैर-उद्धृत निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, म्यूचुअल फंड की यूनिटों का मूल्य निर्धारण उनके पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाता है।

(xiii) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्यनिर्धारण परिपक्वता पर प्रतिफल आधार पर किया जाता है, जो समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों हेतु परिपक्वता पर प्रतिफल की दर के ऊपर उपयुक्त मार्क-अप के आधार पर होता है। ये मार्क अप और परिपक्वता पर प्रतिफल की दरें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार होती हैं।

(xiv) गैर-उद्धृत शेयरों का मूल्य निर्धारण ब्रेकअप मूल्य पर किया जाता है, यदि निवेशिती कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध हों, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति कंपनी मूल्य ₹ 1/- है।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज़ किया जाता है। विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार निम्नलिखित रूप में किया जाता है।

i. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, संस्वीकृतियों बेचानों एवं अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख को अधिसूचित बंद विनियम दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

iii. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया जाता है।

iv. विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था संबंधी पुनर्मूल्यांकन अन्तर को विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंध हेतु भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और दर्ज किया जाता है।

v. विदेशी मुद्रा संविदाओं और व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

vi. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

vii. जो बकाया वायदा विनिमय संविदाएं व्यापार के लिए नहीं होतीं, उनका पुनर्मूल्यांकन फेडाई द्वारा अधिसूचित विनियम दरों पर किया जाता है।

5. व्युत्पन्नियाँ

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं की बचाव व्यवस्था के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नियों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमयों का व्यापार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव- व्यवस्था के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है। संविदायी रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संविदाओं से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को रिपोर्ट किया जाता है।

6. ऋण एवं अग्रिम

i. ऋण और अन्य सहायता संविभाग को निरूपित करने वाली आस्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निष्पादक और गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

ii. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, गैर निष्पादक आस्तियों एवं पुनर्संरचित आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दर्शाए जाते है।

iii. मानक आस्तियों के प्रति सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

iv. चल प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप, किए और उपयोग में लाए जाते हैं।

v. **मुद्रा:** मुद्रा विभिन्न अल्प वित्त संस्थाओं (एमएफआई) / बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा आरंभ की गई ऋण प्राप्यराशियों से पुष्ट पास थ्रू सर्टिफिकेट्स को अभिदत्त कर रहा है। इस तरह के प्रतिभूतिकरण लेनदेन को ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तुलनपत्र में सकल आधार पर दर्शाया जाता है, जो बही मूल्य पर आधारित होते हैं और प्रावधान अलग से दर्शाए जाते हैं। तथापि, मानक आस्तियों पर प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

7. कराधान

(i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली संभावित राशि और आय परिकलन और प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

(ii) आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियमित अथवा सारभूत रूप से अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की जाती है।

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित कर आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

(iv) विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों हेतु प्रावधान नहीं किए जाते हैं, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

8. प्रतिभूतीकरण

(i) बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

(ii) बैंक द्विपक्षीय प्रत्यक्ष समनुदेशन के अंतर्गत क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को खरीदता है। ऐसे प्रत्यक्ष समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(iii) बैंक प्रत्यक्ष समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हकदार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर प्रत्यक्ष समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

(iv) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों की जीवन अवधि तक हिसाब में लिया जा रहा है।

(v) आस्ति पुनर्गठन कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यनिर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जो इन लिखतों पर लागू होते हैं।

9. आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

(i) गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश आधार पर होती है। यदि बिक्री प्रतिभूति रसीद आधार पर होती है, तो उसके बिक्री प्रतिफल या उसके भाग को प्रतिभूति रसीदों के रूप में निवेश माना जाता है।

(ii) यदि आस्तियों की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान घटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर की जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रत्यावर्तन उतना ही होता है, जितनी कि प्राप्त राशि आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक होती हो।

10. स्टाफ लाभों हेतु प्रावधान:

क] सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ:

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर भारित होते हैं।

(ii) ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

(iii) बीमांकिक लाभों या हानियों को संबंधित अवधि के बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

(iv) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदायी योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त

निश्चित अंशदान तक ही सीमित होता है। यह अंशदान लाभ-हानि लेखा पर भारित होता है।

(v) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए भुगतान उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा पर प्रभारित होते हैं, जिस वर्ष व्यय होता है।

ख) सेवा-कालिक लाभ (अल्पावधि)

अल्पावधि लाभों के फलस्वरूप होने वाली देयता गैर-बट्टाकृत आधार पर निश्चित की जाती है और उसका निर्धारण उस पूरी सेवा अवधि में विस्तीर्ण होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार होता है।

एसवीसीएल

कर्मचारी लाभ

निश्चित अंशदान योजनाएं:

भविष्य निधि आदि में कंपनी के अंशदान को व्यय के समय लाभ-हानि विवरणी पर प्रभारित किया जाता है।

निश्चित लाभ योजनाएं

कंपनी ग्रेच्युटी के रूप में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भी प्रावधान करती है। ऐसे लाभों के लिए प्रावधान तुलनपत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार किए जाते है। रिपोर्टिंग तिथि को अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित वृद्धिशील देयता को लाभ और हानि विवरणी पर व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम ("एलआईसी") से एक समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और इसे वित्तपोषित किया जाता है।

कार्यनिष्पादन वेतन:

कार्यनिष्पादन वेतन कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक प्रोत्साहन है, जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर आधारित होता है।

निकास प्रोत्साहन:

यह कंपनी के प्रबंधन के अधीन निधियों से त्वरित निकास कराने के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन है।

छुट्टी नकदीकरण :

कंपनी छुट्टी नकदीकरण के रूप में सेवानिवृत्ति लाभों हेतु प्रावधान करती है। ऐसे लाभों के लिए प्रावधान तुलन पत्र की तिथि को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। अल्पावधि और दीर्घकालिक छुट्टियों का मूल्य निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार बीमांकिक आधार पर किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारी अपनी एकत्रित छुट्टी में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण भी कर सकते हैं ।

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

i) स्थिर आस्तियाँ अधिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति-हानियाँ, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाई जाती हैं।

ii) आस्ति की लागत में खरीद लागत और आस्ति को उपयोग की स्थिति में लाने से पूर्व उस पर किए गए सभी व्यय शामिल होते हैं। उपयोग की स्थिति में आ चुकी आस्तियों पर उसके बाद किए गए व्यय केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब इन आस्तियों से भावी लाभों या उनकी कामकाजी क्षमता में वृद्धि हो।

iii) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

a) फर्नीचर और फिक्स्चरः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियों के लिए - 100 प्रतिशत की दर से

b) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - 100 प्रतिशत की दर से

c) भवन - मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर - 5 प्रतिशत की दर से

d) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियों के लिए - मूल्यह्रासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से

e) मोटर कार- सरल रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से

iv) परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, और बिक्री/निस्तारण वर्ष में मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया जाता है।

v) पट्टे वाली भूमि का परिशोधन पट्टे की पूरी अवधि में किया जाता है।

मुद्रा

स्थिर आस्तियों को आकस्मिक व्यय सहित अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है। वित्तपोषण सहित वे सभी लागतें, जो आस्ति को इच्छित उपयोग हेतु कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें भी पूंजीकृत किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत उपयोगी जीवन, जो कि नीचे दिया गया है, के आधार पर सरल रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है:

क) कार्यालय उपकरण - 5 वर्ष

ख) कंप्यूटर और हार्डवेयर - 3 वर्ष

ग) विद्युत संस्थापन - 10 वर्ष

प्रबंधन के अनुमानों के अनुसार सर्वर और नेटवर्कों का उपयोगी जीवन 3 वर्ष लिया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में लागत का परिशोधन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 26 के अनुसार निम्नवत किया जाता है :

क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर - 3 वर्ष

ख) कंप्यूटर लाइसेन्स - लाइसेन्स की कालावधि के अनुसार 1-3 वर्ष

₹ 5,000/- या उससे कम की लागत वाली आस्तियों को एक वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित कर दिया गया है।

एसवीसीएल

स्थिर आस्तियों को अर्जन की लागत से संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया हैं। कंपनी स्थिर आस्तियों के अर्जन और संस्थापन से संबंधित सभी लागतों का पूंजीकरण करती है। स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास अवलिखित मूल्य पद्धित से तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची में उल्लिखत दरों और तरीके से किया जाता है। खरीदे गए मोबाइल / टेलीफोन

उपकरणों / टैबलेट उपकरणों की लागत का पूंजीकरण किया जाता है और प्रौद्योगिकीय रूप से तेजी से पुराने पड़े जाने की प्रवृत्ति के कारण इनके लिए खरीद के वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है, बशर्ते बीजक कंपनी के नाम पर हो। यदि बीजक कंपनी के नाम पर नहीं होता तो उन्हें राजस्व व्यय पर भारित किया जा रहा है। जिन आस्तियों की वास्तविक लागत पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, उनके लिए 100% की दर से मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु प्रावधान:

एएस 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ) के अनुसार, जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए बैंक द्वारा प्रावधान किए जाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है और तुलनपत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलनपत्र की अनुसूची के जरिए दिए जाते हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है।

13. अनुदान एवं सब्सिडी:

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालन लीज

एएस -19 के अनुसार, लीज किराए को लाभ-हानि लेखा में व्यय /आय के रूप में लीज अवधि में सरल रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

15. आस्तियों की क्षति

यदि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत होता है, तो प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सकेः

क) क्षति-हानि हेतु प्रावधान, यदि अपेक्षित हो; अथवा

ख) पूर्ववर्ती अवधियों में निर्धारित क्षति-हानि हेतु प्रत्यावर्तन, यदि अपेक्षित हो,

क्षति-हानि का निर्धारण तब किया जाता है, जब किसी आस्ति की रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणी के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष, माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि तथा म्यूचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या उससे कम हो।

समेकित लेखों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

संलग्नक I

1 समेकित वित्तीय विवरण में समाहित सहायक संस्थाओं के ब्यौरे :

[₹]

क्र. सं.	सहायक संस्था का नाम	देश जहाँ स्थापित है	स्वामित्व का अनुपात*	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष हेतु लाभ /हानि	
				31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)	भारत	100%	4,58,51,288	4,43,09,242
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)	भारत	100%	66,77,258	54,64,545
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा लि.)	भारत	100%	8,14,69,71,873	5,75,74,79,271
योग				**8,19,95,00,419**	**5,80,72,53,058**

वित्त वर्ष 2024 हेतु मुद्रा के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित हैं जबकि एसवीसीएल व एसटीसीएल के वित्तीय विवरण गैर-लेखापरीक्षित हैं।

*चूंकि सहायक संस्थाओं के सभी शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्व में हैं, इसलिए अल्पांश हित से संबंधित कोई अलग प्रकटीकरण परिलक्षित नहीं होता है।

नोट: चूंकि सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन (एसएसएफ) एक गैर-लाभकारी कंपनी है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित], लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में एसएसएफ पर विचार नहीं किया जा रहा है।

2 A. समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहयोगी संस्थाओं के चालू और पिछले वर्ष के ब्यौरे निम्नवत हैं :

[₹]

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	धारिता (%)		विवरण	निवेश (अंकित मूल्य)	निवेश		निम्नलिखित को समाप्त वर्ष हेतु लाभ / (हानि) का हिस्सा[1]		निम्नलिखित तिथि को आरक्षितियों में हिस्सा[1]	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023			31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1	एक्यूट रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व स्मेरा)[2]	35.73	35.73	एसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	5,10,00,000	5,10,00,000	5,10,00,000	4,14,13,214	5,72,58,397	25,25,03,553	21,10,90,339
2	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड[3]	26.00[3]	26.00	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	15,00,00,000	15,00,00,000	15,00,00,000	2,44,67,393	27,93,50,516	33,71,75,280	31,27,07,888
3	दिल्ली वित्त निगम[4]	23.76	23.76	राज्य वित्त निगम	6,27,75,000	3,13,87,500	3,13,87,500	-	(89,47,164)	(5,23,15,435)	(3,13,87,500)
4	रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड[5]	30.00	30.00	व्यापारिक प्राप्यराशियों की फैक्टरिंग / भुनाई के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म (ट्रेड्स)	15,00,00,000	15,00,00,000	15,00,00,000	8,48,67,000	2,62,95,270	3,28,99,800	(5,19,67,200)
5	किटको लिमिटेड[5]	49.77	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन	4,90,00,000	24,95,296	24,95,296	(5,46,71,728)	(1,58,49,938)	9,66,59,610	15,13,31,338
योग						**38,48,82,796**	**38,48,82,796**	**9,60,75,879**	**33,81,07,081**	**66,69,22,807**	**59,17,74,865**

1 (i) "सहयोगी संस्थाओं में (अर्जन)/ हानि के अंश" की राशि ((₹ 9,60,75,879)) (पिछले वर्ष (₹ 33,81,07,081/-) को मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि विवरणी में, "सहयोगी संस्थाओं में (अर्जन)/ हानि का अंश" मद के अंतर्गत डाला गया है।

(ii) सहयोगी संस्थाओं की आरक्षितियों में हिस्से की राशि ₹ 66,69,22,807 (गत वर्ष ₹ 59,17,74,865/-) मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के समेकित तुलन पत्र की अनुसूची II- आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां मद के अंतर्गत शामिल की गई है।

2. एक्यूट रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के आंकड़े मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

3. इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के आंकड़े मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं। इसमें एसवीसीएल (सिडबी की 100% सहायक कंपनी) की 11% धारिता शामिल है।

4. दिल्ली वित्त निगम के आंकड़े 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

समेकन हेतु सहयोगी संस्था में हानि के हिस्से को निवेश के बही मूल्य की सीमा तक सीमित रखा गया है।

5. रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के आंकड़े मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस के अनुसार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं। किटको लिमिटेड के आंकड़े 31 मार्च, 2024 को अनंतिम आंकड़ों पर आधारित हैं।

6. एक सहयोगी संस्था आईएसटीएसएल परिसमापन के अधीन है और इस कारण लेखा मानक 21 के अनुसार इसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया जा रहा है। सिडबी ने मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु अपने वित्तीय विवरणों में इस सहयोगी संस्था में निवेश पर पूरा प्रावधान किया हुआ है।

B. निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के परिणाम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं हैं। तथापि, निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

[₹]

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	(%) धारिता		विवरण	निवेश	निवेश के मूल्य में ह्रास	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023			31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1	बीएसएफसी	48.43	48.43	राज्य वित्त निगम	12,01,25,000	(12,01,25,000)	(12,01,25,000)
2	जीएसएफसी	28.41	28.41	राज्य वित्त निगम	12,66,00,000	(12,66,00,000)	(12,66,00,000)
3	एमएसएफसी	39.99	39.99	राज्य वित्त निगम	12,52,41,750	(12,52,41,750)	(12,52,41,750)
4	पीएफसी	25.92	25.92	राज्य वित्त निगम	5,23,51,850	(5,23,51,850)	(5,23,51,850)
5	यूपीएसएफसी	24.18	24.18	राज्य वित्त निगम	17,27,50,000	(17,27,50,000)	(17,27,50,000)
योग					**59,70,68,600**	**(59,70,68,600)**	**(59,70,68,600)**

जीएसएफसी के आंकड़े 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित परिणामों पर आधारित हैं। पीएफसी, बीएसएफसी, एमएसएफसी और यूपीएसएफसी के आंकड़े क्रमशः 31 मार्च, 2020, 31 मार्च, 2019, 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

C. निम्नलिखित निकायों के मामले में, बैंक के पास 20% से अधिक मताधिकार होते हुए भी इन्हें उन्हें एसएस 23 'सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन' के अनुसार सहयोगी संस्था में निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि इन्हें एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार निवेश हेतु बही मूल्य ₹ 1 / - प्रति निकाय लिया गया है।

[₹]

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	(%) धारिता		विवरण	निवेश	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1	बिहार औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	49.25	49.25	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1

3 चालू वर्ष और गत वर्ष के दौरान सहयोगी संस्थाओं के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुए हैं।

4 सिडबी की मूल्यह्रास नीति में आस्तियों का मूल्यह्रास पूर्व-नियत दरों पर एसएलएम/डब्ल्यूडीवी के अनुसार किया जाता है, जबकि सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार एसएलएम/डब्ल्यूडीवी आधार पर मूल्यह्रास का परिकलन करती हैं। अतः समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ₹ 61,89,71,613/- (गत वर्ष ₹ 26,67,08,148/-) के कुल मूल्यह्रास में ₹ 69,85,989/- यानी 1.13% (गत वर्ष ₹ 43,79,854/- यानी 1.64%) का निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रावधानित मूल्यह्रास के आधार पर किया गया है।

5 **कर्मचारियों के हितलाभ**

(i) सिडबी

बैंक ने कर्मचारियों को प्रदत्त विभिन्न हितलाभों का वर्गीकरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कर्मचारी हितलाभ संबंधी लेखांकन मानक (एएस 15) (2005 में संशोधित) के अनुसार किया है, जो निम्नवत है :

(क) निश्चित अंशदायी योजना

बैंक ने लाभ और हानि लेखा में निम्नलिखित राशियों को निर्धारित किया है :

[₹]

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	12,15,49,983	9,18,53,963
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	12,81,87,062	8,95,82,393

(ख) बैंक में निश्चित हितलाभ पेंशन योजनाएं और ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंध न्यास द्वारा किया जाता है।

₹ करोड़

		पेंशन		ग्रेच्युटी	
		वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023
1.	**अवधारणाएँ**				
	बट्टा दर	7.20%	7.50%	7.20%	7.40%
	योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.20%	7.50%	7.20%	7.40%
	वेतन में वृद्धि	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2.	**हितलाभ दायित्वों में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका**				
	वर्ष के आरंभ में देयता	679.80	576.93	107.40	108.95
	ब्याज लागत	25.92	24.65	7.57	7.09
	मौजूदा सेवा लागत	14.45	13.48	5.98	5.92
	पूर्व सेवा लागत (अनिहित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूर्व सेवा लागत (निहित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतरण से प्राप्त देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
	(बाहर अंतरित की गई देयताएँ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त हितलाभ)	0.00	0.00	(13.97)	(12.44)
	दायित्वों पर बीमांकिक (अभिलाभ) / हानि	47.53	64.74	4.90	(2.12)
	वर्ष के अंत में देयता	**767.70**	**679.80**	**111.88**	**107.40**
3.	**योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की तालिका**				
	वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	635.76	589.61	102.30	105.92
	योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	47.68	42.75	7.41	7.08
	अंशदान	0.00	0.00	0.01	0.04
	अन्य कंपनी से अंतरित	0.00	0.00	0.00	0.00
	(अन्य कंपनी को अंतरित)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त हितलाभ)	0.00	0.00	(13.97)	(12.44)
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक अभिलाभ / (हानि)	(1.27)	3.40	(0.36)	1.70
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**682.17**	**635.76**	**95.39**	**102.30**
4.	**बीमांकिक अभिलाभों / हानियों के निर्धारण की तालिका**				
	इस अवधि हेतु दायित्व पर बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियाँ	47.53	64.74	4.90	(2.12)
	इस अवधि हेतु आस्ति पर बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियाँ	1.27	(3.40)	0.36	(1.70)
	आय एवं व्यय विवरणी मे निर्धारित बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियाँ	**48.80**	**61.34**	**5.26**	**(3.82)**
5.	**योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ**				
	योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	47.68	42.75	7.41	7.08
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक अभिलाभ / (हानि)	(1.27)	3.40	(0.36)	1.70
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**46.41**	**46.15**	**7.05**	**8.78**
6.	**तुलन-पत्र में निर्धारित राशि**				
	वर्ष के अंत में देयता	(767.70)	(679.80)	(111.88)	(107.40)
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	682.17	635.76	95.39	102.30
	अंतर	(85.53)	(44.04)	(16.49)	(5.10)
	वर्ष के अंत में पूर्व सेवा की अनिर्धारित लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित संक्रमणीय देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलन-पत्र में निर्धारित निवल राशि	**(85.53)**	**(44.04)**	**(16.49)**	**(5.10)**

₹ करोड़

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023
7. आय विवरणी में निर्धारित व्यय				
वर्तमान सेवा लागत	14.46	13.48	5.98	5.92
ब्याज लागत	25.92	24.65	7.57	7.09
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(47.68)	(42.75)	(7.41)	(7.08)
वर्ष के दौरान निर्धारित पूर्व सेवा लागत (गैर-निहित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान निर्धारित पूर्व सेवा लागत (निहित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान संक्रमण देयता का निर्धारण	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (अभिलाभ) / हानि	48.80	61.34	5.26	(3.82)
लाभ और हानि लेखा में निर्धारित व्यय	**41.50**	**56.72**	**11.40**	**2.11**
8. तुलन-पत्र समाधान				
आरंभिक निवल देयता	44.04	(12.68)	5.10	3.03
उक्त के अनुसार व्यय	41.50	56.72	11.40	2.11
नियोक्ता अंशदान	-	0.00	(0.01)	(0.04)
तुलन-पत्र में निर्धारित राशि	**85.54**	**44.04**	**16.49**	**5.10**

9. अन्य विवरण

पदोन्नति, मांग और कर्मचारी आपूर्ति के अनुसार उद्योग में प्रचलित व्यवहार के अनुरूप वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखा गया है।

₹ Crore

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023
10. आस्तियों की श्रेणी				
भारत सरकार की आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
कार्पोरेट बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	682.17	635.76	95.39	102.30
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**682.17**	**635.76**	**95.39**	**102.30**

11. अनुभव समायोजन:

विवरण	पेंशन					ग्रेच्युटी				
	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2020	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2020
योजनागत देयता पर (अभिलाभ)/हानि	17.32	85.05	15.71	(1.14)	46.87	3.44	1.60	0.65	(0.43)	3.28
योजनागत आस्ति पर (हानि)/अभिलाभ	1.27	3.40	53.76	(1.15)	25.17	(0.36)	1.70	(0.22)	(0.13)	0.09

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अन्य दीर्घकालिक हितलाभ योजनाओं से संबंधित वे राशियां, जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित की गई हैं, निम्नवत हैं :

₹ करोड़

क्र. सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2024	यथा 31 मार्च, 2023
1	साधारण अवकाश नकदीकरण	31.61	40.97
2	बीमारी अवकाश	-0.08	1.86
3	पुनर्वास व्यय	0.75	0.46
4	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना सुविधाएं	9.21	0.79

(ii) एसवीसीएल

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने ₹ 6,57,640/- (पिछले वर्ष - ₹ 3,47,753/-) की राशि का योगदान सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी बीमा योजना (न्यास) में इसके कर्मचारियों के लिए किया। इसमें ₹ 52/- (गत वर्ष - ₹ 2,26,660/-) पुराने कर्मचारियों के लिए और ₹ 6,57,588/- (गत वर्ष - ₹ 1,21,093) नए कर्मचारियों के लिए थी।

विवरण	नियोजन पश्चात् हितलाभ	
	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023
हितलाभ का स्वरूप	ग्रेच्युटी	ग्रेच्युटी
तुलन-पत्र में निर्धारित आस्तियाँ व देयताएँ		
गैर-निधीयित निश्चित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	शून्य	शून्य
निधीयित या अंशत: निधीयित निश्चित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	₹ 60,55,243	₹ 67,94,806
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	₹ 62,54,710	₹ 71,60,191
तुलन-पत्र में निर्धारित न की गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य
कोई राशि जो आस्ति के रूप में निर्धारित नहीं की गई है	शून्य	शून्य
आस्ति के रूप में निर्धारित किन्हीं प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में निर्धारित अन्य राशियाँ, यदि कोई हों	शून्य	शून्य
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में शामिल राशियाँ :		
स्वयं के वित्तीय लिखत	शून्य	शून्य
संपत्ति या अन्य प्रयुक्त आस्तियां	शून्य	शून्य
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	₹ 62,54,710	₹ 71,60,191
निवल देयताओं में परिर्तन :		
आरंभिक निवल देयता	(₹ 3,65,385)	(₹ 1,53,674)
व्यय	₹ 8,23,558	₹ 1,36,063
अंशदान	-₹ 6,57,640	(₹ 3,47,774)
अंतिम निवल देयता	-₹ 1,99,467	(₹ 3,65,385)
लाभ और हानि लेखे में निर्धारित व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	₹ 3,66,611	₹ 1,45,246
ब्याज लागत	₹ 5,09,610	₹ 4,49,011
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	-₹ 5,37,014	(₹ 4,59,691)
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	एन.ए.	एन.ए.
बीमांकिक अभिलाभ/(हानियां)	₹ 4,84,351	₹ 1,497
लाभ व हानि विवरणी में निर्धारित कुल व्यय	₹ 8,23,558	₹ 1,36,063
पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य
कटौती/निपटान का प्रभाव	शून्य	शून्य
पैरा 59 (बी) में सीमा का प्रभाव	एन.ए.	एन.ए.
योजनागत आस्तियों और आस्ति के रूप में निर्धारित प्रतिपूर्ति अधिकारों पर वास्तविक प्रतिलाभ	657640	शून्य
बीमांकिक अवधारणाएं		
बट्टा दरें	7.50%	6.95%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.50%	6.95%
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	शून्य	शून्य

विवरण	नियोजन पश्चात् हितलाभ	
	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023
वेतन में वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%
चिकित्सा लागत प्रवृत्तियाँ	N.A.	N.A.
मर्त्यता	भारतीय एश्योर्ड जीवन मर्त्यता (2012-14) (शहरी)	भारतीय एशोर्ड्ड जीवन मर्त्यता (2012-14) (शहरी)
दिव्यांगता	शून्य	शून्य
ह्रास	3.00%	3.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष

(iii) मुद्रा

(क) उन कर्मचारियों के लिए, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और वेतन बकाया की देखरेख उस नियोक्ता द्वारा की जाती है जिसने कर्मचारियों को इस कंपनी में प्रतिनियुक्त किया है। तथापि मुद्रा द्वारा चालू वर्ष में लाभ और हानि लेखा में ₹ 28.97 लाख (मार्च 2023 में ₹ 30.32 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है । इन लागतों की मांग सिडबी द्वारा किए जाने पर, इनका भुगतान सिडबी को किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के संबंध में कोई भी नियोजन पश्चात कर्मचारी हितलाभ लागू नहीं है।

(ख) अत: कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत जारी 'संशोधित एएस 15- कर्मचारी हितलाभ' के अंतर्गत कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

6 प्रति शेयर अर्जन* :

	31 मार्च, 2024 (₹)	31 मार्च, 2023 (₹)
प्रतिशेयर अर्जन की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ	48,22,33,97,709	39,31,47,12,878
₹ 10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	56,85,41,169	56,85,41,169
प्रति शेयर अर्जन	84.82	69.15

*चूंकि कोई तनुकरण संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं, इसलिए मूल एवं तनूकृत प्रति शेयर अर्जन समान हैं।

7 लेखांकन मानक 22 आय पर कर का लेखांकन के अनुसार बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखा में आस्थगित कर देयता के रूप में ₹ 5,54,52,09,931/- की राशि निर्धारित की है(पिछले वर्ष आस्थगित कर आस्ति ₹ 172,73,59,844/-थी)।

यथा 31 मार्च, 2024 आस्थगित कर आस्ति/(देयता) का विवरण निम्नवत है:

क्र. स.	समय-अंतराल	आस्थगित कर आस्ति /(देयता)	
		वित्त वर्ष 2023-24 (₹)	वित्त वर्ष 2022-23 (₹)
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	9,96,08,023	2,99,66,550
2	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष आरक्षिति	(4,47,95,70,413)	(4,07,64,80,346)
3	गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	25,11,88,222	11,70,13,876
4	खातों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान	(0)	60,105
5	गैर निष्पादक निवेश के लिए प्रावधान	81,27,67,668	83,40,09,746
6	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	9,34,03,67,925	4,64,13,82,523
7	अन्य	1,65,24,58,516	58,56,57,558
	निवल आस्थगित कर आस्ति/ (देयता)	**7,67,68,19,942**	**2,13,16,10,013**

8 पूंजीगत खाते में ऐसी संविदाओं की अनुमानित राशि, जिनका निष्पादन किया जाना शेष है तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (भुगतान किए गए अग्रिम को घटाकर) - 73,41,057

9 भा रि बैंक के दिनांक 7 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित प्रकटन:

i) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई समाधान योजनाएं

मामलों की संख्या	शेष बकाया*
शून्य	शून्य

ii) पुनःसंरचना प्रक्रिया के दौरान ऋण के इक्विटी में परिवर्तन के फलस्वरूप अर्जित प्रतिभूतियों का विवरण:

विवरण	शेयर / यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	बही मूल्य (₹)
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii) 31 मार्च, 2024 तक भा रि बैंक के परिपत्र दिनांक 6 अगस्त, 2020 (समाधान फ्रेमवर्क 1.0) और 5 मई 2021 (समाधान फ्रेमवर्क 2.0) के अनुसार कोविड-19संबंधी दुष्प्रभावों के लिए आरबीआई समाधान फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित समाधान योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के पश्चात मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर - पिछली छमाही की समाप्ति पर स्थिति (क)	उक्त (क) में से ऐसे ऋण जो इस छमाही के दौरान एनपीए हो गए	उक्त (क) में से इस छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	उक्त (क) में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा अदा की गई राशि[$]	समाधान योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् मानक के रूप में वर्गीकृत खातों की राशि - इस छमाही की समाप्ति पर स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	---	---	---	---	---
नैगम व्यक्ति	24.66	---	---	15.54	9.12
इनमें से एमएसएमई	24.66	---	---	15.54	9.12
अन्य	---	---	---	---	---
योग	**24.66**	**---**	**---**	**15.54**	**9.12**

[$]शेष बकाया राशि में निवल परिवर्तन को दर्शाता है।

iv) ऐसे उधारकर्ता खातों की संख्या शून्य है, जहां समाधान योजना, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर/ एसटीआर/ आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021: 'समाधान फ्रेमवर्क - 2.0 : व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 से संबंधित दबाव का समाधान' के अनुसरण में क्रियान्वित की गई है। साथ ही, समाधान फ्रेमवर्क 1.0 के अंतर्गत क्रियान्वित खातों के संबंध में कोई संशोधन स्वीकृत और क्रियान्वित नहीं किए गए ।

10 अनुसूची XI में उल्लिखित आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं में "बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया" शामिल हैं, जिनकी राशि ₹ 9,89,43,47,386 रुपये है (पिछले वर्ष ₹ 9,64,85,12,907) । ये वर्तमान में जारी विभिन्न कानूनी मामलों के विषय में सामान्य व्यवसाय परिचालन के संबंध में बैंक के विरुद्ध दायर किए गए दावों और आयकर एवं अन्य वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा की गई मांगों को दर्शाते है। इन्हें बैंक द्वारा विवादग्रस्त माना जा रहा है और विशेषज्ञों के मतानुसार इनपर प्रावधान नहीं किया गया है।

11 प्रबंधन के मतानुसार, लेखांकन मानक 28- आस्तियों की क्षति के संदर्भ में बैंक की स्थिर आस्तियों में कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं हुई है।

12 आकस्मिकताओं में प्रावधानों के लिए लेखांकन मानक 29 के तहत प्रकटन। बैंक के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा हर पांच वर्ष में की जाती है। यह समीक्षा 01 नवंबर, 2022 से लंबित है।

विवरण	बकाया वेतन /प्रोत्साहन	
	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023
अथशेष	**23,64,78,635**	**1,39,13,00,000**
जोड़ें	-	
बकाया वेतन	1,17,22,22,552	65,69,31,704
प्रोत्साहन	-	-
उपयोग	1,71,67,511	1,81,17,53,069
प्रतिलेखन	-	-
इतिशेष	**1,39,15,33,676**	**23,64,78,635**

13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों की पुनर्संरचना :

आरबीआई के 11 फरवरी, 2020 के परिपत्र के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधारकर्ताओं के अग्रिमों की पुनर्संरचना की गई थी । आरबीआई ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना' पर अपने 06 अगस्त, 2020 के परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 के दुष्प्रभाव के कारण व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं की सहायता हेतु इन्हें भी इस इस योजना में शामिल किया। इसके अलावा आरबीआई ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/32 डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 12 / 21.04.048 / 2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 से संबंधित दबाव के समाधान ढांचे 2.0 की सूचना दी है। इन दिशा-निर्देशों के तहत पुनर्संरचित एमएसएमई खाते निम्नवत हैं :

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
915	554.34

14 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने निदेशक मंडल से स्वीकृत त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार आईआरएसी मानदंडों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम दरों से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान किया है। तदनुसार, यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक के पास मानक अग्रिमों (पुनर्संरचित खातों सहित) पर ₹ 1538.90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है।

15 24 सितंबर, 2021 के एक्सपोजर हस्तांतरण संबंधी आरबीआई के मास्टर निदेश के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित / अधिगृहीत ऋणों के विवरण निम्नवत हैं :

i. असाइनमेंट के माध्यम से प्राप्त डिफ़ॉल्ट ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	2023-24	2022-23
अधिगृहीत ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	48.94	---
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में)	106.84	---
आरंभकर्ता की भारित औसत धारिता अवधि (महीनों में)	13.31	---
आरंभकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	20%	---
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	266.45%	---
रेटिंगयुक्त ऋणों का रेटिंगवार वितरण	---	---

ii. हस्तांतरित की गई गैर निष्पादक आस्तियों के विवरण

₹ करोड़ में

विवरण	आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों को	अनुमन्य हस्तांतरितियों को	अन्य हस्तांतरितियों को
खातों की संख्या	2	-	-
हस्तांतरित ऋणों की कुल बकाया मूलधन राशि	939	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	NA	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	-	-	-
कुल प्रतिफल	455	-	-
पूर्व वर्षों में हस्तांतरित खातों के संदर्भ में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-	-

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, प्रतिभूति रसीदों में किया गया निवेश ₹ 56.77 करोड़ रहा। प्रतिभूति रसीदों के लिए प्रावधान किया जाता है, अत: निवल बही मूल्य शून्य है। दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ व हानि लेखा में प्रतिवर्तित अधिशेष प्रावधान राशि शून्य थी ।

iii. बैंक ने ऐसे किसी भी ऋण को हस्तांतरित नहीं किया है जो चूकग्रस्त / विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) वर्ग में नहीं है।

iv. बैंक ने किसी दबावग्रस्त ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है।

16 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के भा रि बैंक मास्टर निदेश आरबीआई/डीओआर/2021-22/85 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22 - (मानक आस्तियों का प्रतिभूतीकरण) निदेश, 2021, के अनुसार एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि और एमआरआर का अनुपालन करने के लिए तुलन पत्र की तिथि को आरंभकर्ता द्वारा प्रतिधारित किए गए एक्सपोजर की कुल राशि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु शून्य है।

17 मूल और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त सांविधिक सूचना का समेकित वित्तीय विवरणियों के सही और निष्पक्ष प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों में गैर महत्वपूर्ण मदों से संबंधित सूचना भी शामिल नहीं की गई है।

18 **इंड-एएस का कार्यान्वयन:**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को 15 मई, 2019 को जारी पत्र के अनुसार, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक के वित्तीय विवरण आईजीएएपी के अंतर्गत ही तैयार किये जा रहे हैं।

19 भा रि बैंक परिपत्र सं आरबीआई/2023-24/90 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.58/21.04.048/2023-24 दिनांक 19 दिसंबर, 2023- वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश तथा परिपत्र सं आरबीआई /2023-24/140 डीओआर, एसटीआर, आरईसी, 85/21.04.048/2023-24 दिनांक 27 मार्च, 2024 के माध्यम से जारी परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए ₹ 110.64 करोड़ का प्रावधान किया है।

20 अनुसूची "XIV - परिचालन व्यय" के अंतर्गत बैंक द्वारा सीजीटीएमएसई में किया गया ₹ 500 करोड़ का अंशदान शामिल है।

21 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में लघु उद्योग विकास सहायता निधि (एसआईडीएएफ) और सामान्य निधि के अंतर्गत लेखा की प्रस्तुति के लिए पृथक प्ररूप निर्धारित किया गया है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा अलग से कोई लघु उद्योग विकास सहायता निधि अधिसूचित नहीं की गई है, अत: सिडबी द्वारा इसका लेखा नहीं रखा जा रहा है।

22 चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए गत वर्ष के आंकड़ों का आवश्यकतानुसार पुन:समूहन एवं पुन: वर्गीकरण किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

1. पूँजी पर्याप्तता (बासेल I के अनुसार)

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी*	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कुल टियर 1 पूँजी	31260.02	26956.57
(iv)	टियर 2 पूँजी	2192.44	1585.69
v)	कुल पूँजी (टियर 1 + टियर 2)	33452.46	28542.26
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (जोभाआ / आर.डब्ल्यू.ए.)	187300.47	135214.71
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (जोभाआ/ आर.डब्ल्यू.ए. का सामान्य ईक्विटी में प्रतिशत)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (जोभाआ/ आर.डब्ल्यू.ए. का टियर 1 पूँजी में प्रतिशत)	16.69%	19.94%
ix)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति कुल पूँजी अनुपात प्रतिशत में)	17.86%	21.11%
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	20.85	20.85
xi)	जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि	-	-
xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी, जिसमें से-	-	-
	क) स्थायी गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस):	-	-
	ख) स्थायी ऋण पत्र (पीडीआई)	-	-
xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूँजी राशि, जिसमें से -	-	-
	क) ऋण पूँजी लिखतें :	-	-
	ख) स्थायी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) :	-	-
	ग) शोध्य गैर संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-	-

* चूँकि बासेल III नहीं लागू है अत: आँकड़ों का वर्तमान में परिकलन नहीं किया गया है

2. निर्बंध आरक्षित निधियाँ और प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (संचयी)	3711.20	1844.17

(ख) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
अस्थायी प्रावधान खाते में अथ शेष	495.67	495.67
लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
लेखा वर्ष में की गयी गिरावट की राशि*	0.00	0.00
अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	495.67	495.67

*05 मई, 2021 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार और अस्थायी प्रावधान पर बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए प्रावधान करने के लिए राशि का उपयोग किया गया था।

3. आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक ऋण (एनपीए)

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
(i) निवल ऋण की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	**0.00%**	**0.00%**
(ii) अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन (सकल)		
क) अथ शेष	55.05	299.60
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	129.38	93.39
(ग) वर्ष के दौरान कमी	62.93	337.94
(घ) इति शेष	121.50	55.05
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
क) अथ शेष	8.56	132.10
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	(1.29)	(82.66)
(ग) वर्ष के दौरान कमी	7.26	40.88
(घ) इति शेष	**0.00**	**8.56**
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में प्रगति (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथ शेष	46.49	167.50
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	130.66	176.05
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना	55.65	297.06
(घ) इति शेष	**121.50**	**46.49**

*यदि चल प्रावधान की राशि उसके साथ समायोजित है तो पिछले वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति शून्य होगी।

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
(i) निवल निवेश की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	**0.00%**	**0.00%**
(ii) अनर्जक निवेश (सकल) में परिवर्तन		
(क) अथ शेष	331.38	350.16
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	350.31	-
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.80	18.78
(घ) इति शेष	680.89	331.38
(iii) निवल अनर्जक निवेश में परिवर्तन		
(क) अथ शेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
(घ) इति शेष	**0.00**	**0.00**
(iv) अनर्जक निवेश के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
(क) अथ शेष	331.38	350.16
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	350.31	0.00
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना	0.80	18.78
(घ) इति शेष	**680.89**	**331.38**

*इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, ₹ 297.76 करोड़ के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, ₹ 52.44 करोड़ की प्रतिभूति प्राप्ति (₹ 56.77 करोड़ का आरंभिक निवेश) और ऋण परिवर्तन के माध्यम से अर्जित ₹ 0 .01 करोड़ का इक्विटी शेयर शामिल है।

(ग) अनर्जक आस्तियाँ (क+ख)

(₹ करोड़)

विवरण		वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
(i)	**निवल आस्तियों (ऋण + निवेश) के प्रति निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)**	**0.00%**	**0.00%**
ii)	**अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन (सकल ऋण + सकल निवेश)**		
	(क) अथ शेष	386.43	649.76
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	479.69	93.39
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	63.73	356.72
	(घ) इति शेष	802.38	386.43
(iii)	**निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन**		
	(क) अथ शेष	8.56	132.10
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	(1.29)	(82.66)
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	7.27	40.88
	(घ) इति शेष	**0.00**	**8.56**
(iv)	**अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)**		
	(क) अथ शेष	377.87	517.66
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	480.98	176.05
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना	56.46	315.84
	(घ) इति शेष	**802.38**	**377.87**

3 (घ) पुनर्रचित खाते

[₹ करोड़ में]

क्र. सं.	पुनर्रचना का प्रकार ⇨		पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण																			
			सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनर्रचना तंत्र के तहत					अन्य					Total				
	आस्ति वर्गीकरण ⇨		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
	विवरण ⇨																					
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाते (आरंभिक ऑकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-	8.00	8.00	-	-	-	8.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.09	-	0.00	-	27.09	27.09	-	0.00	-	27.09
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.00	(0.00)	-	0.02	0.02	0.00	(0.00)	-	0.02
2	वर्ष के दौरान ताजा पुनर्रचना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	9.00	-	9.00	-	-	9.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.35	-	-	24.35	-	24.35	-	-	24.35
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्रचित मानक अग्रिम, जिन पर वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद हो जाता है, और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्रचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	(5.00)	-	-	-	(5.00)	(5.00)	-	-	-	(5.00)
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.13)	-	-	-	(7.13)	(7.13)	-	-	-	(7.13)
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.01)	-	-	-	(0.01)	(0.01)	-	-	-	(0.01)
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों का अपन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों का बट्टे खाते में डालना #	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.00)	(7.00)	-	-	(8.00)	(1.00)	(7.00)	-	-	(8.00)
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.37)	(9.37)	-	-	(12.74)	(3.37)	(9.37)	-	-	(12.74)
		उन पर प्रावधान					-					-	(0.01)	-	-	-	(0.01)	(0.01)	-	-	-	(0.01)
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च, को पुनर्रचित खाते (अंतिम ऑकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	4.00	2.00	2.00	-	-	4.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.60	14.99	0.00	-	31.59	16.60	14.99	0.00	-	31.59
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.00)	0.00	(0.00)	-	(0.00)	(0.00)	0.00	(0.00)	-	(0.00)

*मानक पुनर्रचित अग्रिमों के आँकड़ों को छोड़कर, जिन पर उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार (यदि लागू हो) नहीं लगता है।

नोट: क्रमांक 6 के आँकड़ों में, मौजूदा पुनर्रचित खातों के संबंध में ₹ 3.25 करोड़ की कटौती/वसूली के बकाया निवल में वृद्धि शामिल है।

(च) अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
लेखापरीक्षा अवधि की प्रारंभिक तारीख को सकल अनर्जक आस्तियाँ (अथ शेष)	55.05	299.60
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	129.38	93.39
उप-योग (क)	**184.43**	**392.99**
घटाएँ:-		
(i) उन्नयन	6.72	35.01
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियां)	1.86	32.79
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टा खाता	54.35	211.42
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाले गए*	-	58.72
उप-योग (ख)	**62.93**	**337.94**
अगले वर्ष के 31 मार्च, को सकल अनर्जक आस्तियाँ (इति शेष) (क- ख)	**121.50**	**55.05**

(छ) बट्टे खाते एवं वसूलियां

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
यथा 1 अप्रैल तक तकनीकी / बट्टे खाते में अथ शेष	2,768.23	3,389.19
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	54.35	262.75
उप-योग (क)	**2,822.58**	**3,651.94**
घटाएं: वास्तविक बट्टे खाते	966.48	594.90
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछलें तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में से की गई वसूलियाँ	228.13	288.81
उप-योग (ख)	**1,194.61**	**883.71**
31 मार्च, को इति शेष (क-ख)	**1,627.97**	**2,768.23**

*इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, ₹ 297.76 करोड़ के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, ₹ 52.44 करोड़ की प्रतिभूति प्राप्ति (₹ 56.77 करोड़ का आरंभिक निवेश) और ऋण परिवर्तन के माध्यम से अर्जित ₹ 0.01 करोड़ का इक्विटी शेयर शामिल है।

(ज) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ एवं राजस्व

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
कुल आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(झ) मूल्यह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	**37,145.88**	**27,775.69**
(क) भारत में	37,145.88	27,775.69
(ख) भारत से बाहर		
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**708.64**	**362.25**
(क) भारत में	708.64	362.25
(ख) भारत से बाहर		
(iii) निवल निवेश	**36,437.24**	**27,413.44**
(क) भारत में	36,437.24	27,413.44
(ख) भारत से बाहर		
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में परिवर्तन		
(i) अथ शेष	30.87	6.33
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.23	26.05
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई हो तो	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित / बट्टे खाते में डाले गए*	3.35	1.51
(v) घटाएं : निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण, यदि कोई हो	-	-
(vi) इति शेष	**27.75**	**30.87**

*वित्तवर्ष 2024 में बैंक ने निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व खाते में ₹ 2.51 करोड़ (लागू करों का निवल) विनियोजित किया है।

(ट) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़)

लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
निवेश पर अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	(8.15)	5.76
अनर्जक आस्ति के प्रति प्रावधान	129.21@	148.83@
आयकर के संदर्भ में किया गया प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति / देयता शामिल)	1542.20$	1251.54
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (विवरण सहित)$	1966.62	699.49$

@ पुनर्संरचना प्रावधान का निवल

$ इसमें मानक आस्तियों के लिए प्रावधान भी शामिल है।

(ठ) प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)

(₹ करोड़)

प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)*	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
Provisioning Coverage Ratio (PCR)*	100.00%	99.70%

* पीसीआर के परिकलन के समय अस्थिर प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है

(ड) धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान

(₹ करोड़)

	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले	2	9
धोखाधड़ी में शामिल धनराशि (₹ करोड़ में)	17.33	36.87
वर्ष के अंत में धोखाधड़ी में शामिल वसूली/बट्टे खाते में डालने/अप्राप्त ब्याज की निवल राशि (₹ करोड़ में)	16.79	31.06
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (₹ करोड़ में)	0.00	1.13
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (₹ करोड़ में)	16.79	31.06
वर्ष के अंत में "अन्य आरक्षितियों" से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)	-	-

4. निवेश संविभाग : संघटन और परिचालन

(क) रेपो संव्यवहार

(₹ करोड़)

	वित्तवर्ष 2024 के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वित्तवर्ष 2024 के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वित्तवर्ष 2024 के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2024 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	23,510.00	7,494.65	18,985.00
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	22,746.00	961.13	500.00
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

(₹ करोड़)

	वित्तवर्ष 2023 के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वित्तवर्ष 2023 के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वित्तवर्ष 2023 के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2023 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	13,673.20	2,720.28	10,543.96
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	14,994.39	1,632.35	1,998.89
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

(ख) ऋण-प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ताओं की संघटना का प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

जारीकर्ता	राशि	निम्नलिखित की राशि			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी निवेश श्रेणी प्रतिभूति से निम्न में धारित प्रतिभूतियाँ	बिना रेटिंग के प्रतिभूति में धारित	असूचीबद्ध प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	49.56	0.00	-	-	-
वित्तीय संस्थाएँ	2861.89	2861.89	-	189.84	189.84
बैंक	3833.19	3833.19	-	103.50	103.50
निजी कार्पोरेट्स	821.30	754.61	-	754.61	746.57
सहायक / संयुक्त उपक्रम	0.00	1,751.05	-	1,751.05	1,751.05
अन्य	963.52	963.52	-	963.52	963.52
मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(708.39)	-	-	-	-
योग	**7821.07**	**10164.26**	**0.00**	**3762.52**	**3754.47**

(ग) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण :

वित्तवर्ष 2024 के दौरान, बैंक ने मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार वेंचर कैपिटल फंड में निवेश को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में अंतरण कर दिया। उपर्युक्त को छोड़कर, एचटीएम श्रेणी में/से निवेश पर कोई अंतरण नहीं हुआ।

5. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(क) आस्ति पुनर्संरचना के उद्देश्य से प्रतिभूतीकरण / पुनर्संरचित कंपनियों को बेची गईं आस्तियों के विवरण

(i) बिक्री का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
(i) खातों की संख्या (उधारकर्ता)	2	शून्य
(ii) एस सी /आर सी को बेंचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	-	शून्य
(iii) सकल प्रतिफल (₹ करोड़)	455.30	शून्य
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v) निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	शून्य	शून्य

(ii) प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विवरण	प्रतिभूति रिसीट में निवेश का बही मूल्य	
	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
(i) एआईएफआई द्वारा बेची गयी अनर्जक आस्तियों से समर्थित	52.71	0.27
(ii) बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए गैर निष्पादित आस्ति द्वारा समर्थित	0.00	0.00
योग	**52.71**	**0.27**

(ख) खरीदी गयी /बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य

(ii) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
बेचे गए खातों की संख्या	2	Nil
सकल बकाया (₹ करोड़)	939.14	Nil
सकल प्राप्त प्रतिफल (₹ करोड़)	455.30	Nil

6. परिचालन परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
(i) औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय प्रतिशत	6.74	5.30
(ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय	0.14	0.14
(iii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (प्रावधान पूर्व)	1.55	1.63
(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व)	1.14	1.40
(v) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	3.72	3.66

7. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूँजी बाजारगत जोखिम

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो;	596.32	320.03
(ii) शेयरों / बांडों /ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, (आईपीओएस /ईएसओपीएस) परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश;	-	-
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों के जरिये प्रतिभूत हो यानी जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है;	-	-
(v) स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की और से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम/ गारंटियाँ जारी करना;"	-	-
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट को मंजूर ऋण;	-	-
(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण देना;	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा लिया गया हामीदारी वादा;	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण;	-	-
(x) उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्स्पोज़र	1071.44	1,173.61
पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**1,667.76**	**1,493.63**

(ख) देश जोखिम का एक्सपोजर

(₹ करोड़)

जोखिम श्रेणी	वित्तवर्ष 2023-24		वित्तवर्ष 2022-23	
	निवल वित्त पोषित एक्सपोजर	किया गया प्रावधान	निवल वित्त पोषित एक्सपोजर	किया गया प्रावधान
नगण्य	17,782.87	43.80	10,902.69	26.40
निम्न	1,049.64	-	1,018.09	-
मामूली	30.90	-	15.90	-
उच्च	5.96	-	5.64	-
बहुत उच्च	-	-	-	-
निर्बंधित	-	-	-	-
ऑफ-क्रेडिट	-	-	-	-
योग	**18,869.37**	**43.80**	**11,942.32**	**26.40**

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएँ - एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

क्र. सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	प्रदत्त निधि राशि	गैर-निधि राशि	जोखिम पूँजी निधियों के % में
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii) पूँजी निधियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्स्पोजर और कुल आस्तियों के संदर्भ में उनका प्रतिशत :

क्र.सं.	विवरण	वित्तवर्ष 2023-24		वित्तवर्ष 2022-23	
		कुल आस्तियों के % में	पूँजी निधियों के % में	कुल आस्तियों के % में	पूँजी निधियों के % में
1	एकल बड़े उधारकर्ता	13.80	231.18	13.63	209.72
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ हैं, अत: उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं।			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	63.99	1071.75	67.94	1045.64
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ हैं, अत: उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं।			

iii) कुल ऋण आस्तियों का पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत :

(₹ करोड़)

उद्योग का नाम	वित्तवर्ष 2023-24		वित्तवर्ष 2022-23	
	शेष राशि	कुल ऋण आस्तियों के % मे	शेष राशि	कुल ऋण आस्तियों के % मे
वस्त्र उत्पाद	4,179.00	0.92	1,373.15	0.36
ऑटो अनुषंगी	3,490.00	0.77	1,303.56	0.34
धातु उत्पाद एन.ई.सी.	2,446.00	0.54	1,298.56	0.34
प्लास्टिक मोल्ड उत्पाद	2,155.00	0.47	707.12	0.19
मशीनरी छोड़कर मेटल उत्पाद पार्ट	1,649.00	0.36	648.03	0.17

(iv) कुल अग्रिम राशि, जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकार, अनुज्ञप्तियाँ, प्राधिकार आदि लिया गया है, वह शून्य है।

(v) टीआरईडीएस के अंतर्गत, बैंक का फैक्टरिंग एक्सपोज़र वित्तवर्ष 2024 में ₹ 1424.89 करोड़ एवं वित्तवर्ष 2023 में ₹ 545.12 था।

(vi) बैंक ने गत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

(घ) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं, ऋण एक्सपोज़र एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियाँ	4,03,811.75	3,16,623.42
बीस बड़े ऋणदाताओं की उधारियों का कुल उधारियों में प्रतिशत	79.81%	79.04%

(ii) ऋण जोखिम का संकेद्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	3,58,526.52	2,98,449.36
बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का कुल अग्रिमों में प्रतिशत	73.93%	74.56%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़ार	3,89,132.18	3,33,833.93
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोज़र का कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	69.91%	73.38%

(iii) एक्सपोज़र राशि और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	क्षेत्र	वित्तवर्ष 2023-24			वित्तवर्ष 2022-23		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ	क्षेत्र में कुल अग्रिमों मेंअनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	**औद्योगिक क्षेत्र**	4,16,079.36	81.21	0.02%	3,35,409.61	14.74	0.00%
1	केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
2	सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम	-	-	-	-	-	-
3	राज्य सरकारें	2,111.20	-	0.00%	1,541.63	-	-
4	सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य स्तरीय उपक्रम	-	-	-	-	-	0.00
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,85,286.86	-	0.00%	3,14,619.21	-	0.00
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,709.51	-	0.00%	832.72	-	-
7	सहकारी बैंक	64.72	-	0.00%	-	-	-
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	26,907.07	81.21	0.30%	18,416.05	14.74	0.08%
II.	**अल्पवित्त क्षेत्र**	11,028.51	40.29	0.37%	6,575.89	40.31	0.61%
III.	**अन्य***	57,925.00	-	-	36,056.54	-	0.00%
	योग (I+II+III)	**4,85,032.87**	**121.50**	**0.03%**	**3,78,042.04**	**55.05**	**0.01%**

*इसमें गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए अग्रिम भी शामिल हैं।

8. व्युत्पन्नी

(क) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	शून्य	123.72
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियां	शून्य	-1.91
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक-प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	शून्य	शून्य
v)	विनिमय लेखों का फेयर मूल्य	शून्य	-1.91

31 मार्च, 2024 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नवत हैं :

क्र. सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2023 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नवत हैं:

क्र. सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	1	₹ 123,72,29,020.00	6 M USD LIBOR	नियत प्राप्य राशि बनाम /चल देयताएँ

(ख) विनिमय बाजार में खरीदे-बेचे जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
ii)	यथा 31 मार्च, बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं का मार्केट मूल्य (लिखत-वार)	शून्य	शून्य

(ग) व्युत्पन्नियों से सम्बद्ध जोखिम राशि का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है. बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में है जो एमटीएम न होकर केवल रूपांतरित हैं. बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता है।

(2) बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है. बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में है जो एमटीएम न होकर केवल रूपांतरित हैं. बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता है।

(3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्नी सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन करने के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

(घ) ऋण चूक स्वैप पर प्रकटीकरण - बैंक ने वर्ष के दौरान कोई ऋण चूक स्वैप नहीं किया है।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वित्तवर्ष 2023-24		वित्तवर्ष 2022-23	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	2,571.32	-	3,361.40	123.72
(i)	बचाव (हेजिंग) के लिए	2,571.32	-	3,361.40	123.72
(ii)	व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	431.60	-	535.51	-1.91
(i)	आस्ति (+)	431.60	-	535.51	-
(ii)	देयता (-)	-	-	-	1.91
3	ऋण एक्सपोजर [2]	544.66	-	730.12	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला संभावित प्रभाव (100* पी वी 01)	24.44	-	1,681.43	(0.72)
(i)	बचाव (हेजिंग) व्युत्पन्नियों पर	24.44	-	1,681.43	(0.72)
(ii)	व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यून तम 100* पी वी 01	-	-	-	-
(i)	बचाव (हेजिंग) पर	479.62/24.44	-	1912.87/0.56	(0.72)/(2.47)
(ii)	व्यापार पर	-	-	-	-

9. एआईएफआई द्वारा जारी आश्वासन-पत्रों (एलओसी) का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी आश्वासन-पत्रों (एलओसी) का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए आश्वासन-पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं तथा अग्रिमों के विवरण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़)

आश्वासन-पत्रों (एलओसी) संबंधी बकाया (यथा 31 मार्च, 2023)		वर्ष के दौरान जारी आश्वासन-पत्र (एलओसी)		वर्ष के दौरान मोचन किए गए आश्वासन-पत्र (एलओसी)		आश्वासन-पत्र (एलओसी) संबंधी बकाया (यथा 31 मार्च, 2024)	
आश्वासन-पत्रों (एलओसी) की संख्या	राशि	आश्वासन-पत्रों (एलओसी) की संख्या	राशि	आश्वासन-पत्रों (एलओसी) की संख्या	राशि	आश्वासन-पत्रों (एलओसी) की संख्या	राशि
-	-	-	-	-	-	-	-

10. आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम)

(₹ करोड़)

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	76.99	2,516.77	495.63	16,829.21	47,881.29	1,66,852.59	3,935.01	2,828.24	2,41,415.73
अग्रिम	7,155.63	1,643.76	36,631.61	75,346.00	86,814.64	2,55,559.93	19,400.02	2,381.51	4,84,933.09
निवेश	6,619.73	9,195.12	19,174.71	25,661.21	3,072.63	893.60	1,500.00	1,359.44	67,476.43
उधारियाँ	21,336.08	12,250.00	77,852.82	26,885.08	56,073.23	50,431.07	25,348.64	368.57	2,70,545.49
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	5.03	8.45	1,453.75	73.32	1,482.21	490.20	303.82	0.92	3,817.70
विदेशी मुद्रा देयताएँ	1.06	7.47	1,099.64	66.81	408.60	880.64	602.93	259.50	3,326.65

एएलएम में केवल सिडबी और मुद्रा के आँकड़े शामिल हैं।

11. आरक्षितियों से आहरित

चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से कोई आहरण नहीं हुआ।

12. व्यवसाय अनुपात

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	20.14	18.91
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	1.27	1.40
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	4.31	3.66

13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया।

14. ग्राहकों की शिकायतें

1. बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें-

	विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1	1
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	163	230
3	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	161	230
3(i)	जिनमें से, बैंक द्वारा निरस्त की गई शिकायतों की संख्या	48	83
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	3	1

2. ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार

शिकायतों के आधार, (अर्थात मद विशेष संबंधी शिकायत)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या का प्रतिशतता में वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	वित्तवर्ष 2024				
ऋण और अग्रिम	-	30.00	(14.29)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना /अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	-	22.00	(37.14)	-	-
अन्य	1.00	46.00	(13.21)	-	-
	वित्तवर्ष 2023				
ऋण और अग्रिम	-	35	(18.60)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना /अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	-	35	34.62	-	-
अन्य	1	53	(67.88)	1	0

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने करने के संबंध में दिनांक 27.01.2021 के अपने परिपत्र सं. सीईपीडी. सीओ.पीआरडी. 01/13.01.013/2020-21 के माध्यम से शिकायतों को 16 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था और बैंकों को तदनुसार प्रकटीकरण करने का परामर्श दिया था।

15. प्रायोजित किये गए तुलन-पत्र से इतर एसपीवी

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एस पी वी प्रायोजित कोई तुलन-पत्रेतर आँकड़ा नहीं है।

16. विशिष्ट लेखांकन- मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5- अवधि का निवल लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान 'अन्य आय' में पूर्ववर्ती अवधि की आय ₹ 49,48,292 शामिल है [पिछले वर्ष में ₹ 10,08,72,058] और अनुसूची XIV में वर्णित अन्य व्यय में वित्तवर्ष 2023-24 के लिए पूर्व के 'परिचालनगत व्यय' ₹ 3,55,13,145 शामिल हैं [पिछले वर्ष में ₹ 1,22,71,798]

(ख) लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों और लेखा मानक-17 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' के तहत अपेक्षित है, बैंक ने प्राथमिक खण्ड के रूप में "व्यवसाय खण्ड" का प्रकटन किया है। चूँकि बैंक भारत में काम करता है, इसलिए कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं हैं। व्यवसाय खण्ड के तहत, बैंक ने अपने तीन रिपोर्टिंग खण्ड के रूप में थोक परिचालन (प्रत्यक्ष वित्त), थोक परिचालन (पुनर्वित्त) और कोषागार (ट्रेजरी) का निर्धारण किया है। उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम प्रोफाइल, संगठन संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन खण्डों की पहचान की गई है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है और चालू वर्ष की पद्धति के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

भाग क : व्यवसाय खण्ड

(₹ करोड़)

व्यवसाय खण्ड	थोक परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		समग्र परिचालन (पुनर्वित्त)		कोषागार (ट्रेजरी)		योग	
विवरण	वित्तवर्ष 2024	वित्तवर्ष 2023	वित्तवर्ष 2024	वित्तवर्ष 2023	वित्तवर्ष 2024	वित्तवर्ष 2023	वित्तवर्ष 2024	वित्तवर्ष 2023
1 **खण्ड राजस्व**	2,314.39	1,554.09	27,701.56	15,619.60	4,214.91	2,827.74	34,230.86	20,001.43
असाधारण मदें							-	-
योग							**34,230.86**	**20,001.43**
2 **खण्ड परिणाम**	82.83	378.01	5,493.66	3,878.35	1,815.91	1,219.55	7,392.40	5,475.91
असाधारण मदें							(500.00)	-
योग							**6,892.40**	**5,475.91**
अविनिधानीय खर्चे							537.35	326.70

(₹ करोड़)

	व्यवसाय खण्ड	थोक परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		समग्र परिचालन (पुनर्वित्त)		कोषागार (ट्रेजरी)		योग	
	विवरण	वित्तवर्ष 2024	वित्तवर्ष 2023	वित्तवर्ष 2024	वित्तवर्ष 2023	वित्तवर्ष 2024	वित्तवर्ष 2023	वित्तवर्ष 2024	वित्तवर्ष 2023
	परिचालन लाभ							6,355.05	5,149.21
	आयकर (पुनरांकन के बाद)							1,542.33	1,251.54
	सहयोगियों संस्थाओं में लाभ का भाग							(9.61)	33.81
	निवल लाभ							**4,822.34**	**3,931.48**
3	**अन्य सूचना**								
	खण्ड आस्तियाँ	29,089.78	20,055.91	4,69,014.38	3,76,514.65	58,692.44	39,426.65	5,56,796.60	4,35,997.21
	अविनिधानीय आस्तियाँ							3,789.44	3,255.31
	कुल आस्तियाँ							**5,60,586.04**	**4,39,252.52**
	खण्ड देयताएँ	24,107.47	15,883.66	4,40,489.41	3,51,767.20	58,037.55	39,121.93	5,22,634.43	4,06,772.79
	अविनिधानीय देयताएँ							4,122.03	3,340.17
	योग							**5,26,756.46**	**4,10,112.96**
	पूँजी /आरक्षितियाँ	4,815.95	4,155.25	27,972.00	24,326.26	1,041.63	658.05	33,829.58	29,139.56
	योग							33,829.58	29,139.56
	कुल देयताएँ							**5,60,586.04**	**4,39,252.52**

भाग ख: भौगोलिक खण्ड - बैंक का संचालन केवल भारत तक ही सीमित है, इसलिए कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है।

(ग) लेखांकन मानक 18 - सबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

(i) प्रमुख प्रबंध कार्मिक

सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा)	उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी)
इंडिया एसएमई टेक्नॉलॉजी सर्विसेज़ लिमिटेड (आईएसटीएसएल)	उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी)

(ii) संबंधित पक्षकारों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(₹ करोड़)

मदें / संबंधित पक्ष	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	योग
उधारियाँ #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
जमा #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
जमाओं का स्थानन #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
अग्रिम #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
निवेश #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
अनिधिकृत वचनबद्धताएं #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
उपयोग की गयी पट्टा व्यवस्था #	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-

(₹ करोड़)

मदें / संबंधित पक्ष	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	योग
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
प्रदत्त पट्टा व्यवस्था#	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-
प्राप्त लाभांश	-	-	-
भुगतान किया गया लाभांश	-	-	-
सेवाएँ प्रदान करना*	-	-	-
सेवाओं की प्राप्ति*	-	-	-
प्रबंध संविदाएँ**	1.32	-	1.32

@निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक

#वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकटन किया जाना है।

*संविदा सेवाएँ आदि, किन्तु विप्रेषण सुविधाएँ, लाकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवाएँ नहीं हैं।

**प्रमुख प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक.

17. अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएँ

पेंशन एवं उपदान देयतओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर किया जाता है. बीमांकित लाभ/हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिया गया है, उनका परिशोधन नहीं किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार.

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
भागीदार
सदस्यता सं.- 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

अजीत नाथ झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

के. एस. नाग्नयाल
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 मई, 2024

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष)

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2023	विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2024
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
51,49,20,30,632	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		63,55,05,26,872
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
26,67,08,148	मूल्यह्रास	61,89,71,613	
24,53,96,517	निवेश में निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	23,53,946	
9,16,74,09,694	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	23,71,80,43,474	
(8,27,32,54,340)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(93,40,45,879)	
(1,33,74,835)	स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(35,85,730)	
(7,99,78,141)	निवेशों पर प्राप्त आय	(10,00,98,51,810)	13,39,18,85,614
52,80,49,37,675	**परिचालनों से उपार्जित नकदी**		**76,94,24,12,486**
	(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन:		
(14,93,03,26,041)	चालू आस्तियां	(14,48,12,30,097)	
64,91,97,74,553	चालू देयताएँ	32,95,45,60,348	
(5,17,69,19,133)	विनिमय बिल	(8,82,05,13,503)	
(15,51,99,51,48,710)	ऋण एवं अग्रिम	(10,61,08,79,39,978)	
12,49,45,48,36,350	बॉण्डों व डिबेंचरों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	7,00,09,62,36,090	
1,91,47,46,99,722	प्राप्त जमा	4,87,92,33,65,970	
(66,25,30,83,259)			**1,36,58,44,78,830**
(13,44,81,45,584)			2,13,52,68,91,316
(14,18,16,41,591)	कर अदायगी	(22,17,09,56,152)	(22,17,09,56,152)
(27,62,97,87,175)	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह**		**1,91,35,59,35,164**
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(28,94,14,376)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/ विक्रय	(50,92,74,876)	
16,23,33,23,888	निवेशों का निवल (क्रय)/ विक्रय/ मोचन	(1,78,06,46,45,874)	
5,73,50,433	निवेशों पर प्राप्त आय	10,07,12,69,195	
16,00,12,59,945	**निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(1,68,50,26,51,555)**
	3. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
-	शेयर पूंजी के निर्गम एवं शेयर प्रीमियम से आय	-	
(79,81,84,026)	ईक्विटी शेयरों पर लाभांश एवं लाभांश पर कर	(1,13,70,82,338)	
(79,81,84,026)	**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(1,13,70,82,338)**
(12,42,67,11,256)	**4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)**		**21,71,62,01,271**
43,65,29,72,381	**5. अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**31,22,62,61,125**
31,22,62,61,125	**6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**52,94,24,62,396**

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष)

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2023	विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2024
	7 अवधि के समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,14,370	हाथ में नकदी		6,08,479
6,30,75,42,823	बैंक में चालू खाते में अतिशेष		1,95,73,06,212
-	म्यूचुअल फ़ंड		3
24,91,81,03,932	जमाराशियाँ		50,98,45,47,702

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-3 (पुनरीक्षित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ XV

लेखा टिप्पणियाँ संलग्नक 1

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
भागीदार
सदस्यता सं.- 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

अजीत नाथ झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

के. एस. नाग्नयाल
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 मई, 2024

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in

@sidbiofficial SidbiOfficial SidbiOfficial

Concept & Design wp (info@wyatt.co.in)